लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-10-92

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, गुरुवार, 2 मार्च, 1978/11 फाल्गुन 1899 (शक)

No. 9, Thursday, March 2, 1978/Phalguna 11, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
जर्मन जनवादी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to Parliamentary Delegation from German Democratic Republic	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 143 से 147	Starred Question Nos. 143 to 147	2—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
तारांकित प्रश्न संख्या 148, 149 और 151 से 162	Starred Questions Nos. 148, 149 and 151 to 162	10—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 से 1427, 1429 से 1472 और 1474 से 1486	Unstarred Question Nos. 1330 to 1427, 1429 to 1472 and 1474 to 1486	27—126
श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against Shrimati Indira Gandhi	126—127
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	127—129
श्री जयप्रकाश नारायण के उपचार संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of Inquiry Committee on the treatment of Shri Jayaprakash Narayan	127
हाल ही के विधानसभा चुनावों के बारे में टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आंखों देखे हाल के बारे में टिप्पणी	Re. Certain Remarks in TV Commentary on Recent Assembly Elections	128
सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे	Re. Papers Laid on the Table	129
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	129
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक	Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill	129
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	129
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	129
देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों में व्याप्त असंतोष के समाचार—	Reported unrest amongst the students of various universities in the Country	130
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	130

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तव में पूछा था।

The sign * marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	130
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	130
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	131
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	132
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	132
कार्य मंत्रण समिति	Business Advisory Committee	133
12वां प्रतिवेदन	Twelfth Report	133
विधेयक पुर:स्थापित	Bills Introduced—	133
कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक	Ear Drums and Ear Bones (Authority for use for Therapeutic Purposes) Bill	133
नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये, उपयोग का प्राधिकार) विधेयक	(Eyes (Authority for use for Therapeutic Purposes) Bill	133—134
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	134
(एक) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर में गोली चलाया जाना तथा उसमें तालाबन्दी	(i) Firing and Lockout in Swadeshi Cotton Mills, Kanpur	134
(दो) राजस्थान के भरतपुर जिले की कामा तहसील के नाले के पानी के कारण बाढ़ग्रस्त होने का समाचार	(ii) Flooding of Kama Tehsil of Bharatpur District in Rajasthan due to drain water	134—135
(तीन) भटिण्डा में मल-सुरंग खोदते समय आठ मजदूरों की मृत्यु का समाचार	(iii) Reported death of casual labourers in Bhatinda while digg ing sewer line	135
(चार) बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में अकाल की स्थिति का समाचार	(iv) Reported famine conditions in Darbhanga and Madhubani Districts of Bihar	135
(पांच) एक स्विस बैंक की 100-110 लाख डालर एक सांख्यिक खाते में अन्तरण करने का मामला	(v) Alleged transfer of 10-11 million dollars for deposit in a numbered account in Swiss Bank	135—136
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	136
डा० बी० एन० सिंह	Dr. B. N. Singh	136—137
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai	137—138
श्री के० बी० चेतरी	Shri K. B. Chettri	138—139
श्री अब्दुल अहद वकील	Shri Abdul Ahad Vakil	139
श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी	Shri Madhav Prasad Tripathi	139—140
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	140—142
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	143—145
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	135—146
श्री सी० वेणुगोपाल गौंडर	Shri Venugopal Gounder	146—147

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 2 मार्च, 1978/11 फाल्गुन, 1899 (शक)

Tuesday, February 28, 1978/Phalguna 9, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जर्मन जनवादी गणराज्य संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सर्वप्रथम मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि मुझे अपनी तथा आप सब की ओर से जर्मन लोक तांत्रिक गणतंत्र के पीपल्स चेम्बर के अध्यक्ष मि० होर्स्ट सिन्डरमन और जर्मन लोक तांत्रिक गणतंत्र संसदीय प्रतिनिधि मण्डल, जो कि महमान के रूप में भारत आए हुए हैं, का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्य हैं :

1. मैडम थी हुसन्नाइल्ड
2. मि० जोजफ अबरथ
3. मेडम क्रिसटाईन वेनक
4. डा० गुइन्टर विडेमान
5. प्रो० (डा०) कार्ल-हीनज हेगस्ट
6. मि० उबुई गजेस्की
7. मि० डाइटर लेहमान ।

प्रतिनिधि मंडल कल प्रातः यहां आया है। इस समय वह विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं । हम कामना करते हैं कि उनकी भारत यात्रा सुखमय और लाभप्रद हो । उनके माध्यम से हम कौंसिल आफ स्टेट के चेयरमैन, महामहिम मि० इरिल होनेचर, कौंसिल आफ मनिस्टरज़ के चेयरमैन महामहिम मि० विल्ली स्टेच्च, माननीय संसद, सरकार तथा जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र के लोगों के प्रति अपनी शुभ कामनायें पहुंचाना चाहते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण को पुनर्व्यवस्थित करना

*143. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण को पुनर्व्यवस्थित करने का है जिससे हजारों बेरोजगारों का सरलता से नाम दर्ज करने तथा रोजगार के लिए वास्तविक प्रयत्न करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके :

(ख) अब तक सरकार को किन कमियों का पता लगा है अथवा जानकारी दी गई है; और

(ग) कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए यदि कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) 1977-78 वर्ष के लिए श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के दौरान 12 जुलाई, 1977 को सदन में जैसा कि मैंने पहले सूचित किया था कि —रोजगार कार्यालयों के कार्य में विलम्ब से संप्रेषणों में पक्षपात और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें की गई हैं । सरकार यथा आवश्यक परिवर्तन करके राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्य को सुधारना चाहती है ताकि देश की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सके । इस प्रयोजन हेतु सरकार ने विस्तृत विचारार्थ विषयों वाली एक समिति का गठन किया है, ताकि सारे प्रश्न पर विचार किया जा सके।

श्री पी० एस० रामलिंगम : समिति का गठन कब तक कर दिया जायेगा तथा यह समिति रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कब तक अपने सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत कर देगी ? क्या सरकार ने अपनी ओर से ही कुछ सुधार करने सम्बन्धी सुझाव दिये हैं क्योंकि विलब से स्थिति और भी खराब हो जाती है ?

श्री रविन्द्र वर्मा : समिति का गठन किया जा चुका है और हमें आशा है कि समिति अपना कार्य पूरा कर, दो महीनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। सरकार, रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही होगा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए पूर्णतया केन्द्र सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया जा सके। रोज़गार कार्यालयों का कार्यकरण चलाने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों पर रहता है। इस सीमा को दृष्टिगत रखते हुए, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं ।

श्री पी० एस० रामलिंगम : रोजगार कार्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उनका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कम से कम शहरी बेरोजगार लोगों का पंजीकरण करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वह क्या हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : अपना नाम दर्ज करवाना स्वैच्छिक कार्य होता है। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बेरोजगार नागरिक को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बाध्य किया जा सके। मैं समझता हूं कि अभी तक इस प्रकार का कोई कानून बनाने का भी सरकार का इरादा नहीं है।

SHRI RAMANAND TIWARI : I would like to know from the hon. Minister the steps which have been taken forenabling the educated or uneducated unemployed to get themselves registered with the Employment Exchanges ? What steps have been taken or are being taken by the Government for enabling those poor, landless and Harijans who have hardly any knowledge of setting themselves registered ?

SHRI RAVINDRA VERMA : At present in India there are 529 Employment Exchanges. It has been rightly stated by the hon Member that facilities for rural population are inadequate but if the Employment Exchanges are to be opened in every village or block, for this purpose, plans should be initiated by the State Government. How much amount will be required for this purpose, even this has not been estimated so far.

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : The registration of unemployed in the Employment Exchange Offices is one thing but I would like to know from the Government that when it was announced by Janata Party that Constitution will be suitably amended for providing employment opportunities. So actually it is the root cause. Simply the registration of unemployed is not a solution of the problem but our real problem is to provide employment to unemployed, to provide unemployment allowance to them and also to make suitable amendment in the Constitution for inclusion of right to employment in that. So this is the basic problem.

SHRI RAVINDRA VERMA : The main question is regarding employment exchanges. There is no doubt that the questions raised by hon. Member are of vital importance but they do not come out of the main question.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : In his reply the hon. Minister has stated that this issue relates to State Governments and not to the Centre. By saying so he should not try to avoid the question. I want to know the total number of employment exchanges in the country and also the total number of people who have got themselves registered there.

Secondly, the students who come out of schools and colleges should get employment immediately. May I know if any such plan is being finalised. Is it a fact that for months and years together the unemployed youths go around the employment exchange offices but fail to get employment. May I know if you will fix up some time limit so that on the completion that stipulated time limit, employment should be ensured to a person ?

SHRI RAVINDRA VERMA : I was submitting that the financial as well as day to-day administration of employment exchanges comes under State Governments.

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश के 60 करोड़ लोगों के लिए कुल 529 रोजगार केन्द्र हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपने श्री कछवाय द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा है न कि श्री ज्योतिर्मय बसु को बीच में ही बोलने के लिए कहा था, जैसा कि वह अक्सर करते हैं।

I was just telling the House that the laying of policy, procedure and other yardsticks is the responsibility of the Central Government and to run the administration is the responsibility of the State Government. In reply to Shri Kachwai's question I just want to add that the total number of people registered with the employment exchanges is 109 lakhs.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know if any such plan has been worked out according to which after a stipulated time, the persons registered with the exchange will get employment?

SHRI RAVINDRA VARMA : I have already stated that this is not the duty of employment exchanges.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Then whose duty is this? It is a policy matter. People roam around employment exchanges for years together after getting themselves registered, so the Government must give an assurance that after getting themselves registered with exchanges, they will get employment.

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे वह आश्वासन नहीं दे सकते ।

श्री एम० बो० कृष्णप्पा : चूंकि यह प्रश्न रोजगार कार्यालयों के पुनर्गठन से सम्बद्ध है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाखों बेरोजगार कृषि श्रमिकों के मामले पर भी कुछ ध्यान दिया है? आजकल रोजगार कार्यालय का सम्बन्ध प्रायः मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारों तथा अर्द्ध-कुशल लोगों से ही रहता है। लाखों कृषि श्रमिक ऐसे हैं, जोकि बेरोजगार है। देश में कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां कि सिंचाई के संभाव्यता का पता लगाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही दूसरी ओर कुछ ऐसे भाग भी है जहां काफी फालतु श्रमिक उपलब्ध हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं और आप उन्हें उनको किस्मत के भरोसे छोड़ देते हो। क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिन क्षेत्रों में मौसमी स्थिति ठीक हो उन क्षेत्रों में उन स्थानों से फालतु श्रमिकों को उस स्थान पर ले जाया जाये जहां उनकी आवश्यकता हो?

श्री रविन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य महोदय यह अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं तथा इस प्रकार के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ अन्य ढंग से व्यवहार करना पड़ता है। रोजगार कार्यालयों की वर्तमान व्यवस्था का सम्बन्ध, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रश्न में कहा है, मुख्य रूप से संगठित श्रमिकों तथा शहरों में स्थापित उद्योगों आदि में रोजगार उपलब्ध करवाने से होता है। यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को रोजगार दिलाने का कार्य इसका नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि इसके लिए एक केन्द्रीय कृत तंत्र स्थापित किया जा सकता है और क्या इस प्रकार का ढंग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सूची तैयार करने का कार्य कारगर रूप से कर सकता है। इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रश्न पर अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। यह कार्य वर्तमान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

प्रो० आर० के० अमीन : रोजगार कार्यालयों की जो वर्तमान व्यवस्था है, इसके अनुसार वार-बार उन्हीं व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाता है यद्यपि उन्हें रोजगार मिल जाता है परन्तु फिर भी उनका पंजीकरण हुआ रहता है। इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसके साथ ही सरकार ने 10 वर्षों में सभी को रोजगार उपलब्ध करवाने का दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है। अतः देश के रोजगार कार्यालयों में रोजगार सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री रविन्द्र वर्मा : जैसा कि मैंने पहले बताया, रोजगार कार्यालयों में केवल उन्हीं लोगों का नाम दर्ज किया जाता है जोकि वह नाम दर्ज करवाने जाते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इससे हमें देश के कुल बेरोजगार लोगों का पता नहीं लग सकता पंजीकरण प्रक्रिया में भी कुछ त्रुटियां हैं। माननीय सदस्य का यह कहना भी ठीक है कि एक ही व्यक्ति अपना पंजीकरण एक से अधिक स्थानों पर करवा सकता है और यह भी ठीक है कि अनेक ऐसे बेरोजगार भी हैं जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं है। एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके फलस्वरूप यह पता चला कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज लोगों में से 65 प्रतिशत नाम ऐसे लोगों के हैं, जोकि वास्तव में बेकार हैं, 27 प्रतिशत नाम ऐसे लोगों के हैं जिनका नाम तो रजिस्टर में चला आ रहा है परन्तु उन्हें रोजगार प्राप्त है, तथा 7.3 प्रतिशत नाम ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जोकि विद्यार्थी होते हैं तथा रोजगार की योग्यता प्राप्त करने वाले होते हैं। उनका दूसरा प्रश्न जोकि गरीबी समाप्त करने तथा देश के सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में है, निश्चय ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और आने वाले वर्षों में इसके बारे सर्वेक्षण किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप हम ऐसी नीति बना पायेंगे जिससे कि बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

SHRI BIRENDRA PRASAD : Sir, I would like to know from hon. Minister if he is aware of the fact that the people who are working in the Employment Exchanges exercise their own discretion in sending the candidates for interviews. They send interview calls only to those candidates who bribe them and they manipulate the things in such a way that those whom they want to avoid, they receive those interview letters after the interview is over.

SHRI RAVINDRA VERMA : We have received a number of complaints about the functioning of Employment Exchanges. A committee has been appointed to look into the functioning of Employment Exchanges and to suggest way and means for making them than more efficient and effective.

SHRI RAM LAL RAHI : Mr. Speaker, Sir, the Employment Exchanges throughout the country register the names of educated as well as uneducated people. The names of even such people are also registered who are having their own family business and also of those whose families are not having any such business where they can get employment. May I know if you will give some priority to the people in whose families there is no such facility for employment ?

SHRI RAVINDRA VERMA : Though your question has got no relevance with the main question but still I may mention that several such recommendations and plans have come up before the Government. Some State Governments have also started some plans but uptill now neither any such plan has been formulated by the Central Government nor I consider it now practicable to formulate any such plan.

MALARIA IN GUJARAT

*144. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL
SHRI AHMED M. PATEL } : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing : (a) the number of cases of malaria in Gujarat, District-wise during the years 1974-75, 1975-76, 1976-77 and in 1977-78 till date;

(b) whether the incidence of malaria has been increasing in Jujarat and if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which malaria is likely to be eradicated fully in Gujarat ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) Date regarding incidence of malaria is maintained calender year-wise. A statement

indicating the number of positive malaria cases in Gujarat during the years 1975, 1976 and 1977, is laid on the Table of the Sabha. Figures for January-February, 1978 have not so far been furnished by the State Government.

(b) The incidence of Malaria in Gujarat had been increasing during the past few years but in 1977, on the basis of the provisional figures so far received, the incidence is reported to be lower by 40 per cent as compared to that for 1976.

(c) Though the objective of the National Malaria Eradication Programme continues to be the eradication of the disease, under the Modified Plan of Operations launched in April, 1977, it is proposed to contain the disease at present. No date can thus be indicated for the eradication of the disease from Gujarat.

Statement

DISTRICT-WISE MALARIA INCIDENCE IN GUJARAT DURING 1975, 1976 & 1977

Sl. No.	Districts	Incidence		
		1975	1976	1977 (Prov.)
1	2	3	4	5
1.	Ahmedabad	81315	135773	75818
2.	Amreli	12712	12895	9440
3.	Banaskantha	21884	59709	24934
4.	Surendra-nagar	31073	83074	34529
5.	Baroda	85815	111760	102335
6.	Bhavnagar	34797	37307	28962
7.	Bharuch	41735	93533	63966
8.	Junagarh	21692	25439	16440
9.	Kheda	75816	109839	65961
10.	Kutch	38657	64039	38129
11.	Mehsana	28059	67165	28713
12.	Ghandhi Nagar	2291	3579	3295
13.	Panchmahal	117178	160986	66951
14.	Rajkot	44633	65687	40535
15.	Jamnagar	24343	68859	39086
16.	Sabarkantha	17675	29645	21409
17.	Surat Singh	83538	65090	44033
18.	Bulsar	32452	17450	12091
19.	Dangs	3515	2199	2591
	Total	799180	1214028	720218

NOTE:—Incidence figures for the year, 1977 are provisional and based on epidemiological situation reports.

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : The Hon. Minister has stated that the number of malaria cases in Gujarat were 799180 in 1975, 1214028 in 1976 and 720218 in 1977. But no specific time has been indicated for the eradication of malaria in Gujarat. I want to know the time beg which malaria will completely be eradicated in Gujarat.

SHRI RAJ NARAIN : I have already stated that it is not possible to indicate the specific time beg which Malaria will be eradicated completely from Gujrat.

SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : What is the reason ? Moreover in reply to part (c) of the question you have stated that although the objective of the National Malaria Eradication Programme continues to be the eradication of the disease, under the Modified plan of operations launched in April, 1977, it is proposed to contain the disease at present. What are the main points of this modified plan what amount of expenditure is incurred in Gujarat annually ?

SHRI RAJ NARAIN : No question will remain unreplied. I will try to answer each and every question. We launched modified plan of operation since April, 1977 for implementing. National Malaria Eradication Programme. Insecticides and anti-malaria drugs are given to the States under the plan. It has also been ascertained that these insecticides and anti-malaria drugs are made available in sufficient quantity for the coming malaria season. The following quantity of stock is with the States to meet the requirements of 1978 :—

	Requirement	*Stock*
D.D.T.	50 M.T.	117.66 M.T.
B.H.C.	3146 M.T.	2282.92 M.T.

Malethene 25 percent.....(*Interruption*)

Additional quantity of 1545 ton has been allotted to the States. (*Interruptions*)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या आप मंत्री महोदय को इसे सभा पटल पर रखने के लिये कहेंगे —**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रखें।

SHRI RAJ NARAIN : 19,848 drug distribution centres and 12,526 fever treatment depots have been established in the States for making anti-lava drugs easily available to the patients and check the deaths due to malaria. Some more centres will be opened during 1978.

SHRI AHMED M. PATEL : The Hon. Minister stated just now that malaria decreased by 40 per cent during 1977. Will the Minister assure that it will be controlled completely during the next 1½ years.

SHRI RAJ NARAIN : As already stated our policy is to control the malaria and prevent the diseases which develops from it but how much time will it take we cannot say at this stage.

श्री विनोब भाई बी० शैठ : जैसे कि हम जानते हैं, खुली नालियों से मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, इस सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों अथवा नगरपालिकाओं अथवा नगर निगमों को भूमिगत नालियों के लिये उदारता से ऋण स्वीकार करने के लिये कहा है ? मुझे पता है कि जामनगर नगरपालिका ने जीवन बीमा निगम से इस हेतु अग्रह किया था लेकिन ऋण स्वीकार नहीं किया गया। भूमिगत नालियों के लिये विशेषत: गुजरात के लिये इस प्रकार की सहायता देने हेतु आप क्या कर रहे हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : I have listened to the suggestion of hon. member. All possible Central assistance will be given to the states. But the difficulty is that state Government do not take more assistance and do not pay any attention to our suggestions.

SHRI SOMJIBHAI DAMOR : The Hon. Minister has stated that it is Government's policy to control malaria and they are taking necessary measures in this direction. I would like to know the measures taken ?

SHRI RAJ NARAIN : The State Governments are implementing modified plan since 1st April, 1977. Though the ultimate objective of this scheme is to eradicate this disease but for the time being we are contemplating to contain it. All the State Governments except the following State Governments have accepted the modified plan.
Uttar Pradesh. . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर गुजरात तक सीमित रखें। इसे और न बढ़ायें :

SHRI RAJ NARAIN : Uttar Pradesh has also accepted it last evening. . . .

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : You may tell about Maharashtra, Tamilnadu and all about others.

SHRI RAJ NARAIN : I knew that you will ask. Utter Pradesh has accepted it last evening. Manipur, Meghalaya have accepted it partially. Correspondence is still going on with the State Governments which have not accepted this plan. Objectives of the modified plan are as under :—

(1) To check deaths caused by malaria.

(2) To maintain industrial and green revolution.

(3) To maintain the achievements.

The unit of National Malaria Eradication Programme has been re-organised according to the geographical boundary of the District. Previously, District Medical Officers were not associated with this programme but now they have been made responsible for this programme.

Insecticides like D.D.T. and B.H.C. have been supplied in sufficient quantity to the various States. Alternative insecticides are made available to the units/districts where D.D.T. proves ineffective.

The rural areas with two or more deaths after a thousand, are sprayed insecticides.

Anti-malaria drugs are/are being supplied to the State Governments.

Drug distribution centres/fever treatment centres have been set up for easy supply of drugs. Some alternative medicines have been supplied where those insecticide are proving to be ineffective.

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय भाषण देते हैं यदि उत्तर लम्बा है तो इसे सभा पटल पर रखें ।

SHRI RAJ NARAIN : I will lay it on the table of the House. The hon. member wanted to know about the new plan introduced by us from April. We have already stated. . . .

MR. SPEAKER : You have already given a reply.

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : In many areas of Gujrat, village after village are gripped by the malaria. Dirty water is drunk where drinking water is not available. I want to know whether special schemes will be prepared for the villages gripped by the malaria and whether pure D.D.T. will be sprayed in such villages ?

SHRI RAJ NARAIN : I have already informed our senior members that like other countries drinking water should remain under Health Department. There are many States in our country. This subject has been transferred to the other Department after 1969 congress split.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री समर मुखर्जी :

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने तथ्यपूर्ण बात नहीं कही है। अपने उत्तर में उन्होंने गुजरात सरकार की आलोचना की है और कहा है कि राज्य सरकार उत्तर नही दे रही जबकि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में मलेरिया अधिक नहीं है और मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 145 (व्यवधान) :—

श्री मावलंकर : मैंने प्रश्न संख्या 145 के लिये कह दिया है **(व्यवधान)**

SHRI RAJ NARAIN : I said nothing about Gujarat Government. The Gujarat Government did not comply with our instructions. Some States have accepted our plan in toto and almost the States had accepted it till last evening.

50 000, डाकघर और खोलने के लिये कर्मचारी

*145. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ग्रामों में 50,000 नये डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कितने डाकियों, श्रेणी चार के कर्मचारियों और पोस्ट-मास्टरों आदि की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या इस प्रकार बनाये गये पद नियमित होंगे अथवा विभागेतर ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3100 नए डाकघर खोलने और चलते-फिरते डाकघरों के जरिये 50,000 गांवों में डाक काउंटर सुविधाएं देने की योजना है।

(ख) और (ग) खोले जाने वाले डाकघर विभागेतर शाखा डाकघर हैं और इनक संचालन विभागेतर एजेंट करते हैं। 31-1-78 तक 2030 विभागेतर शाखा डाकघर खोले जा चके हैं और विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों और अन्य विभागेतर एजेंटों के करीब 3000 पद बनाये गए हैं।

श्री समर गुह : क्या मंत्री जी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की सेवा के लिए वर्तमान कार्यालय शाखाओं को चलते फिरते कार्यालयों में बदलने का कार्य किया जा रहा है और जो स्थायी कर्मचारी उन्हें अस्थायी कार्यालयों में भेजा जा रहा है ? क्या आपको इस बात का पता है।

श्री नरहरि प्रसाद साय: हां।

श्री समर गुह : कितने डाकघरों को चलते-फिरते डाकघरों में बदला गया है और उनके कर्मचारियों का क्या होगा जो शाखा कार्यालयों के कर्मचारी थे क्या उन्हें चलते-फिरते डाकघरों के कार्यालयों में रखा जायेगा ?

श्री नरहरि प्रसाद साय : कुछ शाखा डाकघरों को चलते फिरते डाकघरों में बदला जा रहा है। किन्तु सबको नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कर्मचारियों की क्या स्थिति है ? क्या स्थायी कर्मचारियों को अस्थाई किया जा रहा है ?

श्री नरहरि प्रसाद साय: अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को केवल भत्ता दिया जाता है।

श्री समर गुह : कर्मचारियों के संगठन बहुत समय पहले से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को स्थायी कर्मचारी करने की मांग कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय ने 22-4-1977 को अपना निर्णय दिया जिसमें यह कहा गया है कि अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट सरकार सिविल पदों के अधिकारी हैं और इसलिए वे अनुच्छेद 311(2) (ग) के उपबन्ध के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध संरक्षणों तथा सुरक्षा के अधिकारी हैं।

मंत्रीजी को संघों के शिष्टमंडल भी मिले हैं और उन्होंने उन्हें एक आश्वासन दिया है इन परिस्थितियों में क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इन अतिरिक्त विभाग एजेन्टों को, जिनकी संख्या कई हजार है, स्थायी रूप से सेवा में रखा जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, वे अंश कालिक कर्मचारी हैं। वे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं क्योंकि वहां पूर्णकालिक कार्य नहीं है। ज्योंही पूर्ण कालिक कार्य होगा, इसका ग्रेड बढ़ाया जायेगा, और स्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।

श्री समर मुखर्जी : मैंने उच्चतम न्यायालय का निर्णय पढ़ा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री बृजलाल वर्मा : यह केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद होगा।

DR. RAMJI SINGH : Up to 31-1-78 2,030 new Post offices were opened and about 3,000 posts were created in these Post offices. I want to know whether some teachers or Government servants have been taken as Part-timers ? Does it not affect their efficiency ? Is there any criteria for their appointment or the officers there recruit persons at their own will ? Is there any rule in this regard ?

SHRI NARHARI PRASAD SAI : The teachers who are working as part-timers there at present will be removed from there and local people will be recruited in their place. We would give more preference to the local people in this regard. This is our scheme.

ी के० मायातेवर : मुझे तमिलनाडु से कुछ लाख नैमितिक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो कि डाक विभाग में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपने अभ्यावेदन में मांग की है कि उन्हें स्थायी किया जाये। वे बहुत समय पहले से नैमितिक कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से एक बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं समूचे भारत में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 60 लाख है और उन्हें वहां कार्य करते-करते 2 से 10 वर्ष तक हो गए हैं। उन्होंने अभ्यावेदन पेश किए हैं कि वे बहुत समय पहले से अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिए। किन्तु वे अभी भी अस्थायी नौकरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार ने उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं ?

श्री बृज लाल वर्मा : जहां तक इन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, वे वहां स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं किन्तु वे अंशकालिक कर्मचारी हैं। वे नैमितिक कर्मचारी नहीं हैं। वे वहां स्थाई तौर पर काम कर रहे हैं किन्तु वे अंशकालिक कर्मचारी हैं और इसलिए उन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता।

श्री सरत कार : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे अंश कालिक कर्मचारी हैं। किन्तु दुर्भाग्य से उन्हें प्रति माह केवल 50 रुपये मिलते हैं। उन्हें ध्याड़ी पर लगे श्रमिक से पैसा मिलता है यद्यपि वे स्थायी डाकघरों में चपरासी का कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है तो क्या मंत्री जी कम से कम उनके भत्ते में वृद्धि करेंगे ?

श्री बृज लाल वर्मा : हम इस पर विचार कर रहे हैं

बन्धुआ श्रमिक

*146. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई नया प्रयत्न किया है कि देश में अभी कितने बन्धुआ श्रमिक हैं जिन्हें मुक्त कराना है तथा जीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने ह ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिन बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा वैकल्पिक रोजगार दिया गया है उनकी नवीनतम संख्या कितनी है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR & Parliamentary AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) & (b). A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Periodic reviews about the position of bondded labourers identified, released and rehabilitated, are carried out on the basis of reports received from the States/Union Territories, who are responsible for the implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 176. The latst available information about the number of bonded labourers identified, released and rehabilitated as on 31-12-1977, in each State/Union Territory is as follow :

Sl No.	State/Union Territory	Total number of bonded labourers (Position as on 31-12-1977)		
		Identified	Freed	Rehabilitated
1.	Andhra Pradesh	4,148	4,148	3,002
2.	Bihar	2,562	2,301	613
3.	Gujarat	42	42	42
4.	Karnataka	64,042	64,042	6,876
5.	Orissa	627	316	312
6.	Madhya Pradesh	1,612	1,506	33
7.	Kerala	900	900	186
8.	Rajasthan	6,000	5,580	2,496
9.	Tamil Nadu	2,882	2,882	2,363
10.	Uttar Pradesh	19,242	19,242	12,805
11.	Mizoram	3	3	—
	Total	102,060	100,962	28,728

Freed bonded labourers are being rehabilitated by providing them with suitable employment in Government Departmental projects, allotment of agricultural lands, house-sites, loans for purchase of milch animals, sheep, carpentary implements, provision of education and free hostel facilities to the children of the freed bonded labourers. Loans have also been given by the Nationalised Banks at preferential rates of interest to such labourers for their rehabilitation on land-based and non-land based avocations. Collectors have also been directed to rehabilitate freed bonded labourers under the on-going schemes and programmes including those of soil conservation, irrigation works, tribal and harijan welfare programmes.

The position of the rehabilitation of the bonded labourers was recently reviewed and in order to step up the tempo of rehabilitation of the emancipated bonded labours :

(i) the State Governments/Union Territories have been recently asked to keep specific provisions under all their rural development schemes for identification, release and rehabilitation of the bonded labour;

(ii) the concerned Central Ministries/Departments have been urged to accord, while making selection of blocks for development, priority to those blocks where bonded labour have been identified or the practice is known to exist and to make rehabilitation of bonded labour, a component part of schemes of development in those blocks; and

(iii) the Planning Commission has approved an outlay of Rs. 1 crore in the Annual Plan for 1978-79, of the Ministry of Labour for providing financial assistance to State Governments/Union Territories in cases where the resources available to them under the existing on-going schemes are inadequate to take care of the rehabilitation of bonded labourers in their respective areas.

श्री पी० कोडियन : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने पुनः कोई अनुमान लगाया है कि अभी देश में कितने बन्धुआ श्रमिक हैं। इसका जबाव नहीं दिया गया है। यद्यपि विवरण में पता किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या दे रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कम से कम मोटे तौर पर कोई अनुमान लगाया है कि देश में अभी और कितने बन्धुआ श्रमिक हैं।

दूसरे बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने का कौन सा तंत्र है, क्योंकि विवरण के अनुसार अब तक केवल 1 लाख बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया जा सका है। मेरी जानकारी के अनुसार देश में लाखों बन्धुआ श्रमिक हैं ; इसलिए उनका पता लगाने का कार्य बहुत शिथिल रहा है।

बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए कौन सा तंत्र अपनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने दो प्रश्न पूछ लिए हैं। आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछेंगे। अन्यथा वह उत्तर नहीं दे पायेंगे।

SHRI LARANG SAI : The hon. members thinks that these are not factual figures. I agree with him in this regard. In some states like U.P. their number increased later on. Therefore, it can not strictly be said that these figures are correct. But according to the information we received from the state Governments, there is not a single bonded labourer in some states.

In some states like Uttar Pradesh, Bihar and Goa fresh survey is being conducted. 32nd national sample survey will be completed in 1979. We have asked them to identify bonded labourers in this survey also. We will look into the matter if we receive any such information from any where.

The second question of the hon. member is that what is the machinery for identifying these bonded labourers. In this connection my submission is that there is a committee at every departmental level, there is Vigilance Committee which consists of Collector and non-official persons. They decide as to who is a bonded labour, and then they inform the Administration.

श्री पी० के० कोडियन : अध्यक्ष महोदय बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अभी भी बन्धुआ श्रमिक हैं। अब तक बिहार में 2,552, मध्य प्रदेश में 1,612 तथा 19,242 उत्तर प्रदेश में बन्धुआ श्रमिकों का पता चला है। इसलिए मंत्रीजी ने कहा है कि उनका पता लगाने के लिए एक सतकर्ता समिति है। मेरा विचार है कि इस तरह का कोई तंत्र

नहीं है और यह सतर्कता समिति कोई कार्य नहीं कर रही है। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि इन राज्यों में आज भी बड़ी संख्या में बन्धुआ श्रमिक हैं, केवल थोड़ी संख्या दिखाई गई है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मुक्त किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या लगभग एक लाख है और अब तक पुनर्वासित बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 28,702 है जोकि 27 प्रतिशत से कम है। उनके पुनर्वास का काम भी बहुत ही असंतोषजनक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई विशेष तन्त्र की स्थापना करने की सोच रही है ताकि मुक्त किए गए इन बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा सके ?

SHRI LARANG SAI : So far as that machinery is concerned, that consists of one Government representative and some private representatives. I don't think any third person should be there . If the Government representatives will try to conceal any thing, the private representatives will bring it before the Government. Therefore, there is no scope for concealing any thing.

According to the hon. member so far as the question regarding the rehabilitation of freed bonded labourer is concerned, there has not been sufficient work in this regard. The Planning Commission has made an allocation of Rs. 1 crore Besides this, we are going to hold a meeting of the state Governments on the 13th March. In this meeting guidelines will be finalised under which these freed bonded labourers will be rehabilitated as soon as possible. The states which will show more eagerners in this work, will be given more incentives.

SHRI YUVRAJ : On the 24 October, 1975 an ordinance was issued and thereafter with in 6 months this ordinance was replaced by an act. I want to know whether those landlords were punished after a summary trial who violated the rule.

SHRI LARANG SAI : Yes, Sir. Those people who violated the rule, were punished.

SHRI YUVRAJ : I am not asking any other thing. In the statement it has not been stated as to how many landlords have been punished for violating the rule States-wise For violating this rule 3 years imprisonment and two thousand rupees as fine has been prescribed. So only proper implementation of the provisions of this legislation can end this evil.

SHRI LARANG SAI : If a separate question is put about it, that will be replied to.

श्री सौगत राय : : क्या मंत्री जी को हाल ही में राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा नियोजित बन्धुआ श्रमिक सम्बन्धी वर्कशाप का पता है। यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें हैं और सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

SHRI LARANG SAI : In that meeting the Hon. Minister was present.

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं उत्तर दे सकते हैं।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमान् गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक वर्कशाप का आयोजन किया था, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। बन्धुआ श्रमिकों तथा प्रशासनिक कार्मिकों से संबंधित कागजात इस गोष्ठी में पेश किये गये थे। इस संबंध में नियमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी। इस समूचे प्रश्न पर, जिसमें बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें बसाने आदि बातें सम्मिलित थीं, चर्चा की गई।

श्रीमान् मैं यह भी कह दूं कि बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना वास्तव में एक समस्या है। जब तक उनका पता लगाने के लिये विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा कि जो बन्धुआ श्रमिक की स्थिति में हैं, उनका पुनर्वास किया जा सके। इस संबंध में यह कठिनाई रही है कि इसके लिये बनाए गए तंत्र में, जिसका कि मेरे साथी ने उल्लेख किया है, बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने में कुछ त्रुटियां रही हैं। हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि राष्ट्र व्यापी पैमाने पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इसके लिये कैसा तंत्र होना चाहिए। सभा की सूचना के लिये मैं यह कह दूं कि नमूना सर्वेक्षण के 32वां राउन्ड से उम्मीद है कि वह इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देगा। इस तरह के मामले में आखिर जब तक जनगणना की तरह काम नहीं किया जाएगा तब तक इस संबंध में विश्वासनीय जानकारी नहीं मिल सकती। अतः यह आशा है कि नमूना सर्वेक्षण के 32वें राउन्ड से हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह सर्वेक्षण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा।

विदेशों में नेताजी का जन्म दिवस समारोह

*147. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाया;

(ख) यदि हां, तो किन भारतीय मिशनों ने नेताजी का जन्म दिवस मनाया तथा किस प्रकार के समारोह किये;

(ग) क्या उस समारोह में कुछ विदेशी राजदूतों अथवा उच्चायुक्तों ने भाग लिया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

(SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) & (b) Our Heads of Missions and other officers in our Missions in Burma, Malaysia and Thailand participated in functions arranged by local organisations to observe the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose.

(c) Yes, Sir.

(d) Pakistan's Ambassador in Malaysia participated in the function held there.

श्री समर गुह : श्रीमान् मैंने एक साधारण प्रश्न पूछा है। यद्यपि उत्तर भी साधारण लगता है। किन्तु वह साधारण नहीं है। मैं ऐसा आपसे इसलिये कह रहा हूं कि एक विशेष समाचार है जो नेताजी के जन्म दिवस को मनाने में बाधक होता है। किन्तु हमारे विदेशी मिशनों द्वारा कुछ महान नेताओं के जन्म दिन मनाए जाते हैं। इस संबंध में मैंने मिशनों को लिखा है और मुझे उनसे उत्तर भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ नयाचार विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा जन्म दिन मनाने में बाधक बन जाते हैं। यह बताया गया है कि गृह मंत्रालय से स्वीकृति की आवश्यकता है। मैंने इस बारे में गृह मंत्री को लिखा है और गृह मंत्री ने तुरन्त मुझे उत्तर भेजा है कि विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा नेताजी के जन्म दिन को मनाने में बाधक बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये मेरी शंका ठीक ही है। उत्तर में कहा गया है कि "आयोजित समारोहों में भाग लिया"। भाग लेने का कोई

प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे विदेशी मिशनों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को स्वयं आयोजित किया है या स्वयं मनाया है? मैं जानना चाहता हूं कि हमारे विदेशी मिशनों द्वारा किन-किन नेताओं का जन्म दिन मनाया जाता है। क्या हमारे विदेशी मिशनों द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को मनाने में कोई नयाचार बाधक हुआ है। क्या नेताजी का जन्म दिन हमारे विदेशी मिशनों द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है? मेरे ये प्रश्न हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान्, महात्मा गांधी का जन्म दिवस सरकारी तौर पर मनाया जाता है। कई वर्षों से मिशनों को कहा गया है कि वे पंडित नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाएं और अब हमने अपने मिशनों को अनुदेश जारी किया है कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन भी मनाएं। श्रीमान् मैं यह बताना चाहूंगा कि यह नेताजी की स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि पेश करना नहीं होगा.....

श्री समर गुह : स्मृति नहीं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा कहना ठीक है। जन्म दिन मनाना केवल मिशनों के परिसर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विदेशों में रह रहे भारतीयों को जन समारोह आयोजित करने चाहिए और यदि विदेशी भी उसमें भाग लेना चाहें तो उन्हें भाग लेने दिया जाये।

श्री समर गुह : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं किन्तु यह जन समारोह होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इसमें सफल होंगे।

श्री समर गुह : श्रीमान्, मैं मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं। किन्तु मेरी आशंका यह है कि जो नयाचार है वह नेताजी के जन्म दिन को मनाने में बाधा उत्पन्न करेगा। और यह सही भी है। श्रीमान् मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि गत वर्ष के बजट पर हुए वाद-विवाद के दौरान माननीय विदेश मंत्री ने वचन दिया था कि नेताजी के गतिविधियों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। क्या उन्होंने ऐसा किया है? क्या गत 30 वर्षों के दौरान इस बारे में कोई जानकारी एकत्र की है? क्या इसके लिये कुछ कदम उठाए गए हैं? नेताजी महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने एक क्रांतिकारी सेना बनाई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी एक सेल बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेंगे जो कि विभिन्न देशों तथा अभिलेखागार से नेताजी के जीवन तथा कार्य-कलापों से संबंधित सामग्री एकत्र करेगा।

अध्यक्ष महोदय : शायद इसका उत्तर देने के लिये उन्हें नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु यदि वह अभी उत्तर दे सकते हैं तो दे सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नेताजी की गतिविधियों के बारे में कुछ सामग्री विदेशों में उपलब्ध है। आशा है कि हमें जर्मनी से भी कुछ जानकारी मिल जायेगी। हमने दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने मिशनों का अनुदेश जारी किये हैं कि वे उन अभिकरणों की सहायता करें जो कि इस तरह की जानकारी एकत्रित करने के इच्छुक हों और

यदि आवश्यक समझा जाए तो सांस्कृतिक संबंधों संबंधी परिषद् को यह कार्य करने के लिये कहा जाएगा।

प्रश्नो के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीकी कम्पनी द्वारा सफाई कार्य के लिये भारतीय श्रमिकों का लगाया जाना

*148. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक कम्पनी ने रियाद सऊदी अरब की सफाई के लिये 2000 भारतीय श्रमिक तैनात किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार की पूर्वानुमति ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो अनुमति किन शर्तों पर दी गई?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने एक भारतीय फर्म मेसर्स मेकीनन मैकेनजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को एक अमरीकी कम्पनी मैसर्स वेस्ट मैनेजमेंट-सऊदी प्रीचर्ड जाइन्ट वेनचर की ओर से रियाध, सऊदी अरब में उनकी परियोजना के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के, 2,156 भारतीय श्रमिकों, जिनमें वेयर हाउसमैन, सुपरवाइजर, शिपिंग क्लर्कस्, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स, हाई लाईफ आपरेटर्स, मोटर मैकेनिक्स, हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक्स, टायर सर्विस मैकेनिक्स, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राइवर्स, एकांउटिंग स्टाफ, तकनीशियन, नर्सेस, बारबर्स, कुक्स, अकुशल हेल्पर्स आदि सम्मिलित हैं, को भर्ती तथा रोजगार दिलाने के लिये चार दलों में अनुमति प्रदान की है।

(घ) इस बात की जांच करने के बाद रोजगार दिलाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई कि सऊदी अरब में हमारे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये रोजगार की शर्तें उचित/व्यापक हैं तथा श्रमिकों को मुफ्त भोजन और मुफ्त आवास सहित दिया जाने वाला वेतन पर्याप्त है। रोजगार करार की एक प्रति संलग्न है, जिसमें श्रमिकों के नियोजन की शर्तें दी गई हैं।

[ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1676/78]

बोकारो तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये गये मैंगनीज के मूल्यों में वृद्धि

*149. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1977 के प्रथम सप्ताह में बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले मैंगनीज के मूल्यों में 1 अप्रैल, 1977 से भूतलक्षी प्रभाव से 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से वृद्धि कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन चौथाई मैंगनीज खान मालिकों को मुख्य रूप से लाभ हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वृद्धि 12.20 रुपये प्रति टन के हिसाब से की गई है न कि 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से।

(ख) और (ग) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों को निम्न ग्रेड के मैंगनीज की सप्लाई खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत की जाती है। मल्यों के बारे में किया गया पहला समझौता पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31-3-1977 तक वैध था। इस समझौते के अधीन 1-4-1977 से पूर्व आधार मूल्य 49.80 रुपये प्रति टन था। पिछले समझौते की समाप्ति पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस्पात कारखानों ने मैंगनीज अयस्क के संभारकों के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिये एक नया करार करने के लिये अप्रैल, 1977 में त्रिपक्षीय बातचीत शुरू की थी। हिन्दुस्तान स्टील लि० खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सेल तथा पूर्वी क्षेत्र के खान मालिकों की एसोसिएशन के विशेषज्ञों की एक समिति ने उत्पादन लागत में वृद्धि के दावों की विस्तारपूर्वक जांच की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15-7-1977 को पांच वर्ष की अबधि के लिये एक नया समझौता किया गया है। यह समझौता 1-4-1977 से लागू है और इसमें निम्न ग्रेड मैंगनीज अयस्क का आधार मूल्य 62 रुपये प्रति टन निश्चित किया गया है।

(घ) पिछले दो वर्षों से राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों को निम्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करने वाले खान मालिकों की कुल संख्या लगभग 22 है लेकिन बड़ी मात्रा में सप्लाई लगभग 10 पार्टियों ने की है, जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है :—

क्रम सं०	संभारक का नाम	इस्पात कारखानों को की गई सप्लाई	
		1975–76 (टन)	1976–77 (टन)
1.	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन . . (इसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है)	74488	49668
2.	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (उड़ीसा सरकार का उपक्रम)	11619	75651
3.	मेसर्स रूंगटा सन्स	102410	90404
4.	मेसर्स सिंहभूम माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	38603	48956
5.	मेसर्स एस० लाल एण्ड कम्पनी	7036	11028
6.	मेसर्स आयर्न माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन	21407	18281
7.	मेसर्स के० एल० ठक्कर	662	5915
8.	मेसर्स उड़ीसा मेंगनीज मिनरल कम्पनी	—	46148
9.	मेसर्स जी० सी० जन	3764	7993
10.	मेसर्स एच० जी० पंडया	—	1817
12.	अन्य खान मालिक	4548	5510
	जोड़	2,64,537	3,61,371

औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम का संशोधन

*151. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री चित्त बसु } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक संबंध अधिनियम का संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या है तथा उक्त आशय का विधेयक संसद में कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के वर्तमान कानून हैं जो औद्योगिक संबंध से संबंधित हैं। सरकार का विचार औद्योगिक संबंधों पर एक व्यापक कानून की वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करने का है। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

हड़तालों और तालाबन्दी तथा उन्हें रोकने के लिए समझौता व्यवस्था का उपयोग

*152. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक जनवरी, 1978 को समाप्त होने वाले गत दस महीने की अवधि के दौरान कितनी हड़तालें और तालाबन्दियों की घटनाएं हुई और कितने जन दिवसों की हानि हुई और गत दो वर्षों की अनुरूपी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं? ;

(ख) हड़ताल अथवा तालाबन्दी की घोषणा करने से पूर्व कितने मामलों में समझौता और न्याय निर्णय व्यवस्था का उपयोग किया गया; और

(ग) उन्हें रोकने में इस व्यवस्था से कितने मामलों में सहायता मिली?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अप्रैल से दिसम्बर, 1977 (अनंतिम) तक की अवधि के दौरान तथा 1975 और 1976 (अनंतिम) की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुई हड़तालों और तालाबंदियों तथा उनके कारण हानि हुए श्रम-दिनों की संख्या इस प्रकार थी :—

अवधि	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
I हड़तालों/तालाबंदियों की संख्या	हड़तालें	तालाबंदियां	हड़तालें	तालाबंदियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अप्रैल से दिसम्बर, 1975 तक	209	4	915	227
अप्रैल से दिसम्बर, 1976 तक (अनंतिम)	121	5	891	174
अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक (अनंतिम)	596	6	1298	323

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II हड़तालों/तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिन (दस लाख में)				
अप्रैल से दिसम्बर, 1975 तक	1.11	0.28	3.58	4.12
अप्रैल से दिसम्बर, 1976 तक (अनंतिम)	0.26	0.43	1.43	7.77
अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक (अनंतिम)	3.51	0.07	5.58	8.87

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों से अभी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वह एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

MAGAZINES BROUGHT OUT BY MINISTRY OF STEEL AND MINES

*153. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to lay a statement showing :

(a) the names of publications and magazines brought out by his Ministry/Department during the year, 1977;

(b) the number out of them brought out in Hindi and the reasons for not bringing out the rest in Hindi;

(c) whether it is proposed to bring out in Hindi also all the existing English publications and magazines; and

(d) if so, the steps taken so far in this direction ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Names of publications brought out by the Ministry of Steel and Mines including its attached/ Subordinate offices during the year, 1977, are as under :—

Sl. No.	Name	Brought out by
1.	Annual Report, 1976-77	Department of Steel
2.	Annual Performance Budget, 1977-78	Department of Steel
3.	Iron and Steel Control Bulletin (Quarterly)	Iron and Steel Controller, Calcutta.
4.	Annual Report, 1976-77	Department of Mines.
5.	Annual Performanec Budget, 1977-78	Department of Mines.
6.	Memoirs 106, Part I and II	Geological Survey of India, Calcutta.
7.	Records, 108, Part II and 109 Part II	Geological Survey of India, Calcutta.
8.	Bulletins Series A, No. 41 and Series, B, No. 41	Geological Survey of India, Calcutta
9.	Miscellaneous publications in Series and Parts	Geological Survey of India, Calcutta.
10.	GSI News	Geological Survey of India, Calcutta.
11.	Indian Minerals (Quarterly)	Geological Survey of India, Calcutta.
12.	Directory of Mines and Mining Leases	Indian Bureau of Mines, Nagpur.
13.	Indian Mineral Industries : At a Glance	Indian Bureau of Mines, Nagpur.
14.	Bulletin of Mineral Statistics and Information. (bi-monthly) 6—Issues	Indian Bureau of Mines, Nagpur
15.	Quick Release (Monthly)	Indian Bureau of Mines, Nagpur.
16.	Mineral Statistics of India (Half-yearly)	Indian Bureau of Mines, Nagpur.
17.	Documentation Notes on Mines and Minerals (bi-monthly)	Indian Bureau of Mines, Nagpur.

(b) Four, viz., the publications at S. Nos. 1, 2, 4 and 5 of part (a) are brought out in Hindi also. The publication at S. No. 3 "Iron and Steel Control Bulletin" is in diglot form in English and Hindi together. The Chapters and Table headings of the publication at S. No. 14 "Bulletin of Mineral Statistics and Information" were also published in diglot form.

The publications of the Geological Survey of India (GSI), particularly those at S. Nos. 6 to 9, are of scientific and technical nature and based on original papers submitted by earth scientists and geologists in English. Unless they are translated, for which adequate facilities are not available with the GSI, the publications in Hindi would be difficult.

The publications of the Indian Bureau of Mines (IBM) also give technical data and source informaton about mineral resources and statistics.

(c) and (d) : In view of the scientific and technical nature of the publications, there is no proposal at present to bring out in Hindi all the existing publications. The IBM will shortly be bringing out two publications in Hindi—(i) Bharatiya Khanij Varsha Pustak—1973, and (ii) Rock Drillon Ki Dekh-Bhal aur Anurakshan. As regards some of the other publications, depending upon translation and other facilities, it is proposed to have a phased programme on a selective basis to bring out certain publications in Hindi in these two offices.

मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदानों का जमा न कराया जाना

*154. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ऐसे मालिकों की संख्या, कितनी है, जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अपने अंशदान की राशि जमा नहीं कराई है और दिसम्बर, 1977 तक कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) राशि जमा न कराने और नियमों को लागू करने में केन्द्र के असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) किस प्रकार की उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) निगम अर्द्धवार्षिक आधार पर बकाया राशि के एक वर्ष पुराने स्थिर आंकड़े तैयार करता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में कुल 11,671 नियोजकों ने 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, 30 सितम्बर, 1976 तक के कर्मचारी राज्य बीमा अंशदायों की बाबत रु० 18,97,629.00 की अदायगी में चूक की है।

(ख) सामान्यत: इस चूक का कारण नियोजक द्वारा देय राशियों का भुगतान न करना है। तथापि, नियम लागू करने में निगम का कोई दोष नहीं है और दोषियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) बकाया राशि को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) देय राशियों को भूराजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45ख के अधीन कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की वसूलियां संबन्धी प्रक्रिया में सुधार किया गया

है और इन वसूलियों के लिये क्षेत्रीय निदेशक एक सुपरिभाषित पद्धति का अनुसरण करते हैं।

(ii) दोषी नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 85क, 85ख और 85ग के अधीन अभियोजन भी चलाए जाते हैं।

(iii) बकाया राशियों की शीघ्र वसूली के लिये अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध काननी उपचारों के अतिरिक्त, प्रशासनिक तथा अनुनयात्मक कदम भी उठाए जाते हैं।

नि:शस्त्रीकरण समिति में परिवर्तन करने की मांग

*155. **श्री ब्रज भूषण तिवारी**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र विचार विमर्श समिति गठित करने और नि:शस्त्रीकरण समिति संबंधी जनेवा-आधारित सम्मेलन में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ताकि भविष्य में होने वाली बातचीत में सभी देश भाग ले सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं और महाशक्तियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी विशेष अधिवेशन की तैयारी समिति के सदस्य अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के साथ मिल कर भारत ने निरस्त्रीकरण के उपायों का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति स्थापित करने के संबंध में तैयारी समिति को विभिन्न प्रस्ताव दिए हैं, यह कार्यक्रम अधिक से अधिक 1980 तक महासभा के 35वें नियमित अधिवेशन में पेश किया जाना है। इन प्रस्तावों में निरस्त्रीकरण समिति के जेनेवा सम्मेलन की संरचना और उसकी कार्य-पद्धति में कतिपय परिवर्तन की भी बात कही गई है जिससे कि यह निरस्त्रीकरण वार्ता के लिये अधिक प्रभावकारी तन्त्र के रूप में कार्य कर सके।

इन प्रस्तावों का ब्योरा संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज ए/ए० सी० 187/55/एड–1, में दिया गया है जिसकी एक प्रति संसद की पुस्तकालय में उपलब्ध है।

इन प्रस्तावों को तैयारी समिति में पर्याप्त समर्थन मिला है लेकिन बड़ी शक्तियों ने इन प्रस्तावों पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं की है।

सेलम इस्पात संयंत्र की धीमी प्रगति

*156. **श्री रागावलू मोहनरंगम**
श्री के० मायातवेर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात परियोजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) परियोजना की मूल योजना में बार-बार होने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) योजनाओं में बार-बार परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है, और

(घ) इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए निश्चित समयबद्ध कायक्रम का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सेलम स्टील परियोजना के प्रथम चरण की, जिसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है प्रगति सन्तोषजनक है और कार्य समय अनुसूची के अनुसार हो रहा है।

(ख) और (ग) मई, 1972 में जब सरकार ने परियोजना की शक्यता रिपोर्ट के आधार पर पूंजी-निवेश का निर्णय लिया था तो उस समय, 1,95,000 टन वार्षिक उत्पादन के लिए 340 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था। इसके पश्चात सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर उत्पादन को बढ़ाकर 2,20,000 टन कर दिया गया था ताकि अतिरिक्त पूंजी लगाए बिना आरम्भिक सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके। सरकार ने अब मार्च 1976 तक हुई मूल्य-वृद्धि के लिए आवश्यक समन्जन करके, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना की लागत अनुमान के लिए 560 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसमें प्रथम चरण के लिए 126.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

(घ) प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 32,000 टन बेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों तथा स्ट्रिप का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

उत्पादन के वर्ष 1981 के अन्त तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

देश में औद्योगिक अशान्ति

*157. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औद्योगिक अशांति ने गंभीर रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो हड़तालों/तालाबन्दियों से प्रभावित हुए एककों तथा बेकार गए जन-दिवसों की संख्या, राज्यवार उत्पादन में अनुमानित हानि तथा प्रभावित हुए महत्व पूर्ण उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में औद्योगिक शान्ति फिर से स्थापित करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं/किए जाने हैं; और

(घ) क्या श्रम मंत्रालय देश के चुने हुए उद्योगों/क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति के कारणों का गहरा अध्ययन करेगी जिससे उपयुक्त कार्रवाई की जा सके?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

(क) और (ख) हड़तालों/तालाबदियों से प्रभावित एककों, नष्ट हुए श्रम दिनों, उत्पादन में अनुमानित हानि, राज्य-वार और मुख्य-मुख्य उद्योगों के अनुसार वर्ष 1977 के सम्बन्ध में और जनवरी से दिसम्बर, 1976 के महीनों के संबंध में प्रति विवाद नष्ट हुए श्रम दिनों के संबंध में उपलब्ध सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 से 5 में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर स्थापित औद्योगिक संबंध तंत्र मध्यस्थता, समझौता, न्याय-निर्णय अथवा विवाचन के माध्यम से वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्था के अधीन जैसा भी संभव है, काम-बंदियों को कम करने के लिए प्रयास करता रहता है। समय-समय पर नियोजकों व कर्मचारियों से अपीलें की गई हैं कि वे संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग व सलाह-मशविरे का रास्ता अपनाये। इनका सामान्यतः स्वागत किया गया।

कारगर तन्त्र की व्यवस्था द्वारा औद्योगिक विवादों को शीघ्र तय करने के उद्देश्य से औद्योगिक शांति तथा सामंजस्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक को अंतिम रूप दे रही है।

काम बंदी के परिणामस्वरूप होने वाले औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार की गई वार्षिक पुनरीक्षा में मजदूरी-दरें तथा भत्ते, बोनस, कार्मिक छंटनी, अनुशासनहीनता तथा हिंसा, छुट्टी तथा कार्य का बोनस तथा अन्य मुख्य कारण वर्ग अनुसार औद्योगिक विवादों का कारण-वार विश्लेषण दिया जाता है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के नौकरों की स्थिति

*158. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिसम्बर, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अपने साथ अनेक भारतियों की नौकरों के रूप में कार्य करने के लिए विदेश ले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ काम करने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या वहां वे अधिकारी इन भारतीयों के साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार करते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे भारतीयों को देश में वापिस लाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां। लेकिन 30 दिसम्बर, 1977 के "इंडियन एक्सप्रेस" में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इसे तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

(ख) इस समय विदेश में कार्य करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) विदेश में भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी के साथ काम करने वाला कोई भी भारतीय देश-प्रत्यावर्तन के लिए कहने को स्वतंत्र है और नियमों में ऐसे देश-प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है। इसलिए उनके साथ गुलामों या बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक

*159. **श्री एस० पी० मुरुगय्यन**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों का चौथा संयुक्त सम्मेलन 29 से 31 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में हुआ।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों के इस संयुक्त सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। इन प्रस्तावों की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों क्षेत्रों को जहां-कहीं आवश्यक हो कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गयी है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेज दें।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 1678/78]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए भारत के अंशदान में वृद्धि

*160. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जनेवा को अंशदान देना बंद किया जाने की दृष्टि से भारत ने इस संगठन को दिये जाने वाले अपने अंशदान में वर्ष 1978 और 1979 के लिए कुछ प्रतिशत वृद्धि करने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी तथा कितनी किस्तों में दी जाएगी और वर्ष 1976, 1977, 1978 और 1979 के लिए भारत के अंशदान की कुल राशि कितनी है ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापन सदस्य होने के नाते भारत को इस संगठन के शासी निकाय में एक स्थायी अनिर्वाचित स्थान प्राप्त है; और यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के सहभागिता का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य अधिकारियों के नाम क्या हैं और वर्ष 1976 तथा 1977 में इस पर वार्षिक व्यय कितना हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क)जी, हां।

(ख) 1,25,000 अमरीकी डालर दो समान किस्तों में।

भारत द्वारा, 1976-78 के वर्षों के संबंध में दिए गए अंशदान इस प्रकार थे:—

1976 97.49 रु० (लाखों में)

1977 86.89 रु० (लाखों में)

1978 52.00 रु० (लाखों में) (लगभग)

1979 देय राशि का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा किया जाएगा जो जून, 1978 में होगा।

(ग) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय में भारत को एक स्थायी अनिवार्चित स्थान प्राप्त है।

सदन की मेंज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 1976 और 1977 के संबंध में विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय सहभागिता	मुख्य कार्मिकों के नाम	किया गया कुल खर्च
1	2	3
I. वर्ष 1976 के संबंध में		
1. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 199वां सत्र और उसकी ग्रुप बैठकें।	श्री डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय।	5,63,155 रु० (लगभग)
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 61/वां सत्र।	श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी, केन्द्रीय श्रम मंत्री।	
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 62वां (मेरिटाइप) सत्र।	श्री एच० एम० त्रिवेदी, राज्य मंत्री जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई, दिल्ली।	
4. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के शासी निकाय का 201 वां सत्र और उसकी ग्रुप बैठकें।	डा० एन० ए० आगा, सचिव, श्रम मंत्रालय।	
II. वर्ष 1977 के संबंध में		
1. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 202वां सत्र और उसकी ग्रुप बैठकें।	डा० एन० ए० आगा, सचिव, श्रम मंत्रालय।	
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 63वां सत्र।	श्री रवीन्द्र वर्मा, केन्द्रीय संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री।	3,89,630 रु० (लगभग)।

1	2	3
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 204 वां सत्र और उसकी ग्रुप बैठकें।	डा० एन० ए० आगा, सचिव, श्रम मंत्रालय।	

ब्रिटेन में जातीय सम्बन्ध

*161. **डा० बलदेव प्रकाश**
श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की हाल की भारत की यात्रा के दौरान उनके साथ जातीय संबंधों और भारतीय राष्ट्रीकों पर हमलों के बारे में बातचीत की गई थी; और

(ख) क्या ब्रिटेन में भारतीयों की जान तथा माल की रक्षा करने के लिए किसी ठोस कार्यवाही पर विचार किया गया था?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन के प्रधान मत्री का कहना था कि एशियाई समुदायों के विरुद्ध जातीय भेदभाव बरतने वालों के साथ निबटने के लिए यूनाईटेड किंगडम में पर्याप्त कानूनी व्यवस्था है और उनकी सरकार ऐसे किसी जातीय भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगी। यदि ऐसे कोई मामले हों जिनमें यूनाइटेड किंगडम में भारतीय राष्ट्रिकों के जान और माल की रक्षा नहीं हो पाई है, तो भारत सरकार ऐसे मामलों को ब्रिटेन की सरकार के साथ उठायेगी।

एशियाई साझा बाजार

*162. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **विदेश** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में 28 जनवरी, 1978 (इन्डियन एक्सप्रैस, 29 जनवरी, 1978) को उनके द्वारा दिये गये भाषण में उन्होंने जिस बड़े एशियाई साझा बाजार की बात की थी उस बारे में सरकार के विस्तृत विचार क्या हैं;

(ख) क्या इस विचार पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बंगलादेश सरकारों से बात हुई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार ने इस प्रस्ताव को किन आधारों पर ठुकराया है जैसा 3 फरवरी, 1978 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्रकाशित हुआ है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) महोदय, मैंने हैदराबाद में बड़े एशियाई साझा बाजार के विचार का समर्थन नहीं किया। लेकिन 28 जनवरी, 1978 को हैदराबाद में "बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसमें भारत की भूमिका" विषय पर बोलते हुए मैंने ईरान से इडोचीन प्राय: द्वीप तक विस्तृत अन्योन्याश्रय की अपेक्षाकृत व्यापक संकल्पना के भविष्य के बारे में कुछ सामान्य बातें कही थीं तथा सुझाव दिये थे। मैंने एक ऐसे समान और प्रभुतासंपन्न राष्ट्रों के समुदाय की कल्पना की थी जो अपनी राष्ट्रीय सम्पदा, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों और अपनी संस्कृति और परम्परा से एक दूसरे को सम्पन्न बना सकें। जैसाकि विदित है जनता सरकार ने अपने निकट पड़ौसियों के साथ मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने

के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। क्षेत्रीय सहयोग की संकल्पना सरकार की उस इच्छा का ही विस्तार है कि अपने पड़ौसी देशों के साथ मित्रता और परस्पर लाभप्रद सहयोग के निकटतर संबंध विकसित किये जाएं। इन विचारों को एक ठोस रूप ग्रहण करने में काफी समय लगेगा। लेकिन क्षेत्रीय सहयोग की नींव रखने के उद्देश्य से द्विपक्षीय स्तर पर प्रयत्न करने होंगे: यह सम्बद्ध सभी देशों की सहर्ष सहमति से ही हो सकता है।

(ख) ईरान के शहनशाह की यात्रा के दौरान, इस क्षेत्र के देशों के बीच बृहत्तर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। यह महसूस किया गया कि प्रारंभ में इस प्रकार के सहयोग में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापार नीति, औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा कृषि, परिवहन, पर्यटन और संचार के क्षेत्रों में परस्पर सहायता को शामिल किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने इन विचारों को ठोस रूप देने के उपाय खोजने के लिए एक दूसरे के साथ आगे विचार विमर्श करने का निश्चय किया।

अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को मैंने इस विषय के बारे में अपनी विचारधारा से अवगत कराया था। इस मामले पर अब तक इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

(ग) समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनसार पाकिस्तान सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने एशियाई साझा बाजार की संकल्पना को अस्वीकार किया है। दूसरी ओर हमने 6 फरवरी, 1978 की एक पाकिस्तान की प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसके अनुसार यह बताया गया है कि जनरल जिया उल हक ने यह कहा है कि यदि द्वीपक्षीय या बहुपक्षीय आधार पर व्यापार और अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ सहयोग का विचार प्रस्तुत किया जाता है तो इस बात का सुनिश्चय करने के लिए उसका यथार्थपरक विश्लेषण होना चाहिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित पूर्णतया सुरक्षित हो जाये। यदि यह रिपोर्ट सही है तो कह सकते हैं कि इस विषय में पाकिस्तान का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है।

नये प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय खोला जाना

1330. श्री पद्मचरण सामन्त सिंहेरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नये प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोलने और पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो नये प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस स्थान पर खोला जाएगा और इसमें कितना व्यय आएगा;

(ग) वर्ष 1977-78 तक देश में कितने प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल चल रहे हैं और कहां-कहां; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धन राशि का प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) फिलहाल कोई नया प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्राकृतिक चिकित्सा का राष्ट्रीय संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करने में रुचि रखती है और वह प्राकृतिक चिकित्सा में प्रशिक्षण और अध्ययन पलंगों के रख-रखाव के लिए अनेक संस्थाओं को सहायता अनुदान दे रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में बहुत से प्राकृतिक अस्पताल हैं। उनमें से भारत सरकार ने 25 स्वैच्छिक प्राकृतिक संस्थाओं को वर्ष 1976-77 के दौरान प्रशिक्षण तथा अध्ययन पलंगों के रख रखाव के लिए सहायता अनुवाद दिया। ऐसे संस्थानों को सूची संलग्न है।

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए 4.5 लाख रुपए का प्रावधान है।

विवरण

(1) राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र,
गंगशहर रोड, बीकानेर, (राजस्थान)।

(2) प्राकृतिक चिकित्सा मन्दिर,
टीकमगढ़, (मध्य प्रदेश)।

(3) कमला आरोग्य मन्दिर,
यवतमाल, संकट ओवन रोड,
महाराष्ट्र-445001।

(4) प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान,
राजगीर, नालन्दा जिला,
बिहार।

(5) अखिल भारत मानव सतसंग मण्डल,
आनन्द निकेतन, निकतैया, बरेली (उत्तर प्रदेश)

(6) प्राकृतिक चिकित्सालय,
बापू नगर,
जयपुर-302004।

(7) प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र,
पट्टी कल्याण,
करनाल (हरियाणा)।

(8) श्री कृष्ण आदर्श प्राकृतिक चिकित्सालय,
समालखा मण्डी, करनाल,
हरियाणा।

(9) हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय,
भिवानी, हरियाणा।

(10) काकातीया प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
फोर्ट रोड, वारांगल-506022 ।
आन्ध्र प्रदेश ।

(11) श्री सनातन धर्म प्राकृतिक चिकित्सालय,
कैंट रोड, अम्बाला कैंट, हरियाणा ।

(12) बोर्ड आफ ट्रस्टीस,
श्री राम कृष्ण प्राकृतिक आश्रम,
भीमावरम, आन्ध्र प्रदेश ।

(13) जीवन प्राकृतिक चिकित्सालय,
गालिबपुर, जिला मुजफ्फर नगर,
उत्तर प्रदेश ।

(14) एस० एल० स्वामी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
तुलसीवरम, नलगोण्डा जिला,
आन्ध्र प्रदेश ।

(15) श्री बोडे अपारो प्राकृतिक चिकित्सालयम,
काकीनाडा-3 ।

(16) प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम,
अमरावती रोड
नागपुर-440010 ।

(17) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
शास्त्री नगर, कुड्डापा ।

(18) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
तमाडा पल्ली बरास्ता धानपुर,
जिला बारंगल-506143 ।

(19) 2 नौवी मेन रोड,
तृतीय खण्ड, जगन्नायान,
बंगलौर-560011 ।

(20) कस्तुरबा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
शिवरमपल्ली, हैदराबाद-500252 ।

(21) शांतीकुटी प्राकृतिक चिकित्सालय,
गोपुरी, वर्धा, महाराष्ट्र ।

(22) प्राकृतिक चिकित्सालय,
रानीपतरा, पूर्णिया जिला, बिहार

(23) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
विशाखा पत्तनम, आन्ध्र प्रदेश ।

(24) गांधी प्राकृतिक चिकित्सा कालेज,
हैदराबाद ।

(25) गांधी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल,
हैदराबाद ।

दवाइयों का जाली संगठन

1331. **डा० सरदीश राय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन जालसाजों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो ऐसे बहुत से जाली संगठनों के माध्यम से करोड़ों रुपये कमाते हैं जो बहुत सी बीमारियों को तत्काल राहत पहुंचाने की पेशकश करते हैं तथा जो डाक द्वारा धोखाधड़ी करने की योजनाओं के माध्यम से जाली फर्मों द्वारा डाक्टरी के जाली सामान की बिक्री करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 किसी औषधि या चमत्कारिक उपचार के ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन को विनियमित, नियंत्रित और निषिद करता है जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी रोग, विकार या दशा के निदान, रोग मुक्ति, शमन, उपचार या निवारण के लिए उस औषधि का ऐसे शब्दों में वर्णन किया गया हो जिससे उसका सुझाव या उसका उपयोग प्रकल्पित होता हो । इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे भुलावा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन भी निषिद्ध है जिनमें औषधियों के झूठे या बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए हों । उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं । इसलिए इस बारे में राज्य सरकारों को जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच संबंधित अधिकारी करते हैं और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करते हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से पत्र

1332. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति कार्टर द्वारा अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान अपने विदेश मंत्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) से कही गई इस आशय की टिप्पणी की जानकारी है कि वाशिंगटन लौटने पर, अमरीकी सरकार को परमाणु मसले पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में उन्हें एक स्पष्ट और दो टूक जवाब वाला पत्र भेजना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण के बारे में अमरीकी सरकार के गैर-सहानुभूतिपूर्ण रुख का पता चलता है; और

(ग) क्या उनका यह विचार है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सम्बन्धों को सुधारने के मामले में भारत को परमाणु मुद्दे को ताक पर रख देना चाहिए और तारापुर संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन के लिए अन्य स्रोतों को ढूंढ़ना चाहिए ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच के परमाणु सहयोग से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमें आशा है कि दोनों देशों के बीच के सम्बन्ध इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि इन दो लोकतांत्रित देशों के बीच किसी खास मुद्दे पर उत्पन्न किसी भी मतभेद को समाप्त किया जा सकता है हम यह भी उम्मीद करते हैं कि तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई जारी रहेगी।

सर्वाधिक कुष्ठरोगियों की संख्या वाला राज्य

1333. **डा० रामजी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सर्वाधिक कुष्ठरोगियों वाले राज्य का नाम क्या है और बिहार के प्रत्येक जिले में उनकी संख्या कितनी है,

(ख) क्या भागलपुर जिले में कुष्ठरोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कोई विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है,

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कुष्ठरोगियों की सेवा में संलग्न भागलपुर जिले की संस्थाओं को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी, और

(घ) क्या सरकार को भागलपुर कुष्ठरोग अस्पताल से अनुदानों के बारे में कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तमिलनाडु में अनुमानित कुष्ठरोगियों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् 7.82 लाख है। बिहार राज्य के जिलों में कुष्ठरोगियों की अनुमानित संख्या के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने पहले ही ऐसा कर दिया है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन भागलपुर जिला में केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित यूनिट और केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं :—

1. कुष्ठ नियंत्रण यूनिट—4 (4 लाख जनसंख्या के लिए एक)

2. सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र—15 (25,000 जनसंख्या के लिए एक)

3. शहरी कुष्ठ केन्द्र—1

इसके अलावा भागलपुर जिले में दो स्वेच्छिक संगठन, अर्थात् भागलपुर लप्रोसी होम और अस्पताल जिसमें 200 पलंग हैं और न्यु लेप्रोसी असाइतम जिसमें 51 पलंग हैं, भी कार्य कर रहे हैं।

(घ) अभी तक नहीं।

विवरण

1971 की जनगनणा के आधार पर बिहार में 1972 में अनुमानित कुष्ठरोगियों की जिलावार अनुमानित संख्या ।

जिला का नाम	जनसंख्या (1971 जनगणना लाखों में)	कुष्ठरोगियों की अनुमानित संख्या
(1)	(2)	(3)
1. पटना	35.57	12,800
2. गया	44.57	40,200
3. साहाबाद	39.39	9,100
4. सरन	42.79	39,000
5. चम्पारन	35.43	8,400
6 मुजफ्फरपुर	48.41	45,000
7. दरभंगा	52.34	12,500
8. मुंगेर	38.93	34,000
9. भागलपुर	20.91	18,700
10. सहरसा	23.50	5,600
11. पूर्निया	39.42	9,200
12. संतल परगनाज	31.87	60,000
13. पलामऊ	15.04	3,600
14. हजारीबाग	30.20	13,000
15. रांची	26.11	11,200
16. धनबाद	14.66	8,000
17. सिंहभूमि	24.38	8,900
बिहार	563.53	3,39,200

जंगीपुर और रघुनाथगंज पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों का एक स्थानीय क्षेत्र बनाना

1334. **श्री शंशांक शेखर सान्याल :** क्या **संचार** मंत्री पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन प्रभारों में अन्तर के बारे में 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगीपुर और रघुनाथगंज के दो एक्सचेंज क्षेत्रों को एक स्थानीय क्षेत्र बनाने के प्रश्न की पुनः जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ।

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) रघुनाथगंज और जंगीपुर के बीच में भागीरथी नदी होने के कारण ये स्थान एक दूसरे से अलग हैं । यह एक प्राकृतिक बाधा है । इन दोनों स्थानों के बीच एक पुल के अभाव में इन दोनों टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थानीय क्षेत्रों को मिला कर एक कर देना व्यवहार्य नहीं है ।

पूनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, क्विलोन, केरल की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

1335. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, क्विलोन, केरल के प्रबन्धकों ने कम्पनी के कर्मचारियों और श्रमिकों की भविष्य निधि अंशदान की बहुत अधिक राशि भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मिल्स के प्रबन्धकों द्वारा गत 3 वर्षों में, वर्षवार जमा न की गई राशियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचित किया है :—

(क) से (ग) मैसर्स पूनालूर पेपर मिल्ल लिमिटेड, पूनालूर (क्विलोन जिला) एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आता है । स्टाफ सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27क के अन्तर्गत छूट प्राप्त है और उनके भविष्य निधि लेखे मैसर्स पूनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड द्वारा रखे जाते हैं ।

श्रमिकों के भविष्य निधि लेखे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रखे जा रहे हैं ।

नियोजक ने छूट-प्राप्त कर्मचारियों और छूट न प्राप्त कर्मचारियों दोनों ही के संबंध में आज तक की देय राशि अदा कर दी है तथा दिसम्बर, 1977 तक उनकी ओर कोई बकाया राशी नहीं है तथापि इस प्रतिष्ठान में काम करने वाले कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों को जनवरी 1977 से सदस्य बनाया जाना था । नियोजक ने उन से कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान नहीं काटा है लेकिन जनवरी तथा फरवरी 1977 के संबंध में कर्मचारियों तथा नियोजक के अंशदान के हिस्से की देय राशियों को अदा कर दिया है । मार्च से अक्तूबर 1977 तक की बकाया अंशदान की राशि (तालाबंदी अवधि अर्थात् 18-5-1977 से 16-10-1977 तक को छोड़कर) का हिसाब नियोजक द्वारा लगाया जा रहा है और नियोजक ने बकाया राशि को शीघ्र ही भेजने का वचन दिया है । नवम्बर 1977 (मजदूरी

माह) से इन नैमित्तिक कर्मचारियों के संबंध में अंशदान मासिक देय राशि के साथ अदा कर दिए गए थे। नैमित्तिक कर्मचारियों के संबंध बकाया राशि अनुमानतः 14,000/- रुपए होगी।

सरकार द्वारा औद्योगिक विवादों का समाधान

1336. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक वातावरण में सुधार करने की दृष्टि से गत दस महीनों में सरकार ने समाधान करवाने के लिए कितने औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप किया ;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या विवाद में हस्तक्षेप किसी पार्टी के अनुरोध पर किया गया अथवा स्वेच्छा से ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संसदीय क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए प्रार्थना की गई है। सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ALL INDIA WORKING CLASS CONSUMERS PRICE INDEX

1337. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of Parliamentary Affairs and Labour be pleased to state the twelve monthly average of All India Working Class Consumers' Price Index (base year 1960-100) and monthly figures thereof from November, 1977 to 28th February, 1978 ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVENDRA VERMA) : A statement giving the information for the months of November and December, 1977 is attached. Information for the months of January and February 1978 is not yet available.

STATEMENT

Statement showing all India average Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial Workers and twelve monthly moving averages.

(1960 = 100)

Month	Monthly Index Numbers	12 monthly moving average
November, 1977	330	319·08
December, 1977	330	321·08

DISPARITY IN PAY SCALES OF ALLOPATHIC DOCTORS AND DOCTORS OF INDIGENOUS SYSTEMS AND HOMOEOPATHY

1338. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether there are three pay scales available for the Doctors of the Allopathic system of medicine under the Central Government Health Scheme and the Doctors incharge are given the pay scale of Rs. 700—1300 and there is provision of selection grade also whereas their counterparts in indigenous systems of medicine and Homoeopathy do not get these pay scales;

(b) whether the payment of incharge allowance has been discontinued to the Doctors Incharge in the indigenous systems of medicine and Homoeopathy even though the duties of the Doctors of the three systems of medicine are similar;

(c) if so, the reasons for this discrimination; and

(d) whether Government propose to pay Doctors' Incharge allowance to the Doctors Incharge in the Indigenous systems of medicine again and also to provide selection grade for them with a view to create avenue of promotion for them ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The posts of doctors of modern system of medicine sanctioned for the CGHS Dispensaries are included in the Central Health Service. The scales of pay for categories of medical officers of the Central Health Service posted in the CGHS Dispensaries, as recommended by the IIIrd Pay Commission, are Rs. 700-1300 and 1100-1600. The doctors of Indigenous Systems of Medicine and Homoeopathy and Allopathic doctors, not included in the Central Health Service, are given the scale of pay of Rs. 600-50-1200 as recommended by the Third Pay Commission.

(b) & (c) The payment of Incharge allowance has been discontinued both for doctors of the Allopathic as well as the Indigenous Systems of Medicine and Homoeopathy.

(d) No such proposal is under consideration at present.

SCHEME FOR PAYMENT OF P. F. AND GRATUITY TO WORKER ON THE DAY OF RETIREMENT

1339. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of Parliamentary Affairs and Labour be pleased to state :

(a) whether Government are preparing any scheme to ensure the payment of provident fund and gratuity the same day a worker or an employee retires;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether such a proposal has been received by Government from Gujarat and from another State and whether Government's attention has been drawn to similar press reports also; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR & PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) There is no such Scheme under consideration. The Employees Provident Funds Scheme provides that the Commissioner shall make prompt payment. Rule 8 of Gratuity (Central) Rules, 1972 provides that within 5 days of the receipt of an application for payment of Gratuity the employer shall, if the claim is found admissible, fix a date not being later than the 30th day after the date of receipt of the application for payment thereof.

(b) Does not arise.

(c) No

(d) Does not arise.

प्रधान मंत्री को चीन की यात्रा के लिए निमन्त्रण

1340. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार द्वारा चीन की यात्रा हेतु प्रधान मन्त्री और उनके लिए भेजा गया निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश की यात्रा कब शुरू होने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) चीन की यात्रा के लिए न तो प्रधान मन्त्री को निमन्त्रण प्राप्त हुआ है न विदेश मन्त्री को ।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

कांडला में विदेश डाकघर का खोला जाना

1341. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला में जहां इसकी अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, सरकार का एक विदेश डाकघर खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यातायात के आंकड़ों के आधार पर वहां एक विदेश डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है ।

महलों में स्थायित्व और पायसीकारकों का उपयोग

1342. **श्री किशोर लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री महलों में स्थापित और पायसीकारकों के उपयोग सम्बन्धी प्रारुप नियम 61-क और 61-ख के नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने के बारे में 24 नवम्बर, 1977 के अतांरांकित प्रश्न संख्या 1470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग से उक्त नियमों का हिन्दी अनुवाद इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है और यदि नहीं, तो उस राजपत्र की तारीख और अन्य ब्योरा क्या है जिसमें उक्त नियम प्रकाशित किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) हिन्दी रूपान्तर प्राप्त हो गया है परन्तु मसौदा अधिसूचना के कुछेक उपबन्धों के संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों पर केवल हाल ही में विधि मंत्रालय से चर्चा की जा सकी ।

नियमों को बहुत जल्दी प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

प्रधान मंत्री द्वारा बड़ी शक्तियों (सुपर पावर्स) के मध्य परमाणु निरस्त्रीकरण करने का समझौता कराने की पेशकश

1343. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि भारत ने निस्त्रीकरण, विशेषतया परमाणु निरस्त्रीकरण कराने के उद्देश्य से दोनों बड़ी शक्तियों (रूस तथा अमरीका) के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) 18 जनवरी, 1978 की संयुक्त राज्य अमरीकी कांग्रेस के 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिसका नेतृत्व लिस्टर वुल्फ ने किया था, बातचीत के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि शांति का सुनिश्चिय करने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि सन्देहों को दूर किया जाए क्योंकि वे शस्त्र और युद्ध के कारण हैं। प्रधान मत्री ने यह भी कहा था कि सन्देहों को दूर करने और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत व्यस्था के रूप में कार्य करने को तत्पर रहेगा।

(ख) तनाव को कम करने और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने, विशेषकर नामिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में सहयोग करने में भारत सरकार की निष्ठा की सराहना की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952

1344. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव मिले हैं कि आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को सम्मिलित किया जाये ताकि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत चलाये गए मुकदमें आपराधिक कानूनों के समय सीमा संबंधी उपबन्धों के अन्तर्गत न आ सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1977 को अपनी 74वीं बैठक में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की इस सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 में शामिल किया जाना चाहिए। बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सरकार को विचारार्थ प्राप्त हो गया गया है।

भवन-निर्माण ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को 'टर्मिनल, लाभों की अदायगी

1345. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भवन निर्माण ठेकेदार अपनी परियोजनाओं पर लगाये गये ठेका श्रमिकों को "टर्मिनल' लाभों की अदायगी नहीं करते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश के भवन निर्माण उद्योग में लगे ठेका-श्रमिकों को "टर्मिनल" लाभ देने हेतू कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (ग) यह मामला वस्तुत: राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। उपदान संदाय अधिनियम के अधीन देय उपदान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन देय छटनी/कामबन्दी प्रतिकर जैसे अधिकृत टर्मिनल लाभों के अभिकथित अदायगी न किए जाने के विशिष्ट मामले, यदि कोई हो, समुचित सरकारों, के ध्यान में लाये जा सकते हैं और पीड़ित पक्ष उनके माध्यम से अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। ये समुचित सरकारें आम तौर पर संबंधित राज्य सरकारें होती हैं।

RAPESEED OIL INJURIOUS TO HEALTH

1346. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the rapeseed oil imported from foreign countries last year has proved injurious to health; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

SHRI JGDAMBI PRASAD YADAV : MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE : (a) and (b) Rape-seed oil is not by itself harmful. Two consignments of rapeseed oil, imported into Calcutta in 1977, were reported to contain hydrocyanic acid. The Government of West Bengal, however, assured to Government of India that the consignments would not be released unless the oil was got properly refined and re-checked to meet the standards laid down in Prevention of Food Adulteration Rules.

DISCOURTESY SHOWN TO INDIANS BY INDIAN EMBASSY IN U.S.A.

*1347. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the letter to the Editor in the Indian Express, Delhi edition dated the 22nd December, 1977 drawing attention to the increasing indifference and discourtesy shown towards Indian Citizens by Indian Embassy, consultates, Travellers' Bureau, Air India and State Bank of India in U.S.A.; and

(b) if so, whether any effort has been made to remedy the situation after proper enquiry and the success achieved in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS SHRI SAMARENDRA KUNDU : (a) Government have seen the letter to the Editor of the Indian Express of 22nd December 1977;

(b) The contents of the letter were referred to our Consulate General in Chicago as the letter to the Indian Express complained about the working of Government of India and other Indian Offices in Chicago. The Consulate have informed us that they have not received any complaint in respect of issue or renewal of passport nor have they received any complaints regarding trade enquiries. The Consulate General have also not received any complaints regarding the functioning of the Tourist Office, the State Bank of India or the Air India office in Chicago. Moreover the complaints are of general nature and no specific instances given.

इजराइल तथा ताइवान के साथ राजनैतिक सम्बन्ध

1348. **श्री कुंवर लाल गुप्त**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजराइल तथा ताइवान से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित न करने के क्या कारण हैं, जबकि कुछ अन्य देशों द्वारा इन्हें मान्यता दी गई है, और

(ख) इन दोनों देशों से सम्बन्ध सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : सरकार अभी इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना ठीक नहीं समझती क्योंकि सरकार इजराइल द्वारा अपने पड़ोसी देशों के प्रदेश पर बल पूर्वक अधिकार कर लेने के विरुद्ध है। सरकार यह भी मानती है कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके वैध अधिकार वापस दिलाए जाने चाहिए। उस क्षेत्र में कोई शांतिपूर्ण समझौता हो जाने के बाद सरकार इस मामले पर फिर से विचार करेगी। जहां तक ताइवान का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि यह चीन लोक गणराज्य का ही एक हिस्सा है। अतः भारत द्वारा इसे अलग से मान्यता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

SETTING UP OF NEW TELEPHONE EXCHANGES IN U.P.

†1349. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether Government decided to set up some new telephone exchanges in Uttar Pradesh; and

(b) if so, when these telephone exchanges would be set up as also the number and locations thereof ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : Yes, Sir.

(b) Setting up of new exchanges in the country is a continuous process. In U.P. 27 new exchanges are being set up during 1977-78 as per details enclosed.

Statement

NEW TELEPHONE EXCHANGES TO BE SET UP IN U.P. DURING 1977-78

Sl. No.	Name of the Place.	District	Remarks
1	2	3	4
1.	Ghosi .	Azamgarh	Commissioned
2.	Maharajganj	Azamgarh	,,
3.	Dwarhat	. Almora	,,
4.	Basantpur .	. Ballia	,,
5.	Bansdih	Ballia	,,
6.	Barhni	Basti	,,
7.	Haraiya	Basti	,,
8.	Mundarwa	. Basti	,,
9.	Soheratgarh	. Basti	,,
10.	Kachla	. Badaun	,,
11.	Riccha	. Bareilly	,,
12.	Nurpur	. Bijnor	,,
13.	Pahasu	. Bulandshahar	,,
14.	Rabupura	. Bulandshahar	,,

1	2	3	4
15.	Burhwal	Barabanki	Commissioned
16.	Raja Ka Rampur	Etah	,,
17.	Sikandara	Etawah	,,
18.	Baoni	Jalaun	,,
19.	Shergarh	Mathura	,,
20.	Kithora	Meerut	,,
21.	Mustafabad	Rai Bareilly	,,
22.	Allaganj	Shahjahanpur	,,
23.	Jang Bahadurganj	Sitapur	,,
24.	Tambarr	Sitapur	,,
25.	Gauriganj	Sultanpur	,,
26.	Gangapur	Varansi	,,
27.	Matera	Bahraich	To be commissioned by 31 March, 1978.

बड़े नगरों में यौन रोगों को फैलने से रोकना

1350. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बम्बई विश्व के उन पहले दस नगरों में है जहां यौन रोगों (सेक्स संचारी रोग) से पीड़ित रोगियों की संख्या अधिकतम है, जैसा कि बम्बई में 12 जनवरी, 1978 को हुए पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यक्त किया गया था ;

(ख) देश में विशेष रूप से बड़े नगरों में यौन रोगों के फैलने को रोकने के लिए सरकार ने किन दीर्घावधि और अल्पावधि उपायों की योजना बनाई है, और

(ग) सेक्स संचारी रोगों पर हुए पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गए इस विषय के लेखों और पारित संकल्पों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनके नियत्रण के लिए क्या तरीका सुझाया गया है और सरकार ने क्या प्रभावकारी कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) (1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से देश में 237 काम पारेषित रोग क्लिनिक खोल दिए हैं । इनमें से अधिकांश क्लिनिक बड़े बड़े कस्बों और शहरों में खोले गये हैं ।

दवाइयों के व्यसनी व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय कानून

1351. चौधरी ब्रह्मप्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली **औषध व्यसन** समिति ने समस्या से निपटने के लिये एक ही केन्द्रीय कानून बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसा कानून कब तक बनाये जाने का विचार है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

NORTH-SOUTH CONFERENCE

†1352. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether in order to reduce the economic disparities between the developing and the developed countries of the world and extension of co-operation by the rich countries towards the progress of the poor countries, an effort was made in the form of North-South Conference in Paris last year but success was not achieved in the direction; and

(b) whether India has taken any initiative so far to restart North-South talks; if not, the steps proposed to be taken by Government of India to end the deadlock and to end intensify the efforts in this regard ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The Conference on International Economic Cooperation was held in Paris for a period of 18 months and concluded in June, 1977. While some progress was registered at that Conference, it fell far short of its agreed objectives.

(b) The recently concluded 32nd Session of the UN General Assembly to which the results of the Paris Conference had been transmitted, has established an Overview Committee of the Whole to monitor the progress of discussions on North-South issues. India is a member of the Committee and is taking an active part to ensure that the negotiations on multilateral economic issues are fruitful.

केन्द्रीय भविष्य निधि के कर्मचारियों और उनके आश्रितों (वार्डस्) के लिये छात्रवृत्ति कोष का बनाया जाना

1353. श्री के० राममूर्ति : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि के कर्मचारियों और उनके आश्रितों (वार्डस) के लिये दो छात्रवृत्ति कोष बनाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें छात्रवृत्ति कोषों के ब्योरे दिये गये हैं।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 2 जुलाई, 1977 को नई दिल्ली में हुई अपनी 72वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि रजत जयन्ती छात्रवृत्ति कोष नामक एक कोष स्थापित करने की सिफारिश की ताकि इस सगंठन के रजत जयन्ती समारोह की यादगारी में कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्तियां दी जा सकें। कर्मचारी भविष्य निधि के ऐसे सदस्यों के लड़कों और लड़कियों को, जिनका वेतन (परिलब्धियां जिन पर भविष्य निधि की बाबत कटौतियां की जाती हैं) 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है और जिन्हें निधि में अशदान देते हुए दस या दस से अधिक वर्ष हो गये हैं, 30 छात्रवृत्तियां मजूर की जांएगी—पन्द्रह छात्रवृत्तियां चिकित्सा-पाठ्यक्रमों के लिये और 15 इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिये।

इन छात्रवृत्तियों के लिये धन की व्यवस्था उस आय में से की जाएगी जो निधि के 'जब्ती खाते' में पड़ी राशियों में से 70 लाख रुपये की राशि को किसी 'अनुसूचित बैंक' में कम से कम 61 महीनों के लिये आवधिक निक्षेपों में निवेश करके प्राप्त होगी।

2. बोर्ड ने यह सिफारिश की कि संगठन के कर्मचारियों के लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये उपर्युक्त कोष के नमूने पर एक और कोष स्थापित किया जाए। छः छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, तीन इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिये और तीन चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये। इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के पात्र ऐसे कर्मचारियों के अभिरक्षण बालक या बालिकायें होंगी। जिन्होंने दस वर्ष की सेवा कर रखी हो तथा जो प्रतिमाह 1000 रुपये तक वेतन पा रहे हों जैसा कि एफ० आर० 9(21) में परिभाषित हैं। इस कोई के के लिये किसी अनुसूचित बैंक में 61 महीनों से अन्यून अवधि के लिये वास्तविक जमा निक्षेपों में 12 लाख रुपये निवेश करने होंगे। यह राशि सगठन द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के प्रशासन प्रभारों में से अनुपाती आधार पर निवेश की जानी है।

3. सरकार ने, बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्तियां मंजूर करने तथा उस संबंध में खर्चा करने की स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि 'डे स्कालरों' के लिए यह छात्रवृत्ति प्रतिमाह 100 रुपये और रिहायशी स्कालरों के संबंध में प्रतिमाह 125 रुपये होगी जैसा कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा कुपोषण का सर्वेक्षण

1354. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने उन बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो गंभीर किस्मों के कुपोषणों के शिकार हैं, कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या ऐसे कुछ मामलों का भी पता चला है कि जो जहां बच्चे बहुत समय से चले आ रहे कुपोषण के शिकार हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सूखारोग जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण शिशुओं में आम पाया जाता है जबकि स्कूलपूर्व बच्ची में दोनों प्रकार के प्रोटीन केलोरी कुपोषण देखे गये। दोनों वर्गों के स्कूल पूर्व आयु के बच्चों में से चालीस-चालीस प्रतिशत बच्चे मामूली तथा दर्मयाना दर्जे के कुपोषण से पीड़ित पाए गए। स्कूलपूर्व आयु के बच्चों के 85% बच्चों में गंभीर दर्जे का कुपोषण पाया गया। लड़के और लड़कियों में हीनपोषण का दर्जा एक जैसा ही था।

कुपोषण को स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या समझते हुए भारत सरकार कमजोर वर्गों के लिये विभिन्न पोषण कार्यक्रम चला रही है जो नीचे दिए गए हैं:—

1. पूरक आहार कार्यक्रम:

(क) शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित शहरों की गंदी बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलपूर्व बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लये विशेष पोषण कार्यक्रम।

(ग) **बालवाडी आहार कार्यक्रम**: स्कूलपूर्व बच्चों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित ।

2. अन्य कार्यक्रम :

(क) प्रायोगिक पोषण कार्यक्रम :—ग्राम विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित।

(ख) बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अंधेपन की रोकथाम,—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

(ग) माताओं और छोटे बच्चों में अपोषणज अरक्तता की रोकथाम—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित।

(घ) एकीकृत बाल देख रेख विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) पैकेज सेवाए प्रदान कर रहा है जिनका कार्यान्वियन समाज कल्याण विभाग करता है।

FOREIGNERS IN STEEL PLANTS

1355. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be please to state :

(a) the number of foreigners still working in steel plants in public sector in the country and the annual expenditure being incurred on them;

(b) whether it is a fact that Indian personnel are capable of performing the jobs being performed by foreigners; and

(c) if so, the justification for incurring such a huge expenditure on them and the action to be taken by Government to send back the foreigners and appoint Indian people in their place in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The number of foreign experts presently working in Bhilai, Rourkela and Bokaro Steel Plants and the estimated expenditure on them for 1977-78 are indicated below. There are no foreign experts in Durgapur Steel Plant and Indian Iron and Steel Company Limited.

Sl.	Plant	No. of Foreign Experts (Feb., 1978)	Estimated expenditure in 1977-78 (In lakhs).
1.	Bhilai Steel Plant	54	Rs. 36·08
2-	Rourkela Steel Plant .	4 (on short term basis)	DM 6·20 plus Rs. 3·68 & 3·69 Australian Shilling.
3.	Bokaro Steel Ltd.	321	Rs. 234

(b) & (c) : In Bhilai, 11 foreign experts are employed on operation and maintenance jobs and look after areas of technological innovation and heavy capital repairs of equipment which sometimes require certain modification and improvements at site. The remaining 43 are engaged in connection with construction/erection of new units under 4.0 Mt expansion stage of the Plant. These units are of a very sophisticated nature and indigenous expertise is not available in these areas.

At Rourkela Steel Plant, foreign experts have been engaged only on short-term basis for repairs/commissioning and maintenance or erection purposes.

As all designs are based on Detailed Project Reports originally prepared by the Soviets foreign specialists in Bokaro Steel Plant are required for project supervision and such other problems as may arise during construction. These specialists render assistance in erection, adjustment and commissioning of equipment, carry out site supervision and provide essential advisory services. A number of these specialists are also required to ensure availability of guarantees for equipments supplied from USSR.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का कार्य निष्पादन और कार्य के परिणाम

1356. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के 31 दिसम्बर, 1977 तक कार्य निष्पादन और कार्य के परिणाम क्या हैं और इससे पहले वर्ष की उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) फिर से कारखाने को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये आरम्भ किये गये प्रत्येक उपाय की प्रगति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जानकारी इस प्रकार है :—

		(टन)
(1) उत्पादन	अप्रैल से दिसम्बर, 77	अप्रैल से दिसम्बर, 76
कोक (सूखा)	808,451	702,051
तप्त धातु	684,654	706,131
इस्पात पिण्ड	487,505	490,868
विक्रेय इस्पात	373,007	391,833
स्पन पाइप	35,336	75,065
ढली वस्तुएं आदि	22,037	23,212
(2) कार्य परिणाम (अनुमानित)		(लाख रुपये)
प्रचालन हानि	760	3
ब्याज	1046	762
मूल्यह्रास	561	447
वास्तविक घाटा	2367	1212

(ख) (1) संयंत्र प्रतिस्थापन योजना का लगभग 90% कार्य पूरा हो गया है।

(2) उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादिता का स्तर बनाए रखने के लिये अन्य पूंजीगत योजनाओं को भी एक-एक करके कार्यान्वित किया जा रहा है। नवम्बर 1977 में एक नई कोक ओवन बैटरी की स्थापना की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी गई है कि इसकी लागत 27 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका निर्माण कार्य आरम्भ होने वाला है।

(3) कम्पनी उत्पादन में विविधता लाने, लोहे और इस्पात बनाने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और एक सिन्टरन संयंत्र लगाने के लिये विभिन्न योजनाएं बना रही हैं।

(4) यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के तथा इसकी प्रौद्योगिकी, उत्पादन तथा वित्तीय समस्याओं के लिये बेहतर प्रबन्ध करने हेतु इस समय कम्पनी में केन्द्रीय सरकार के जो शेयर हैं उन्हें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को अन्तरित कर दिया जाए। इस प्रकार इस्को 'सेल' की एक सहायक कम्पनी बन जाएगी। यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पार्टियों के पास कम्पनी के जो शेयर हैं, उन्हें अर्जित करके सेल को अन्तरित कर दिया जाए ताकि सेल के पुनर्गठन के पश्चात् इस्को अन्ततः सेल का एक प्रभाग बन जाए।

(5) कम्पनी की वित्तीय समस्याओं की जांच की गई और है यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1977–78 से शुरू हुए वर्ष से लेकर अगले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत योजनाओं पर खर्च करने के लिये दी गई वित्तीय सहायता को इक्विटी माना जाए। नकद हानियों (कैश लास) को पूरा करने के लिये अगले तीन वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएं। यह भी निर्णय लिया गया है कि नकद

हानियों को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में कम्पनी को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिये तीन वर्षों की छूट दी जाए। अगले दो वर्षों में कम्पनी को दिये जाने वाले ऋणों पर पर भी इसी प्रकार की छूट दी जाए अथवा नहीं इसका निर्णय परिणामों को देखने के बाद पश्चात लिया जायेगा।

आपातकाल के दौरान नसबंदी के कारण मृत्यु

1357. **श्री ईश्वर चौधरी**
श्री एस० एस० सोभानी
श्री आर० के० महालगी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आपातकाल के दौरान नसबन्दी के कारण से देश पर्यन्त मरे लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन व्यक्तियों के बारे में भी आंकड़े हैं, जिनकी मृत्यु जबरदस्ती नसबन्दी करने के कारण से हुई ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री) : (क) आपात-काल में नसबन्दी आपरेशन के कारण हुई मौतों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी मृत्यु की प्रत्येक शिकायत/घटना के बारे में विस्तृत रूप से जांच की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार आपातकाल में जबरन नसबन्दी आपरेशन के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई। परन्तु 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक आपरेशन के बाद 1133 मौतें होने की शिकायत/सूचना सरकार को मिली है।

डाक की एक्सप्रेस डिलीवरी बन्द करना

1358. **श्री आर० कालनथाईवेलू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक की एक्सप्रेस डिलीवरी बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या तार देने पर अधिक खर्च आने को देखते हुए सरकार का विचार डाक की एक्सप्रेस डिलीवरी की व्यवस्था को पुनः चालू करने का है ताकि जनता की वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जा सके ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) विभाग के कार्य कुशलता ब्यूरो (एफिसेंसी ब्यूरो) द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद तुरत वितरण सेवा 1974 में समाप्त कर दी गई थी। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ था कि प्रेषण के दौरान जब तक इन

डाक वस्तुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता तब तक इस सेवा का वांछित प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इन वस्तुओं पर विशेष कार्रवाई करने का खर्च उठाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जनता के दृष्टिकोण से भी इस सेवा की उपयोगिता सीमित पाई गई थी और यह सेवा संतोषजनक भी नहीं थी।

(ख) जी नहीं।

सलाहकार समितियों की बैठकें

1359. **डा० बापू कालदाते :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी लोक सभा के पहले, दूसरे तथा तीसरे सत्र के दौरान सलाहकार समितियों की कितनी बैठकें हुई ;

(ख) प्रत्येक समिति की कितनी बैठकें हुई, कहां-कहां हुई, तथा उन बैठकों में औसतन कितने सदस्य उपस्थित रहे; और

(ग) इन बैठकों में, समिति-वार, किन-किन महत्वपूर्ण मदों पर विचार किया गया ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) छठी लोक सभा के पहले सत्र के दौरान सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं की गई। दूसरे और तीसरे सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या क्रमशः 3 और 16 है।

(ख) सत्रावधि के दौरान सलाहकार समितियों की बैठकें केवल नई दिल्ली में ही होती हैं। इस अवधि के दौरान हुई बैठकों की समितिवार संख्या और उनमें सदस्यों की औसतन उपस्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) वर्ष 1977 के दौरान हुई सभी सलाहकार समितियों की बैठकों में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई उन्हें विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया है जो यथा-समय सदस्यों को परिचालित कर दिया जायेगा।

विवरण

क्रमांक	मंत्रालय का नाम	की गई बैठकों की संख्या	सदस्यों की औसतन उपस्थिति
1	2	3	4
1.	कृषि और सिंचाई	1	17
2.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता	1	18
3.	रक्षा	1	11
4.	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति	1	25

1	2	3	4
5.	ऊर्जा	1	6
6.	वैदेशिक कार्य	2	17
7.	गृह कार्य	2	20
8.	उद्योग	1	23
9.	सूचना और प्रसारण	1	13
10.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य	1	11
11.	पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	1	12
12.	योजना	1	14
13.	रेल	1	32
14.	नौवहन और परिवहन	1	17
15.	इस्पात और खान	1	10
16.	पर्यटन और नागर विमानन	1	21
17.	निर्माण और आवास तथा पूर्ति एवं पुनर्वास	1	9

विदेशों में नौकरी करने के लिये प्राप्त आवेदन पत्र

1360. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन भारतीयों के सम्बन्ध में कोई नई नीति तैयार की है जो विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं।

(ख) विदेशों में नौकरी करने के इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त कितने आवेदन पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) गत छः महीनों में ऐसे कितने आवेदन पत्र निपटाये गये और इसी अवधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गए ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं। लेकिन इस नीति पर विचार हो रहा है और हमारा उद्देश्य यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो वास्तविक भर्ती को उदार बनाया जाए।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बनाई गई सूचियों में 31 दिसम्बर, 1977 को विशेषज्ञों की संख्या 29,963 थी।

(ग) 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली छिमाही में इन सूचियों में से 7563 उम्मीदवारों को कम से कम एक बार अवश्य प्रायोजित किया गया था और इस

सीमित अर्थ में उनके आवेदन पत्रों को निपटा दिया गया था। सूची में पंजीकृत किसी भी उम्मीदवार के आवेदन-पत्र को इस रूप में अस्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि असफल प्रयोजन के बाद भी उम्मीदवार का नाम सूची में रखा जाता है और उसके पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में उस पर दुबारा भी विचार हो सकता है।

अमरीका की एक फर्म से 'नो ब्रेक पावर प्लाण्ट्स का आयात

1361. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने अमरीका की एक फर्म से 'नो ब्रैक पावर प्लाण्ट्स' का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन ने बिना जांच पड़ताल किए ही इसका आयात किया था, और

(ग) डाक तथा तार विभाग को दोषपूर्ण आयातित माल तथा उसके कार्यकरण से कुल कितनी हानि हुई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। फिर भी विभाग ने फर्म को सप्लाई के आर्डर देने का अन्तिम रूप से फैसला करने से पहले उस फर्म के इस प्रकार के सप्लाई किए गए उपस्करों से सम्बन्धित रिकार्ड देख लिए थे।

(ग) उस फर्म के साथ अभी पत्राचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में हानि का अनुमान लगाने का प्रश्न असामयिक है।

ऐजेंसियों द्वारा भारतीय श्रमिकों की भर्ती

1362. **श्री शिवनारायण सरसूनिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती को नियमित बनाने के लिए आपात काल के दौरान एक आदेश जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार पंजीकृत इन एजेंसियों के नाम क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) जून, 1976 में सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार कोई भी फर्म, संगठन या व्यक्ति विदेश में नियुक्ति के लिए भारत से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती नहीं करेंगे जब तक इस उद्देश्य के लिए उसे श्रम मन्त्रालय द्वारा पंजीकृत न किया गया हो और विधिवत लाइसेंस न दिया गया हो। श्रम मन्त्रालय को इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय शाखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। विदेशी फर्मों और संगठनों को भी कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों की सीधी भर्ती करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि वे इस केन्द्रीय शाखा के साथ पंजीकृत

किसी भारतीय कम्पनी/संगठन को, केन्द्रीय शाखा की मान्य शर्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए अपनी ओर से कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं । विदेशों में परामर्शदाता/निष्पादन कार्य में व्यस्त भारतीय फर्मों/संगठनों को उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में सेवा के लिए श्रम मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित की जाने वाली रोजगार की शर्तों पर कुशल अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की सीधी भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ग) अब तक पंजीकृत की गई एजेंसियों की राज्यवार सूची संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1679/78]

SETTING UP OF A NATURAL SKIN DISEASE HOSPITAL AT SURYA KUND IN HAZARIBAGH DISTRICT

1363. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Suryakund (Barkattha) in Hazari Bagh District of Bihar is the source of hot water spring from which very hot water containing sulphuric acid comes out in which rice can be cooked in 15 minutes.

(b) whether it has been proved that any type of incurable disease is cured by daily bath in that water continuously for a month;

(c) whether this place is situated in a very beautiful hill terai and on G.T. Road where a mela is organised for 10 days on the occasion of Makar Sankranti in which lakhs of people participate and this is a spot of tourist attraction also; and

(d) if the answer to the parts above be in the affirmative, whether Government propose to set up a natural skin disease hospital there for the benefit of skin disease and leprosy patients of the country and if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के विचार

1364. **श्री के० ए० राजन :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल संघ के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार, कि यह व्यवहार्य नहीं है की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के विचार को व्यवहार में मूर्तरूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा 25 जनवरी,

1978 को जयपुर में प्रेस कान्फ्रेंस में, प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता के बारे में कुछ टीका-टिप्पणियां की गई बताई जाती हैं।

(ख) इन प्रेस रिपोर्टों से प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता के बारे में सरकार की बुनियादी नीति के कोई परिवर्तन नही हुआ है।

(ग) उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में, जिसमें प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर भाग लेना शामिल है, तथा इक्विटी में श्रमिकों के भाग लेने के सम्पूर्ण प्रश्न पर प्रबन्ध और इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता विषयक समिति द्वारा इस समय गहराई से विचार किया जा रहा है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार कार्यवाही करेगी।

जबलपुर इन्दौर, ग्वालियर में दोषपूर्ण टेलीफोन सेवा और सीधा डायल करने की व्यवस्था द्वारा राज्यों की राजधानियों से इनका सम्पर्क स्थापित करना

1365. **श्री शरद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में गत चार महीनों से टेलीफोनों के दोष-पूर्ण कार्यकरण की शिकायतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि में कितनी शिकायतें की गई तथा गत दो वर्षों में कितनी ;

(ग) इन शहरों को सीधी डायल प्रणाली द्वारा महत्वपूण नगरों तथा राज्यों की राजधानियों और भारत की राजधानी से सम्बद्ध करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) दूरसंचार व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले चार महीनों के दौरान तीनों एक्सचेंज प्रणालियों में शिकायतों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इन तीनों एक्सचेंज प्रणालियों में पिछले चार महीनों के दौरान प्रति 100 टेलीफोनों पर शिकायतों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

	सितम्बर, 77	अक्तूबर, 77	नवम्बर, 77	दिसम्बर, 77
इन्दौर	78.5	63.8	58.0	50.0
जबलपुर	111.0	93.0	99.0	76.0
ग्वालियर	98.0	84.0	84.0	80.0

इन तीनों प्रणालियों में पिछले दो वर्षों में प्रति 100 टेलीफोनों पर शिकयतों की औसत संख्या इस प्रकार थी :—

	1975	1976
इन्दौर	67.2	65.7
जबलपुर	मैनुअल एक्सचेंज था— तुलना सम्भव नहीं है	68.5
ग्वालियर	77.2	82.2

(ग) इन्दौर से भोपाल, बम्बई और दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। इन्दौर से बम्बई, दिल्ली और मद्रास ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों से जुड़े सभी स्थानों के लिए रियायती दर की अवधियों के दौरान डायल करने की सेवा भी सुलभ है। ग्वालियर और जबलपुर को भी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पर जोड़ने की योजना है। विभिन्न महाइक्रोवेव योजनाओं को पूरा करने का काम विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। इन योजनाओं से इन शहरों के लिए स्थायी संचार माध्यम सुलभ हो जाएगा।

ग्वालियर से आगरा और दिल्ली के लिए प्वाइंट-टु-प्वाइंट उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने का प्रस्ताव है। ग्वालियर को प्रस्तावित आगरा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़ने की भी योजना है। इसी प्रकार जबलपुर को भोपाल के प्रस्तावित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। इन उपायों से इन शहरों से अन्य महत्वपूर्ण नगरों और राज्यों की राजधानियों के लिए उत्तरोत्तर उपयोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा दी जा सकेगी।

(घ) एक्सचेंज उपस्करों का ओवरहाल किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के यंत्रों और उनकी फिटिंग की भी जांच करके उनकी पूरी मरम्मत की जा रही है ताकि शिकायतों और दोषों की संख्या कम हो जाए। क्रासबार एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उनका स्तर उत्तरोत्तर ऊंचा किया जा रहा है।

कनिष्ठ इंजीनियरों को टी० ई० एस० के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें और उन में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या

1366. **श्री भगत राम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ इंजीनियरों की टी० ई० एस० ग्रुप बी० के पद पर पदोन्नति के लिए गत पांच विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें किन किन तिथियों को हुई;

(ख) वर्ष 1974, वर्ष 1975 वर्ष 1976 और वर्ष 1977 के दौरान टी० ई० एस० ग्रुप बी० (अर्थात पदोन्नतियां और सेवा नियृत्ति आदि के कारण नए बनाए गए पद) में वर्षवार कुल कितने रिक्त पद थे;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की पिछड़ी बैठक जिसमें मई, 1977 में टी० ई० एस० ग्रुप बी० में पदोन्नति के लिए 898 कनिष्ठ इंजीनियरों की सूची तैयार की गई थी,

तीन वर्षों के अन्तराल के बाद बुलाई गर थी और यदि हां, तो चुने गए कनिष्ठ इंजीनियरों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोंगों की कनिष्ठता का पुनः निर्धारण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या भविष्य में कनिष्ठ इंजीनियरों को टी० ई० एस० ग्रुप बी० में पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हर वर्ष बुलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) टी० ई० एस० ग्रुप बी० के अधिकारियों की टी० ई० एस० ग्रुप ए० में पदोन्नति के लिए पिछली पांच विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें कब की गई थीं और कितने रिक्त पदों के लिए सूची तैयार की गई थी और प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कितने अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय लोगों की पदोन्नति की गई?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) 1. 20-7-71 से 26-7-71

2. 28-8-72 से 31-10-72

3. 30-3-73 से 30-7-73

4. 18-1-74 से 23-5-74

5. 25-2-76 से 30-3-77

(ख)

1974	327
1975	392
1976	406
1977	633

(ग) जी नहीं। पिछली विभागीय पदोन्नति समिति की बठक 25–2–76 से आयोजित की गई थी बकि उससे पहले की बैठक 18–1–74 से 23–5–74 तक आयोजित हुई थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चुने जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता फिर से नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनकी वरिष्ठता मौजूदा आदेशों के अन्तर्गत सही-सही नियत की गई थी।

(घ) चूंकि मौजूदा नाम-सूची में तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप बी० में तरक्की के लिए चुने गए अधिकारी अभी भी उपलब्ध हैं, इस लिए अन्य विभागीय पदोन्नति समिति की शीघ्र ही एक और बैठक का आयोजन करना उचित नहीं होगा।

(ङ) वांछित सूचना नीचे दे दी गई है:—

क्रम संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख	तैयार की गई नाम सूची	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	12/13–3–73	65	—	—
2.	25 से 28–3–74 तक	100	3	—
3.	1 और 16 से 18-4-75 तक	100	—	—
4.	15, 16, 17, 19 और 23-6-76	120	21	2
5.	14, 15 और 30-11-77 तथा 1-12-77	120	7	—

SETTING UP OF LABOUR TRIBUNALS FOR AGRICULTURAL LABOURERS

1367. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether there are no labour tribunals for agricultural labourers for deciding their cases to ensure them quick justice at nearby places in respect of their wages while there are tribunals for labour other than agriculture; and

(b) whether Central Government propose to set up labour tribunals for providing justice to the large number of such helpless agricultural labourers.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) Disputes concerning agricultural workers employed in organised farms which are run as trade or business and are industry for purposes of the Industrial Disputes Act can be referred to labour courts/industrial tribunals. Claims for payment of wages lower than the rates fixed under the Minimum Wages Act or for remuneration for a day of rest or work done on such a day or for wages at overtime rate can be made before the Claims Authority appointed under the Act. The problems of agricultural and unorganised workers were recently considered at a Special Conference on Rural Unorganised Labour held on the 25th January 1978 and action has been initiated in the light of its recommendations.

DEVELOPING AYURVEDIC MEDICINE FOR BIRTH CONTROL

1368. SHRI RAGHAVJI : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the details of the efforts made for developing Ayurvedic medicines for birth control during the last five years; and

(b) the names of the medicines in respect of which tests have been successful as also the number of medicines undergoing tests ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) For developing Ayurvedic medicines for birth control, the Central Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy (CCRIMH) has established the following clinical and chemico-pharmacological screening units :—

1. Regional Research Institute, Trivandrum (Kerala).
2. Regional Research Institute, Calcutta (West Bengal).
3. Dr. A. Lakshmipati Unit for Research in Indian Medicine, Madras (Tamil Nadu).
4. Central Research Institute for Ayurveda, Patiala (Punjab).
5. Family Welfare Research Project, Lucknow (Uttar Pradesh).
6. Family Welfare Research Project, Bombay (Maharashtra).
7. Family Welfare Research Project, Varanasi (Uttar Pradesh).
8. Chemico-Pharmacological Research Project, Trivandrum, (Kerala);
9. Chemico-Pharmacological Research Project, Jamnagar (Gujarat).
10. Chemico-Pharmacological Research Project, Bhubaneswar (Orissa).
11. Chemico-Pharmacological Research Project, Varanasi (Uttar Uradesh).

(b) Studies/trials are being conducted on 21 drugs/recipes. Efforts are being made to finalise the results of trial testing of the formulations which have yielded encouraging results.

चालू वर्ष के लिए लौह अयस्क के उत्पादन लक्ष्य में कमी

1369. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान लौह-अयस्क का उत्पादन लक्ष्य कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्पादन कम करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है, और

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) चूंकि लौह-अयस्क के वार्षिक उत्पादन-लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं अतः लौह-अयस्क के उत्पादन-लक्ष्य में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन विश्व इस्पात उद्योग में काफी मन्दी के रूप से तथा इसके परिणाम-स्वरूप विदेशों में इसकी मांग में काफी गिरावट आने के कारण निर्यात के लिए लौह-अयस्क के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कुछ डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

1370. **श्री के० प्रधानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ला यह सच है कि डाक तार विभाग ने वर्ष 1977-78 के दौरान देश के कुछ शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बनाने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाने संबंधी राज्य-वार तदा विशेषकर उड़ीसा राघ्य के संदर्भ नें विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	सर्किल	1-4-77 से 31-1-78 तक उन डाकघरों की संख्या जिनका दर्जा बढ़ाया गया
1	2	3
1.	आन्ध्र	7
2.	बिहार	5

1	2	3
3.	दिल्ली	4
4.	गुजरात	15
5.	जम्मू व कश्मीर	—
6.	केरल	17
7.	कर्नाटक	3
8.	मध्य प्रदेश	10
9.	महाराष्ट्र	3
10.	उत्तर पूर्वी	1
11.	उत्तर पश्चिमी	6
12.	उड़ीसा	3+1 का दर्जा फरवरी, 78 में बढ़ाया गया था
13.	राजस्थान	18
14.	तमिलनाडु	7
15.	उत्तर प्रदेश	7
16.	पश्चिम बंगाल	13
	योग .	119+1

उड़ीसा राज्य में वर्ष 1977-78 में जिन शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया/बढ़ाया जाना है, उनके नाम :—

दर्जा बढ़ाया गया	दर्जा बढ़ाया जाना है
1. रासगोविन्दपुर	1. गुरंडिया
2. विश्वनाथपुर	2. बरखमा
3. सुमांडलो	3. ओलावर
4. कुर्टूमगढ़	4. खुटगांव
	5. आबूना
	6. हुलुर्सिंगा

गुजरात में श्रम विवादों का निपटारा

1371. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ श्रम-विवाद निपटारे के लिए गत एक वर्ष में उनके पास भेजे गए हैं; और

(ख) वह कितने मामले निपटा सके हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अनुमानतः संकेत उन श्रम विवादों की ओर है जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समुचित सरकार, गुजरात सरकार है। पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय श्रम मन्त्री को इस प्रकार का कोई विवाद नही भेजा गया।

लघु इस्पात मिलों को कच्चे माल और बिजली की सप्लाई के लिए कार्यवाही

1372. **श्री गंगाधर अप्पा बुराण्डे :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु इस्पात कारखानों की पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल और बिजली की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार लघु इस्पात संयन्त्रों को कच्चे माल की सीधा सप्लाई नहीं करती है। फिर भी, लघु इस्पात संयन्त्रों की सहायता करने के लिए सरकार ने मेल्टिंग स्क्रेप पर आयात शुल्क और सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त किए गए हैवी मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया है। जब कभी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की देशीय आपूर्ति, लघु इस्पात संयन्त्रों की आवश्यकता से कम हुई है तो सरकार ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात की अनुमति भी दे दी है। हाल ही में देशीय आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट श्रेणी की कुछ मात्रा आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती रही है कि जहां तक सम्भव हो लघु इस्पात संयन्त्रों को निरन्तर तथा निर्विरोधी आधार पर बिजली की आपूर्ति के जाये। लेकिन, वास्तविक बिजली आपूर्ति, विभिन्न राज्यों में बिजली की कुल उपलब्धि तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किसी विशेष समय में इस उद्योग को दी गई अपेक्षाकृत प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

RAISING THE STATUS OF RASHTRIYA AYURVED SANSTHAN

1373. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the efforts being made by Government to raise the status of Rastriya Ayurved Sansthan (National Ayurvedic Institute), Jaipur;

(b) the present annual budget of the said institute and the number of the teachers and students therein; and

(c) the manner in which State Government and Central Government would be represented in the management of this institute ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The National Institute of Ayurveda, Jaipur, is being developed to fulfil its aims and objects.

(b) An amount of Rs. 27.04 lakhs has been provided in the budget of the Institute for 1977-78. There are 34 teachers, 12 Vaidyas, 412 undergraduate and 23 post-graduate students in the Institute.

(c) The Governing Body of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, consists of eight representatives/nominees of the Government of India, six representatives of the Government of Rajasthan and the Director of the Institute.

हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा निर्मित हिमासाइक्लीन कैप्सूलों के बारे में जांच

1374. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5159 और 8 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा निर्मित वर्ष 1973 में लिए गए नकली हिमासाइक्लीन कैप्सूलों में आक्सीटेट्रेसाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड कैसे पाई गई थी जबकि इस औषध के निर्माण हेतु इस कम्पनी को लाइसेंस 14-1-1974 को दिया गया था;

(ख) क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि नकली औषधियों के इस मामले की जांच ठीक प्रकार से नहीं की गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के एक जिम्मेदार विशेषज्ञ द्वारा उपरोक्त मामले की दोबारा जांच कराये जाने का आदेश देना वांछनीय नहीं है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोल्यूशनरी फेडरेशन द्वारा प्रधान मंत्री को धमकी भरा पत्र

1375. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "द यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोल्यूशनरी फैडरेशन, यू० एस० डिवीजन, नार्थ अमेरिकन कमांड" द्वारा प्रधान मन्त्री को सम्बोधित एक धमकी भरे पत्र अथवा दस्तावेज की प्रतियां गत नवम्बर, और/अथवा दिसम्बर में विदेशों में स्थित हमारे बहुत से दूतावासों तथा मिशनों को प्राप्त हुई थीं;

(ख) हमारे ये दूतावास और/अथवा मिशन किन किन देशों में स्थित हैं;

(ग) क्या उक्त पत्र अथवा दस्तावेज की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सम्बन्धित देशों की सरकारों द्वारा इस मामले में छानबीन अथवा जांच किए जाने के पश्चात इस बात का पता लगा है कि उक्त पत्र अथवा दस्तावेज के पीछे कौन सा विशेष स्रोत है; और

(च) क्या भारत सरकार ने उक्त जांचों में अपना सहयोग दिया था; और यदि हां, तो किस प्रकार ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे पत्र केवल संयुक्त-राज्य अमरीका में ही प्राप्त हुए थे।

(ग) पत्रों का मूलपाठ संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1680/78]**।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। लेकिन इनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(च) धमकी भरे पत्र स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों को दे दिए गए ताकि वे उनकी छान-बीन कर लें। आनन्द मार्ग के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के नाम भी उन्हें बता दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में मांगी गई सभी प्रकार की सहायता यथासम्भव उपलब्ध कराई गई है।

PELLETISATION PLANT IN BASTAR DISTRICT OF MADHYA PRADESH

1376. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the answer given to S.Q. No. 344 on the 8th December, 1977 and state :

(a) whether the proposal to set up Pelletisation plant in Bastar district of Madhya Pradesh has been finalised; and whether consultant Engineers have been appointed; if so, the progress made so far in this regard; and

(b) the names of the parties who submitted the tenders in October, 1977 and the value of each tender and the time by which this work is likely to be started and the amount of capital likely to be invested therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) M/s. Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd., were appointed as Consultants for this project in November, 1976. The tenders received in October, 1977 for construction of the plant and subsequent clarifications received in January, 1978, are under detailed evaluation by the NMDC/MECON. Finalisation of the proposal to set-up a pelletisation plant based on the utilisation of iron ore fines from Bailadila in District Bastar would, however, depend upon a long-term tie-up being secured for sale of pellets and the availability of requisite financial resources with the overall priorities.

(b) Tenders have been received in October, 1977 from the following parties :—

(1) Allis-Chalmers, USA.
(2) Lurgi Chemi, West Germany.
(3) HEC, Ranchi.
(4) LKAB, Sweden.
(5) MET-CHEM, Canada.

It is not possible to indicate the value of each tender and estimated cost of the plant at present. The question of commencement of work would arise only after an investment decision on the project has been taken.

बीड़ी हथकरघा तथा काजू उद्योगों में मंजूरी में समानता

1377. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में परम्परागत उद्योगों तथा बीड़ी, हथकरघा, काजू आदि उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों की मजूरी तथा काम की शर्तों में किसी प्रकार की समानता लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और उसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन बीड़ी, काजू और हथकरघा उद्योगों के सम्बन्ध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं।

तथापि, बीड़ी श्रमिकों को मजदूरी दरों में असमानता को कम करने के लिए सितम्बर, 1974 में नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि मजदूरी दरों में संशोधन करके उन्हें प्रति हजार बीड़ी बनाने के लिए 4.50 रुपये से 5.00 रुपये तक कर दिया जाए। दक्षिणी क्षेत्र के राज्य श्रम मन्त्रियों के 27 जनवरी, 1978 को हुए सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति हुई कि मई, 1978 तक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिल नाडु के बीड़ी श्रमिकों को मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से यह स्वीकार किया गया कि प्रति हजार बीड़ियों बनाने के लिए मजदूरी दरें 5.50 रुपये और 6.00 रुपये के बीच हों।

दक्षिणी क्षेत्र के राज्य मन्त्रियों के उसी सम्मेलन में काजू उद्योग के श्रमिकों की मजदूरी दरों में असमानता की समस्या पर भी विचार किया गया और यह निर्णय हुआ कि काजू उद्योग में मजदूरी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाए।

देश भर में हथकरघा उद्योग में समान न्यूनतम मजदूरी दरें अनेक कारण से व्यवहार्य नहीं समझी जातीं।

MEDICAL FACILITIES FOR T.B. PATIENTS IN BASTAR DISTRICT

1378. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMLY WELFARE be pleased to state :

(a) whether in almost every village of Bastar District in Madhya Pradesh 3 or 4 families are suffering from T.B.;

(b) if so, whether it is a fact that there is no T.B. hospital there and proper medical facilities are not available to the patients; and

(c) if so, whether Government will take suitable steps to make available medical facilities to the people of the area ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) According to the National Sample TB Survey conducted in 1955–58 and confirmed by subsequent small scale surveys about 15% per thousand population are suffering from radiologically active TB diseases of which nearly 1/4th are sputum positive or infectious. Since the survey also indicated that the prevalent rate of TB disease is almost of the same order in urban as well as rural population and assuming that the average population of a village is estimated to be about 800 to 1,000, it may be presumed that there are 10 to 15 TB patients suffering from radiologically active TB disease of whom 3 to 4 would be sputum positive or infectious in every village in the country. As regards Bastar District, details are being ascertained.

(b) & (c) A District TB Centre to undertake district-wise TB programme in association with the other peripheral health and medical institutions has already been established at Jagdalpur in Bastar District. A full set of X-ray unit with Odelca camera, laboratory equipment and a vehicle has also been supplied to the District TB Centre to organise this programme. In addition, a ten-bedded TB yard has already been established by the State Government in Jagdalpur for in-patient treatment of acutely ill/emergent cases. Under the Centrally Sponsored Scheme, anti-TB drugs are being supplied to the District TB Centre on receipt of the demand for demiciliary treatment of TB patients including those who are living in the village. To intensify the case finding activities, especially in the rural population, the States have been advised to involve all health workers posted in the Primary Health Centres for collection of sputum smears of chest symptomatics during their routine visits to the villages/areas allotted to them and to get them examined at the respective PHCs, ensuring their continuous and regular treatment. For speedy coverage of the susceptible population living in the villages by BCG vaccination, it has also been decided to integrate BCG vaccination activities wth the general health and medical services. For this purpose, all the health workers at PHCs and sub-centre level are being trained in the technique of vaccination. BCG vaccine is supplied to the States free of cost under the Centrally Sponsored Programme during the 5th Plan period.

उड़ीसा में सरकारी चिकित्सा यूनिटों के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता

1379. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सरकारी चिकित्सा यूनिटों अथवा अस्पतालों के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) स्वास्थ्य सेवा के योजना-बद्ध विकास में प्रत्येक ब्लाक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा में 314 ब्लाक हैं तथा 314 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा 1976 में उड़ीसा में 240 अस्पताल तथा 338 डिस्पेंसरियां चल रही थीं। राज्य के विभिन्न संस्थानों में 11,683 पलंग हैं। इस तरह कुल मिलाकर पलंगों और जनसंख्या का अनुपात 1 : 2930 बैठता है।

(ख) जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है उसकी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के लिए वर्ष 1974–75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान जितना-जितना धन नियत किया गया और जितनी-जितनी राशि दी गई, वह इस प्रकार है :—

वर्ष	नियत की गई धनराशि		दी गई नकद सहायता की राशि
	नकद	सामग्री के रूप में	
1974-75 .	89,56,000	56,47,000	1,12,00,000
1975-76 .	1,27,09,000	61,83,000	1,44,79,500
1976-77 . .	1,71,57,000	1,03,34,000	1,79,20,000

उड़ीसा सरकार को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए जो आवंटन और अनन्तिम भुगतान मंजूर किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(रुपए लाखों में)

	आवंटन	मंजूर किया गया अनन्तिम भुगतान
1974-75	186.86	210.71
1975-76 .	204.23	261.16
1976-77	437.47	560.45

PROMOTION OF HOMOEOPATHY ALONGWITH INDIGENOUS SYSTEM OF MEDICINE

1380. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the steps taken to promote Homoeopathy along with the promotion, development and expansion of indigenous systems of Medicine (particularly Ayurvedic and Unani);

(b) the number of Ayurvedic, Unani and Homoeopathic Colleges, separately, in the country at present;

(c) the number of registered medical practitioners of indigenous systems of medicine; and

(d) the steps taken by Government to ensure uniform syllabus in these colleges and to make proper arrangement for study and teaching there as also to make these systems of medicine more useful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) For the promotion, development and expansion of Homoeopathy, Ayurveda, Unani and Siddha systems of medicine, the following steps have been taken by the Government of India :

(1) Progressively increasing allocations are being provided in the Health budget budget every year and technical experts of these systems are being appointed to plan and implement the development programmes.

(2) In 1970, it was decided to utilise Ayurveda, Unani, Siddha and Homoeopathic systems along with Allopathy for National Health Services in the country and these systems were recognised in 1972 for purpose of reimbursement of medical treatment under CSMA Rules, 1944.

(3) Facilities for treatment according to these systems of medicine have been provided under CGHS.

(4) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy (CCRIM&H) was established in 1969 for research in different aspects of these systems. Apart from 15 full-fledged Research Institutions, 120 Research Units are functioning in different parts of the country under the Council.

(5) For regulating the education and practice in these systems two statutory Councils, one each for Indian Medicine and Homoeopathy, have been established.

(6) Pharmacopoea Committees for these systems have been constituted for laying down standards and tests for the drugs used in these systems.

(7) The Drugs and Cosmetics Act has been amended to bring under its purview the drugs used in these systems.

(8) The pharmacopoeal laboratories, one each for Indian Medicine and Homoeopathy, have been established.

(9) The National Institutes for Ayurveda and Homoeopathy have been established.

(10) To improve standards of teaching, financial assistance is being given to private under-graduate colleges of ISM and Homoeopathy.

(11) Besides two full-fledged post-graduate training institutions in Ayurveda (Post-graduate Centre for Ayurveda in Banaras Hindu University and Gujarat Ayurvedic University) there are 15 post-graduate Departments in Ayurveda, one in Unani and 2 in Siddha. These have been established with financial assistance from the Government of India.

(12) To improve the condition of State Pharmacies for ISM, financial assistance is being given by the Government of India.

(13) A Central Pharmacy for ISM is being established at Ranikhet (Uttar Pradesh).

Information regarding the steps taken for promotion, development and expansion of these systems by the State Governments is awaited and it will be placed before the Parliament as and when available.

(b) There are 86 Ayurvedic Colleges, 13 Unani Colleges, one Siddha College and over 100 Homoeopathic Colleges in the country.

(c) The number of registered medical practititioners in various systems is as follows :—

Ayurveda	2,23,230
Unani	30,456
Siddha	18,128
Homoeopathy	92,027

(d) The Central Council of Indian Medicine (CCIM) has already worked out the syllabi for Ayurveda, Unani Siddha and, with the approval of Government of India, these have been circulated among States for implementation under Section 22 of I.M.C.C. Act, 1970. The Central Council for Homoeopathy has already approved syllabus for this system which is now under the consideration of the Government of India.

In the next Plan period, to improve the standards of colleges in these systems, a proposal for giving financial assistance both to the State managed and private colleges, is under the consideration of the Government of India.

कलकत्ता में समुद्र पार उपग्रह केन्द्र

1381. **श्री सौगत राय :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता में एक समुद्रपार उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि देने के लिए लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (ख) और (ग) परियात का शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से कलकत्ता में एक पारेषण/अभिग्रहण के लिए उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय टलीफान और टेलेक्स एक्सचेंजों और दूसरी आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें।

भारत सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल शासन इस प्रयोजन से उपयुक्त जमीन तय करने के लिए पूछताछ कर रहा है।

भारत जापान सम्बन्ध

1382. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री में भेंट करने की इच्छा व्यक्त की है,

(ख) क्या मन्त्रालय ने इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किए हैं और वह जापान के प्रधान मन्त्री को भारत आमन्त्रित करने की योजना बना रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या विदेश मन्त्री उक्त देश का दौरा करने की योजना बना रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) 20 फरवरी, 1978 को जापान में हमारे राजदूत के हमारे प्रधानमन्त्री की ओर से जापान के विदेश मन्त्री को एक पत्र दिया जिसमें प्रधान मन्त्री श्री फुकुदा को भारत आने का नियन्त्रण दिया गया था। हमें इस बात की खुशी है कि उनका यह निमन्त्रण, सिद्धान्त रूप में, स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) जुलाई, 1977 में जापान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री महामान्य श्री आई० हतोगामा की भारत यात्रा के समय इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य में भारत और जापान के बीच वार्षिक परामर्श का स्तर बढ़ा कर भारत और जापान के विदेश मन्त्री के स्तर का कर दिया जाएगा। तदनुसार, आशा है कि हमारे विदेश मन्त्री जापान के विदेश मन्त्री के साथ विचार-विनयम करने के लिए 1978 की गर्मियों में जापान की यात्रा करेंगे।

DIRECT LINKING OF DISTRICTS OF BIHAR WITH CAPITAL

†1383. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state whether there is a proposal for the expansion of telephone service with a view to link all the District headquarters of Bihar direct with the Capital of the State and if so, the time by which it is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): All the District Headquarters in Bihar have already got direct telephone links with the State Capital.

इथोपिया और सोमालिया के संघर्ष में मध्यस्थता

1384. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डियन एक्सप्रेस' दिल्ली में फरवरी, 1978 में प्रकाशित इस समाचार में कोई सचाई है कि मि० कार्टर और मि० ब्रेजनेव दोनों ने ही इथोपिया और सोमालिया के बीच मध्यस्थता करने के लिए भारत को आमन्त्रित किया है, और

(ख) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वागत किया जायेगा?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) तथा (ख) हमारे प्रधान मन्त्री को राष्ट्रपति कार्टर तथा राष्ट्रपति ब्रेजनेव से पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें दूसरी बातों के साथ-साथ अफ्रीका के शृंग भाग का भी जिक्र था। किन्तु, इनमें भारत द्वारा इथोपिया तथा सोमालिया के बीच मध्यस्थता करने के बारे में किसी प्रकार का अनरोध या सुझाव नहीं था।

शिमला के दूरवर्ती क्षेत्रों में उप-डाकघर और शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं

1385. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला जिले के दूरवर्ती क्षेत्रों में ऐसे उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या कितनी है जिनमें अब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था नहीं है;

(ख) वर्ष 1977-78 में किन-किन डाकघरों और उप शाखा डाकघरों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और क्या कुछ शाखा डाकघरों में नियमित डाकतार कर्मचारियों की कमी के कारण सार्वजिनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं खोले जा सके; और

(ग) शेष उप डाकघरों/शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र न खोलने के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) शिमला जिले के दूरवर्ती इलाकों में ऐसे दो उप डाकघर और 26 शाखा डाकघर हैं, जहां अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

(ख) चिरगांव उप डाकघर में वर्ष 1977–78 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा देने का प्रस्ताव है । ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां नियमित डाक कर्मचारी न होने की वजह से शाखा डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन घर न खोला जा सका हो।

(ग) सिवाय किराया और गारन्टी की शर्तों के, उन स्थानों पर सार्वजनिक टेलोफोन घर नहीं खोले जाते, जो विभाग की नीति के अन्तर्गत न आते हों।

NON-DEPOSIT OF E.P.F. BY TELCO

1386. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the TELCO, Bombay has not deposited with Government the amount of E.P.F. deducted from salaries of its employees; and

(b) if so, the action taken against this Company and the amount of contributions of employees and that of the employer to be deposited by this Company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : The Employees' Provident Fund authorities have intimated as follows :

(a) M/s Tata Engineering and Locomotive Company Ltd. is an exempted establishment and its provident fund is administered by a Board of Trustees centrally at its registered office in Bombay. The management have transferred to the Board of Trustees the provident fund contributions upto January, 1978.

(b) Does not arise in view of (a) above.

अमरीकी सीनेट द्वारा परमाणु प्रसार रोक विधेयक पास किया जाना और उसका भारत पर प्रभाव

1387. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी सीनेट द्वारा परमाणु प्रसार रोक विधेयक को (7-2-1978 को) पास किए जाने का भारत की परमाणु नीति और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : सरकार इस समय इस कानून पर इस निगाह से विचार कर रही है कि भारत-अमरीकी नाभिकीय सहयोग पर इसका क्या असर होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों का लगाया जाना

1388. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से टेलीफोन लगाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है;

(ख) राज्यवार कितने टेलीफोन लगाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार संसद सदस्यों से उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के बारे में सलाह करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78-79 के दो वर्ष की अवधि के दौरान लम्बी दूरी के 4000 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है। उनके प्रस्तावित राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में वर्तमान नीति अनुबन्ध-II में दी गई है। उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत आने वाले स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के सुझावों का स्वागत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1681/78]

आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के लिये विदेशी सहायता

1389. **श्री नटवार लाल बी० परमार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाल के तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और राहत के लिए विदेशों से, देशवार, कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1682/78]

श्री बंसी लाल के निवास स्थान पर भूमिगत केबल बिछाने पर हुआ व्यय

1390. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में भिवानी में श्री बंसी लाल, तत्कालीन मुख्य मन्त्री हरियाणा, के स्थानीय, निवास स्थान पर दोहरी 20 टेलीफोन की भूमिगत लाइन बिछाई गई थी;

(ख) क्या यह खर्च अनधिकृत तरीके से किया गया था;

(ग) इस हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) जो धन-राशि खर्च की गई थी, उसकी सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई थी।

(ग) और (घ)—प्रश्न हीं नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा कनोई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि० को 30,000 टन लोहा स्कल स्क्रैप की बिक्री

1391. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री 8 दिसम्बर, 1977 के अतारांकितन प्रश्न संख्या 3183 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करार के अनुसार कनोई इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, कलकत्ता द्वारा 30,000 मीटरी टन लोहा स्कल स्क्रैप की सम्पूर्ण वसूली करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के अधिकारियों द्वारा करार तथा कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण वसूली करने अथवा दावों की अदायगी जिन में लोह स्कल स्क्रैप की समूची मात्रा की कीमत एवम् दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र को हुई क्षति हानि की क्षतिपूर्ति कमी शामिल है, वसूल करने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध और आगे क्या कार्यवाही करने की गई है,

(ग) इस पर कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) यदि कम्पनी अब भी अदा नहीं करती है तो लागत, क्षति तथा दावों के रूप में दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र को उससे कुल कितनी वसूली करनी होगी और शीघ्र ही कुल कितनी राशि वसूल कर ली जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने 5 दिसम्बर, 1977 को इस पार्टी नामत: मैसर्स कनोई इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड को एक नोटिस दिया था जिसमें कहा गया था कि चूंकि पार्टी ने संविदा की शर्तों का पालन नहीं किया है इसलिए कारखाना इस सामग्री को उनके जोखिम पर बेचने के लिए कार्रवाई कर रहा है और इस प्रकार सामग्री को दोबारा बेचने से कारखाने को पार्टी के साथ तय की गई कीमत से जितनी कम कीमत वसूल होगी वह पार्टी से ली जायेगी। यह नोटिस मिलने पर पार्टी ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 को कारखाने को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कारखाने की बात से सहमत नहीं हैं। इसके उत्तर में कारखाने पार्टी को 11 फरवरी, 1978 को एक पत्र लिखा है। इस पत्र पर पार्टी की प्रतिक्रिया अभी मालूम नहीं हुई है।

तारघर और टेलीफोन केन्द्र खोलना

1392. श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए तारघर और टेलीफोन घर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को नीति क्या है और मूल नीति क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष 1978–79 में कितने तारघर और टेलीफोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है और वर्ष 1977-78 में खोले गए नए इन कार्यालयों की संख्या क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) आमतौर पर टेलीफोन और टेलीफोन सुविधाएं ऐसे स्थान पर दी जाती हैं, जहां डाकघर हों, बशर्ते कि प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। फिर भी, अविकसित क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से विभाग एक उदार नीति का पालन कर रहा

है, जिसके अनुसार कुछ श्रेणीगत स्थानों में से सुविधाएं घाटा उठाकर भी दी जा सकती हैं। वर्तमान नीति की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1683/78]।

(ग) वर्ष 1977 से 1979 के दौरान देश में 4000 लंबोदूरी के सार्वजनिक टेलीफौन घर और 4300 तारघर खोलनें का प्रस्ताव है। वर्ष 1977-78 के दौरान (1-4-77 से 15-2-78 मक) अब तक 1033 सार्वजनिक टेंलीफोत घर और 1058 तारघर खौले जा चुके हैं।

मंत्री द्वारा अपने पुणे के दौरे के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन

1393. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री 1 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पुणे (महाराष्ट्र) के दौरे के दौरान 28 सितम्बर, 1977 को उन्हें उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित प्राप्त बारह अभ्यावेदनों के बारे में सरकार ने कार्यवाही की है, यदि हां, तो कब और किस प्रकार की।

(ख) क्या सम्बन्धित पक्षों को तदनुसार सूचित किया गया है,

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) (ख) और (ग) : संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श कर इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने के बाद अभ्यावेदकों को अन्तिम उत्तर भेज दिए जायेंगे।

इलैक्ट्रोस्मेट लिमिटेड द्वारा चन्द्रपुर में उच्च कार्बन वाली फेरो मेंगनीज का उत्पादन करने के लिए अनुमति की अवधि बढ़ाने अथवा लाइसेंस के स्थायी करने के के बारे में अभ्यावेदन ।

1394. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र, चन्द्रपुर में उच्च कार्बन वाली फेरो मेंगनीज का उत्पादन करने के लिए अनुमति की अवधि बढ़ाने अथवा लाइसेंस को स्थायी बनाने के बारे में महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेट लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त क्रमशः 6 अगस्त, 1977 और 23 सितम्बर, 1977 के अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की है,

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और क्या इस बारे में सम्बद्ध लोगों को सूचना दे दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने अभ्यावेदन में किए गए अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए गत दो मास की अवधि में क्या विशेष उपाय किए हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) मेसर्स महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेट लिमिटेड को पहले दी गई अनुमति में मार्च, 1979 तक प्रतिवर्ष 50,000 टन हाई-कार्बन फेरो मेंगनीज तथा उत्पादन-विविधिकरण योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष

40,000 टन मेंगनीज फेरो स्लैग का उत्पादन करना शामिल है। फेरो मेंगनीज के उत्पादन के लिए स्थायी लाइसेंस देने के बारे में उनका अभ्यावेदन अभी विचाराधीन है क्योंकि इस मामले पर फेरो मेंगनीज के लिए लाइसेंस देने की नीति को, जिसकी इस समय समीक्षा की जा रही है, ध्यान में रखकर किया जाएगा।

भारत स्थित विदेशी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों की संख्या

1395. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी, 1978 को दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों उच्चायोगों आदि के जरिए भारत में कितने देश राजनयिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वर्ष 1956 और 1966 के दौरान क्रमश: इनकी संख्या कितनी थी;

(ख) एक जनवरी, 1978 को कितने देशों ने वाणिज्यिक अथवा व्यापार प्रतिनिधि रखे हुए थे और वर्ष 1956 और 1966 के दौरान क्रमश: इनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) एक जनवरी, 1978 को भारत सरकार ने विदेशों में कितने वाणिज्यिक अथवा व्यापार प्रतिनिधि रखे हुए थे और वर्ष 1956 और 1966 के दौरान क्रमश: यह संख्या कितनी थी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :

(क) 1978—110

1966— 84

1956— 66

(ख) दिल्ली में वाणिज्य अथवा व्यापार प्रतिनिधि राजनयिक मिशनों से ही सम्बद्ध होते हैं। अधिकतर मिशन राजनयिक अधिकारियों को ही वाणिज्य अथवा व्यापार कार्य पर नियोजित करते हैं। उसी प्रकार दिल्ली के बाहर वाणिज्य और व्यापार कार्य, कौसलों और उप हाई कमिशनरों के कार्यालयों द्वारा देखा जाता है। जिन देशों के अलग से व्यापार प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या नीचे लिखी अनुसार है :—

1978—13

1966—16

1956—25

(ग) विदेश स्थित हमारे सभी राजदूतावासों/हाई कमीशनरों और कौंसलावासों में किसी न किसी राजनयिक अधिकारी को वाणिज्य/व्यापार का कार्य देखने के लिए मनोनीत किया जाता है। लेकिन उन राजनयिक अधिकारियों की संख्या जिन्हें खास तौर पर पूरी तरह वाणिज्य प्रतिनिधियों के रूप में मनोनीत किया गया है, नीचे लिखे अनुसार है :—

1978—58

1966—62

1956—51

विदेशों में जाने वाले डाक पार्सल

1396. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान भारत के विभिन्न डाकघरों के माध्यम से विदेशों में भेजे गए डाक पार्सलों को कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1977 के दौरान भारत के विभिन्न डाकघरों के माध्यम से विदेशों में कितने वाणिज्यिक डाक पार्सल भेजे गए और उनकी कुल कीमत कितनी है; और

(ग) वर्ष 1977 के दौरान सभी वाणिज्यिक डाक पार्सलों और साधारण डाक पार्सलों का कुल वजन कितना था ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जावक पार्सलों की कुल संख्या

(1) हवाई पार्सल—3,21,696

(2) स्थल पार्सल—2,21,342

(ख) और (ग) ऐसी सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

भारत में टेलेक्स के प्रयोक्ता

1397. श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 जनवरी, 1978 के दिन देश में टेलेक्स प्रयोक्ताओं की संख्या क्या थी और इनमें से कितने प्रयोक्ता समुद्रपार टेलेक्स के लिए सुविधा का उपयोग कर रहे थे और प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त में और तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि के अंत में क्रमशः समुद्रतार टेलेक्स के लिए सुविधा का उपयोग करने वालों की संख्या क्या थी;

(ख) 1977 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक काल सेवा तथा डायल घुमा कर सीधे अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन करने की सेवा का किस मात्रा तक उपयोग हुआ और प्रथम तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्ष में क्रमशः स्थिति क्या थी; और

(ग) समुद्रपार संचार सेवा द्वारा 1977 में कितनी तारें विदेश भेजी गई और प्रथम तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्ष के क्रमशः आंकड़े क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 1-1-1978 को देश मे टेलेक्स उपभोक्ताओं की कुल संख्या 14184 थी। 31-3-1956 और 31-3-66 की इनकी संख्या क्रमशः शुन्य और 1029 थी। सभी टेलेक्स उपभोक्ता अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

(ख) 1977 के दौरान की गई अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक कालें	71.1 लाख मिनट, जिनका शुल्क लिया गया।
1977 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालें	8.94 लाख मिनट, जिनका शुल्क लिया गया था।

1955-56 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक कालें	1.36 लाख मिनट, जिनका शुल्क लिया गया।
1965-66 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक कालें	3.76 लाख मिनट, जिनका शुल्क लिया गया।

(ग) समुद्रपार संचार सेवा ने 1977 के दौरान कुल 24 लाख 70 हजार जावक विदेश तारों का निपटारा किया। पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों के दौरान इनके आंकड़े इस प्रकार थे —

1955-56	14 लाख 30 हजार
1965-66	15 लाख 70 हजार

अवैज्ञानिक तरीकों से क्रोमाइट खनिज के खनन के कारण उसकी कमी

1398. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्रोमाइट खनिज को अवैज्ञानिक तरीकों से खनन किए जाने के कारण उसके रक्षित भण्डारों में तेजी से कमी आ रही है और अन्य वस्तुओं के साथ पिंड के रूप में उपलब्ध उच्च ग्रेड के क्रोमाइट के सरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो रक्षित भण्डार के संरक्षण के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है,

(ग) सरकारी क्षेत्र की ऐसी कम्पनियों, निदेशक मडलों सहित, तथा मालिकों का ब्यौरा क्या है जो इस समय उक्त खनन कार्य में सलग्न है, और

(घ) देश में उक्त प्रकार की प्रत्येक खान का औसत उत्पादन क्या है, वे खानें कहां कहां पर स्थित हैं, गत तीन वर्षों में उन्होंने कितने मूल्य का निर्यात किया और क्रोमाइट खनिज की कम हो रही मात्रा के वैज्ञानिक तरीकों से खनन के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उन कम्पनियों के नाम तथा उनके निदेशक मंडलों के नाम जो क्रोमाइट का खनन कर रहे हैं, अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(घ) जिन स्थानों पर क्रोमाइट की खानें हैं उनके नाप तथा इन खानों का गत तीन वर्षों का उत्पादन अनुलग्नक-II में दिया गया है।

गत तीन वर्षों में निर्यात किए गए क्रोमाइट की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं —

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1974-75	305.5	925.00
1975-76	334.4	2,462.00
1976-77	282.97	2,670.00

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० –1684/78)।

कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना

1399. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना के काम में कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की समयसूची के अनुसार मुख्य परियोजना का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1979 तक पूरा किया जाना है और अगस्त, 1980 के अन्त तक ईरान को सांद्रण का लदान आरम्भ हो जायेगा। परियोजना के लिए आवश्यक बड़े-बड़े उपस्करों में अधिकांश के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्रशरों, सान्द्रण-संयंत्र, गोदाम, टेलिंग-डेम आदि का सिविल इजीनियरी कार्य चल रहा है। सांद्रण संयंत्र और गोदाम की इमारत के निर्माण में इस्पात के ढांचों का स्थापना कार्य भी ठीक प्रकार से चल रहा है।

थाईलैण्ड के विदेश मन्त्री के साथ हुई बातचीत

1400. श्री नटवर लाल बी० परमार : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी थाईलैण्ड की यात्रा के दौरान उन्होंने सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में वहां के विदेश मन्त्री से बातचीत की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :

(क) विदेश मंत्री ने थाईलैंट की यात्रा नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

FEAR OF UNEMPLOYMENT AND DISCONTENTMENT AMONG WORKERS OF KOLAR GOLD MINES

1401. SHRI NATVERLAL B. PARMAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether fear of unemployment and discontentment is being created among the labourers working in Kolar Gold Mines as a result of continuous decline in the production in the Mines there and the apprehension of their being closed; and

(b) if so, the scheme being formulated for providing alternate employment to these labourers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार

1402. **श्री अमर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य बीमा योजना को आम जनता और ग्रामीण तथा नगरीय लोगों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस समय कौन सी योजना चल रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1975 से फरवरी, 1978 के दौरान इस योजना पर भिन्न-भिन्न राज्यों में म कितनी राशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वित्तीय तथा प्रशासनिक, दोनों स्त्रोतों की कमी के कारण देश की समूची जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाना संभव नहीं है ।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव

1403. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव मिले हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 223 आदि में किए गए

संशोधन जैसा संशोधन किया जाये, जिससे केन्द्रीय सरकार की देख रेख में एक स्वतंत्र वसूली तंत्र की स्थापना हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1977 को बंगलौर में हुई अपनी 74वीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि आयकर विभाग की तरह संगठन का अपना एक स्वतन्त्र वसूली तंत्र होना चाहिए जो भविष्य निधि आयुक्तों के नियंत्रण और देख रेख में हो। बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सरकार को विचारार्थ प्राप्त हो गया है।

जल की कमी वाले महीनों में गंगा के पानी का बटवारा

1404. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगालादेश के बीच हुए गंगा जल समझौते की क्रियान्विति के बारे में ढाका में हाल ही में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी, आयोग, जिसे गंगा के पानी के वितरण और इसके प्रवाह को बढ़ाने के बारे में सम्पन्न करार के अनुच्छेद ix के अनुसार फिर से सक्रिय बना दिया गया है और जिसके दर्जे को बढ़ाकर अब मंत्री स्तर का कर दिया गया है। उसकी चौदहवीं बैठक 21-1-1978 से 23-1-1978 तक ढाका में हुई।

(ख) संयुक्त नदी आयोग ने यह निर्णय लिया है कि गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा मार्च, 1978 के मध्य तक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएयेंगे। इन प्रस्तावों पर सयुक्त नदी आयोग की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा जिससे कि इस संबंध में संयुक्त अध्ययन एवं अन्वेषण के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार किया जा सके।

RULES FOR PROMOTIONS OF AN ASSISTANT ENGINEER TO ENGINEER

†1405. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether no employee can be promoted unless he holds a permanent post;

(b) if so, whether this rule applies in the case of promotions of Assistant Engineers and Regional Assistant Engineer;

(c) whether experience for a certain specified period is also essential for promotion; and

(d) whether this rule is applied while promoting an Assistant Engineer as Engineer and whether the experience is essential in respect of both the posts and if not, the reasons therefor when both the posts entail work of equal responsibility ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Yes. Experience for a specified period as Assistant Engineer is required for promotion to the next higher grade. The post of Assistant Engineer and the post on promotion as Engineer (Divisional Engineer of Executive Engineer) do not entail work of equal responsibility.

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना

1406. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में रानीखेत की तरह की एक आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित करने का विचार है, जहां बड़ी जड़ी-बूटियों से औषधियां तैयार की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी नहीं । फिर भी, इस विषय पर राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो इसके लिये यथासंभव केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आतिथ्य विभाग

1407. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आतिथ्य विभाग अभी तक काम कर रहा है;

(ख) यह कब अस्तित्व में आया था और इसका वार्षिक बजट कितना है;

(ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के लिये उनके निवास स्थानों पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने खान-पान के लिए अपनी जेबों से कितना खर्च किया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) इसे 1948 में भारत के राष्ट्रपति के सैनिक सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियन्त्रण में शुरू किया गया था। 1966 से यह विदेश मंत्रालय के अधीन है ।

सरकारी अतिथि-सत्कार संगठन/प्रधान मंत्री के अतिथि-सत्कार के बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (रुपयों में)	वास्तविक व्यय (रुपयों में)
1948-49		
1949-50		
1950-51		
1951-52		
1952-53		
1953-54		
1954-55		
1955-56		
1956-57	वार्षिक बजट से सम्बद्ध सूचना मंत्रिमण्डल शीर्ष सी और डी के अन्तर्गत "मांगों की सम्बद्ध पुस्तकों" में देखी जा सकती है। खर्च का कोई अलग से ब्यौरा नहीं रखा गया। लेकिन प्रधान मंत्री को सरकारी अतिथि-सत्कार संगठन से की गयी आपूर्तियों के लिए उस समय की दरों के अनुसार वसूली की गयी थी।	
1957-58		
1958-59		
1959-60		
1960-61		
1961-62		
1962-63		
1963-64		
1964-65		
1965-66		
1966-67		,12,978,.65
1967-68		1,19,883,.08
1968-69	1966-67 से 1971-72 तक की बजट फाइलें नष्ट की जा चुकी हैं और इसलिए बजट प्रावधान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ?	1,75,921.78
1969-70		1,59,710.44
1970-71		1,82,686.92
1971-72		1,96,370.74
1972-73	2,25,000.00	2,28,652.22
1973-74	2,25,000.00	2,25,792.60
1974-75	3,20,000.00	3,19,201.43
1975-76	2,90,000.00	2,89,676.79
1976-77	3,30,000.00	3,35,015.29
1977-78	3,00,000.00	3,64,651.17 (फरवरी, 1978 तक)

(77-78 के संशोधित प्राक्कलन 1977-78 के अन्तिम प्राक्कलन के लिए और फंड की मांग होगी)।

6—67 LSS/78

(ग) ऊपर दिए गए आंकड़ों में किसी भी पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री के रहने के खर्च का कोई अंश शामिल नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री के निवास पर कार्य करने वाले सहायक, कार-चालकों और चपरासियों, मशालचियों, रसोइया, सफाई कर्मचारियों आदि जैसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते जी० एच० ओ० बजट में शामिल हैं। प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर दिए जाने वाले जलपान का खर्च "अतिथि-सत्कार खर्च" के अन्तर्गत जी० एच० ओ० बजट में डाला जाता है। प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर जो अन्य खर्च होते हैं उन्हें "जी० एच० ओ०" के लिए की गई व्यवस्थाओं से पूरा नहीं किया जाता।

(घ) विदेश मत्रालय में इसके प्रारम्भ होने के समय से, सरकारी अतिथि-सत्कार संगठन अपने बजट में से किसी भी प्रधानमंत्री के खान-पान पर खर्च नहीं कर रहा है।

राजकोट जिले के उपलेटा नगरपालिका कचेरी को टेलीफोन कनेक्शन देना

1408. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को उपलेटा नगरपालिका, कचेरी, जिला राजकोट ने चार नए टेलीफोन कनेक्शन न दिए जाने पर दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को सदर्भ संख्या 2057 द्वारा विभाग को एक आवेदन पत्र भेजा है यदि हां, तो किन किन -स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन संबंधी मांग की गई है ;

(ख) अब तक टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्थानों के लिए टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाएगे। ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। निम्नलिखित चार स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए गुजरात दूरसंचार के महाप्रबंधक के पास अभ्यावेदन भेजा गया था।

1. उपलेटा नगरपालिका के मुख्य अधिकारी का निवास स्थान
2. मज-डैम पम्प हाउस
3. घोरजी रोड चुंगी नाका
4. उपलेटा नगर पालिका के हैड क्लर्क का निवास स्थान

(ख) इन कनेक्शनों के लिए अग्रिम जमा राशि निर्धारित समय के भीतर जमां नहीं कराई गई थी। इसलिए ये कनेक्शन मंजूर नहीं किए जा सके।

(ग) निर्धारित फार्म में नई अर्जियां देने और अग्रिम जमा राशि का भुगतान करने पर ये टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

GRANT OF TELEPHONE CONNECTIONS TO PERSONS IN BHANGOL VILLAGE, JAMNAGAR DISTRICT

†1409. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephone line was laid upto Bhangol village of Jamnagar District of Gujarat State about two years ago;

(b) if so, the names of the persons of Bhangol Village who have deposited money for getting telephone connections and when and where the amount was deposited and how much was deposited by each of them;

(c) the difficulty in the way of providing telephone connections to Bhangol village; and

(d) the time by which telephone connections will be provided ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Four parties deposited Rs. 800/- each towards advance deposits at Lalpur Post Office as per details given below :—

S. No.	Name of party	Date of payment
1.	D.C.C. Co. Ltd. . . .	23-6-76
2.	M/s. D. Mohanlal & Co. . .	14-6-76
3.	Patel Punjabhai Meghajibhai .	14-6-76
4.	Patel Hansraj Ladabhai.	14-6-76

(c) Since only 4 parties have paid the advance deposits out of original 12 applicants, project estimate has become non-remunerative and hence exchange could not be opened.

(d) Installation of Exchange can be taken after sufficient number of applicants pay advance deposit making the estimate remunerative.

IMPROVING TELEPHONE SERVICE IN MALIYA TALUKA, JUNAGARH DISTRICT

†1410. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken by Government to provide triple telephone lines between Maliya-Hatina and Keshod-Maliya and to provide direct telephone line from Maliya to Veraval and for smooth functioning of Keshod-Maliya telephone line in Jungarh Distrct in Gujarat State and when these steps are proposed to be taken; and

(b) whether people of Tmrapur-Gir village in Maliya taluka have demanded telephone connections and if so, the number of persons and companies which have made a demand and when and the action taken or proposed to be taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) A 3-channel carrier system is under installation between Maliya-Hetine and Keshod and will be commissioned within this financial year. There is no proposal to connect small automatic exchange at Maliya-Hetine to Veraval as it is already connected to Keshod and the circuits are ebing augmented. The trunk service is expected to improve after the augmentation of circuits.

(b) Four persons from Amropur village had applied for long distance connections from the Maliya-Hetine exchange but showed no further interest when asked to pay the estimating fee. A long distance PCO at the Amropur village has been sanctioned and is likely to be commissioned during the year 1978-79.

संतरा गाची केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी क्वार्टर, हावड़ा के निवासियों के लिये अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1411. **श्री समर मुखर्जी**
डा० सरदीश राय } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संतरा गाची केन्द्रीय सरकार कर्मचारी क्वार्टर हावड़ा के 5,000 से अधिक निवासियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का केवल एक औषधालय और एक डाक्टर है ;

(ख) क्या उनके लिये अधिक औषधालय खोलने तथा चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिये वैलफेयर एसोशियेशन की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) यह क्षेत्र फिलहाल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

(ख) और (ग) सन्तरा गांची केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी क्वार्टर (सामान्य पूल) हावड़ा के कल्याण संघ से उस क्षेत्र में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। यह औषधालय उस क्षेत्र में तभी खोला जाएगा जब वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खालने के लिए निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो जाऐगी।

चीन में नेताजी का जन्म दिवस मनाना

1412 **श्री समर गुहः** क्या **विदेश मंत्री**यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया है;

(ख) क्या यह समाचार सही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) इस विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

1413 **श्री दुर्गा चन्दः** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 1977 में किये गये सर्वेक्षण का अब तक क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कढ़िया मुण्डा): हिमाचल प्रदेश में 1977 के दौरान किए गए सवक्षण के फलस्वरूप राज्य में जिन महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का पता चला है

उनमें मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में स्लेट, शिमला जिले में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और मंडी जिले में खनिज मिट्टी शामिल हैं। पार्वती घाटी के भूतापीय क्षेत्र में खोज कार्य जारी है तथा लाहौल-स्पीति जिले के बड़ा सिंगड़ी ग्लेश्यिर में क्षेत्रीय गहन सर्वेक्षण किया जा रहा है। वर्तमान क्षेत्रगत सत्र के दौरान लगभग 1020 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का क्रमबद्ध मान चित्रण 126.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तथा विस्तृत मान चित्रण; और 210 मीटर ड्रिलिंग और 262 घन मीटर गर्तन और खंदक बनाने का काम पूरा किया गया। 1300 नमूने एक किए गए हैं। चूंकि क्षेत्रगत सत्र अभी चल रहा है ; अतः विस्तृत परिणाम रासायनिक विश्लेषण और आगे के क्षेत्रगत कार्य के पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का कार्यकरण

1414. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय पारपत्र के लिए आवेदन पत्रों के ब्यौरों को सत्यापान के लिये भेजने में अधिक समय लेता है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन पत्र मिलने के पश्चात सत्यापन कराने में कितना समय लगता है;

(ग) आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) नवम्बर, दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 में नई दिल्ली स्थित कार्यालय में कितने आवेदन पत्र आये तथा कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जी नहीं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय नई दिल्ली में अब जितने भी आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें प्राप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर-भीतर सत्यापन के लिए संबद्ध प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ख) सत्यापन के लिए आवेदन-पत्रों को भेजने और संबद्ध प्राधिकारियों से सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने में 4 से 75 दिन तक का समय लगता है ; जो इस बात पर निर्भर करता है कि सत्यापन अधिकारी कितनी समय लगाते हैं।

(ग) पासपोर्ट जारी करने का तरीका पिछले वर्ष अगस्त से आसान बना दिया गया है। आजकल, सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को अतिरिक्त अमला दिया जा रहा है ; जिसमें नई दिल्ली का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भी शामिल है, ताकि पासपोर्ट के आवेदन शीघ्रतापूर्वक निपटाये जा सकें।

(घ) सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

महीना	प्राप्त आवेदन	निपटाये गये आवेदन
नवम्बर 1977	14,411	11,026
दिसम्बर 1977	21,865	11,147
जनवरी 1978	12,480	3,906

जनवरी 1978 में पासपोर्ट आवेदनों को निपटाने की गति इस लिए कम रही है कि जनता को और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कार्यालय को नये सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा था।

विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्ल्यू० एच० ओ०) के कार्यालय को जेनेवा से नई दिल्ली लाना

1415. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ डब्ल्यू० एच० ओ० के कार्यालय को जेनेवा से भारत लाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अनुरोध किया है कि यू० एन० कार्यालय को भारत लाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी:) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी , नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के कोटे का दुरुपयोग

1416. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार का ध्यान इस्पात के कोटे के दुरुपयोग के कितने मामलों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इसमें अन्तर्ग्रस्त पार्टियों के नाम और ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) दुरुपयोग के विशिष्ट मामले क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि निहित है; और

(घ) दुरुपयोग के प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :(क) से (घ) लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 की धारा 7 के अनुसार लोहे और इस्पात का इस्तेमाल उन्हीं कार्यों के लिये किया जाना चाहिए जिन के लिए इसे प्राप्त किया गया हो। 17 दिसम्बर, 1975 से इस धारा को आस्थगित रखा गया है। इस लिए कोई भी व्यक्ति जिस ने इस तारीख को अथवा इसके बाद इस्पात कारखानों आदि से लोहा और इस्पात प्राप्त किया है जिस तरह चाहें इसका उपयोग कर सकता है। अतः 17 दिसम्बर, 1975 के पश्चात् किसी प्रकार के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए 1976 और 1977 के दो वर्षों की जानकारी "शून्य" है। वर्ष 1975 अर्थात् 1-1-1975 से लेकर 16 दिसम्बर, 1975 की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कनाडा की फर्म से माइक्रोवेव उपकरण की खरीद

1417. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में 'रेथयोन" नामक एक कनाडा की फम से कई करोड़ रुपये के मूल्य का माइक्रोवेव उपकरण खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि उपकरण लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा स्थापित करने के समय भी दोषयुक्त पाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय.: (क) और (ख) जी हां। नीचे लिखे मार्गों के लिए लगभग 1 करोड़ 1 लाख कनाडियन डालर की लागत के माइक्रोवेव उपस्कर सप्लाई करने के निमित्त कनाडा के मैसर्स रेथियोन को 1971 में आर्डर दे दिए गए थे।

(i) नई दिल्ली–बम्बई

(ii) नई दिल्ली–कलकत्ता

(iii) बम्बई–कलकत्ता

(ग) और (घ) जी नहीं। ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी स्थापना के दौरान उपस्कर के कुछ पुर्जे त्रुटिपूर्ण पाए गए थे। मैसर्स रेथियन की सहायता से इन पुर्जों में परिवर्तन करने/सुधारने का काम हो रहा है

स्माल स्केल स्टेनलैस स्टील रि-रोलिंग एसोसियेशन से अभ्यावेदन

1418. **श्रीमती पार्वती कृष्णन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आल इण्डिया स्माल स्केल स्टेनलैस स्टील रि-रोलिंग एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्टेनलैस स्टील पुनर्वेलन उद्योग की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के सुझाव दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा प्रतिक्रिया क्या है

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में दिये गये सुझाव इस प्रकार हैं—वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये बेदाग इस्पात की चादरों के आयात पर रोक लगा दी जाये, पुनर्वेलकों के लिये बिलेंट/गोल छड़ की उपलब्धि में वृद्धि की जाये, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादों का संयोजित मूल्यों पर वितरण किया जाये। रोलों के लिये एक इन्डक्शन हार्डनिंग प्लांट लगाया जाये, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लघु उद्योगों को पिकलिंग और एनीलिंग की तकनीकी जानकारी निशुल्क देने की व्यवस्था की जाये और छोटी पुनवलन मशीनों का मानकीकरण किया जाये। उपभोक्ताओं की बेदाग इस्पात की चादरों की आवश्यकताओं तथा सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयात पर प्रतिबन्ध लगाना अथवा संयोजित मूल्यों पर वितरण करने के सुझाव व्यावहारिक नहीं हैं।

जहां तक पुनर्वेलन योग्य बिलेट/गोल छड़ों का सम्बन्ध है, पुनर्वेलन मिलों को सलाह दी गई है कि वे अपने पक्के इन्डेट सेल इन्टरनेशनल के पास भेज दें जो उन्हें जहां तक संभव होगा पूरा करने का प्रयत्न करेगी। जहां तक इन्डक्शन हार्डनिंग प्लांट, पिकलिंग और एनीलिंग तथा छोटी बेलन इकाइयों के मानकीकरण का सम्बन्ध है, पुनर्वेलकों को आवश्यक तकनीकी सहायता देने के लियें कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है।

परिवार नियोजन को लेकर की गई ज्यादतियों सम्बन्धी समिति के निष्कर्ष

1419. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को लेकर की गई ज्यादतियों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। आपातस्थिति के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16-7-77 की अधिसूचना

संख्या जैड 28015/26/आई० एन० क्यू/77 एस्टेब्लिशमेंट-2 के द्वारा जो तथ्य अन्वेषण समिति नियुक्त की थी उसने 3 फरवरी, 1978 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाले जांच आयोग को भेज दी गई है और वे इस पर विचार कर रहे हैं। तथ्य अन्वेषण समिति को जबरन नसबन्दी और परेशान करने तथा जबरन नसबन्दी के कारण हुई मौतों और उलझनों के बारे में 855 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 538 शिकायतकर्ता समिति के सामने पेश हुए। इन शिकायतकर्ताओं में 268 सरकारी कर्मचारी थे और 270 आम जनता से थे। तथ्य अन्वेषण समिति ने आपात स्थिति के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित 91 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्य कर्ताओं और अन्य लोगों के बयान लिये। इस समिति के निष्कर्ष न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के पास पहुंच चुके हैं और सरकार इस पर किस प्रकार की कार्यवाही करेगी यह बात अन्ततः उस आयोग की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगी।

USE OF HINDI IN THE MINISTRY

1420. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Section 3(3) of the Official Language Act, 1963, is being implemented completely in his Ministry;

(b) If so, the total number of general orders, circulars, notices, tender permits issued during the first half of the year 1977 and the number of the orders etc., issued in Hindi along with the English; and

(c) if the said Section is not being fully implemented, the reasons therefor and the steps taken for implementation thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The reasons for not implementing fully Section 3(3) of the Official languages Act, 1963 are as under :

(1) The Statutory and non-statutory material sent to Official language (Legislative) Commission and Central Translation Bureau for translation has been lying with them for quite sometime.

(2) The work of this Ministry and its Attached Offices/Undertakings/Companies is mostly of a technical nature; the officers/employees find it difficult to work in Hindi.

(3) The correspondence of the undertakings under the administrative control of this Ministry is largely with the reputed industrial organisations in this country and in foreign countries and they insist on the use of English language.

(4) Shortage of good translators/Hindi Typists.

(5) Most of the Offices/Undertakings/Companies under the Administrative control of this Ministry are located in non Hindi-speaking areas and a good number of their employees do not have a working knowledge of Hindi.

The following steps have been taken/are proposed to be taken to ensure better implementation of this Act :—

(1) The quarterly reports on the progressive use of Hindi of the Ministry/attached offices/Undertakings/Companies are reviewed in the meetings of the Official language Implementation Committee and the shortcomings in the implementation are brought to the notice of Sections/heads of Offices/Undertakings etc. for remedial action.

(2) In-service training in Hindi/Hindi Typewriting /Hindi Stenography is being imparted to the employees.

(3) The Official language implementation Committees have been set up in this Ministry as well as in the Attached Offices/Undertakings. In the meetings of these Committees, the progress in the implementation of the Hindi is reviewed regularly.

(4) Periodic inspections of Sections of the Ministry and attached offices etc. are done to ensure better implementation.

TRAINED HINDI TYPISTS AND STENOGRAPHERS IN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

†1421. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi typists and stenographers in his Ministry at present;

(b) the number of trained Hindi typists and stenographers out of them whose services are being utilised entirely for Hindi work;

(c) the reasons for which the services of rest of such Hindi typists and stenographers are not being utilised and

(d) whether any scheme has been formulated for utilising their services; if so, the details therefor ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) 52.

(b) 16.

(c) & (d) The services of all available typists and stenographers are being utilised to the extent required and with the increase in the use of Hindi in our Ministry and Missions abroad including by senior officers, their services are likely to be utilised to the fullest. Hence no separate scheme has been drawn up for the purpose.

LIBRARY OF EXTERNAL AFFAIRS MINISTRY

*1422. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of his Ministry and the language-wise number thereof;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi Books, separately for the said library during the last two years;

(c) the names of newspapers and magazines purchased for this library at present and the names of Hindi newspapers and magazines out of them; and

(d) whether any scheme has been prepared to increase the number of Hindi books and newspapers and magazines in this library; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) 71260.

English	70,707	Hindi	47
French	193	Chinese	63
Japanese	57	Russion	53
German	26	Persian	26
Portuguese	26	Spanish	15
Italian	12	Urdu	7
Swedish	6	Arabic	5
Tibetan	5	Dutch	3
Sinhalese	3	Bengali	2
Mongolian	2	Polish	2

This is a highly specialised Library concerned with material on international relations, international law, cartographic literature, documents, etc. for reference and record.

(b) 1975-76 English : Rs. 85,321·00
Hindi : Rs. Nil—
1976-77 English : Rs. 76,347·17
Hindi : Rs. 138·00

(c) List enclosed. No newspaper or magazine in Hindi is subscribed to at present. However, the external Publicity Division of the Ministry purchases books, newspapers and journals in Hindi for use in the Ministry and for distribution to Missions abroad. It has a collection of about 700 Hindi books and it subscribes to a number of Hindi journals and newspapers. The annual expenditure on Hindi books, newspapers and journals is approximately Rs. 30,000/-.

(d) The Ministry plans to build the Hindi collection in the Library through addition of appropriate books, newspapers and magazines available in Hindi pertaining to international relations and allied subjects.

[*Placed in Library. See No. L-T.* 1685/78].

पाकिस्तान को बंगलादेश तथा नेपाल के साथ व्यापार करने के लिये पारगमन सुविधायें दिया जाना

1423. **श्री ब्रजभूषण तिवारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान को सामूहिक प्रस्ताव की पेशकश कर रहा है जिससे उसको बंगलादेश तथा नेपाल के साथ सीधा व्यापार करने के लिए पारगम की सुविधाएं मिलेंगी ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) ईरान और अफगानिस्तान साथ भारत के व्यापार के लिये पाकिस्तान द्वारा दी गई पारगमन सुविधाओं के बदले भारत ने पाकिस्तान को भी बंगलादेश और नेपाल के साथ व्यापार के लिए उसी प्रकार की सुविधायें देने की पेशकश की थी । यह पेशकश अभी भी मान्य है ।

सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी व्यवसाय किये जाने पर रोक

1424. **श्री बसन्त साठे**
श्री एस० एस० सोमानी
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री जी० वाई० कृष्णन
} क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी व्यवसाय किये जाने पर रोक लगाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने 29 से 31 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकारों को यह सिफारिश की है कि सरकारी डाक्टरों एवं जो मेडिकल कालजों में भी कार्य कर रहे हैं, द्वारा की जाने वाली प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये और ऐसे डाक्टरों, को प्रैक्टिस न करने का भता दे दिया जाये। इस मामले में निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है।

मेडिकल कालेजों के डाक्टरों अध्यापन कर्मचारियों के सदस्यों के स्थानान्तरण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1425. **श्री वसन्त साठे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों के डाक्टरों अध्यापन कर्मचारियों के सदस्यों का स्थानान्तरण करने के लिये कोई निश्चित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से डाक्टर एक ही स्थान पर बने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं और स्थानान्तरण को टाल देते हैं जबकि अन्य डाक्टरों को समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा रहा है, और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डाक्टरों के स्थानान्तरण के मामले में बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का दृढ़तापूर्वक पालन और क्रियान्वयन किया जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी अधिकारियों के लिये जिनमें इस सेवा के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली और अन्य जगहों में शिक्षण और गैर शिक्षण यूनिट भी शामिल हैं, एक साझी स्थानान्तरण प्रणाली तैयार की गई है। इसी प्रणाली के अनुसार जिन जिन स्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पद हैं उन्हें श्रेणी 'क' श्रेणी 'ख', श्रेणी 'ग' और श्रेणी 'घ' में विभाजित कर दिया गया है। यह स्थानान्तरण प्रणाली सुचारु रूप से चले इस के लिये श्रेणी 'क' और 'ख' के और श्रेणी 'ग' और 'घ' के स्थानों को मिला कर दो ग्रुप बना दिये गये हैं और स्थानान्तरण एक ग्रुप के स्थानों से दूसरे ग्रुप के स्थानों में किया जाता है। किसी एक श्रेणी के स्थान में आमतौर पर कितनी अवधि के लिये नियुक्ति की जाती है वह इस प्रकार है:—

श्रेणी 'क' वाले स्थानों में—5 वर्ष के लिये

श्रेणी 'ख' वाले स्थानों में—4 वर्ष के लिये

श्रेणी 'ग' वाले स्थानों में—3 वर्ष के लिये

श्रेणी 'घ' वाले स्थानों में—2 वर्ष के लिये

श्रेणी 'घ' वाले स्थानों में नियुक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को 150/— रुपये प्रतिमास का एक विशेष चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

(ग) और (घ) विभिन्न संस्थानों की अपेक्षाओं और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का स्थानान्तरण सामान्य प्रणाली के अनुसार समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है। यह सही है कि कभी कभी कुछ अधिकारी जिनका दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों से स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव होता है, भांति भांति के दबाव व सिफारिश लाकर अपना स्थानान्तरण रुकवाने की कोशिश करते हैं परन्तु शासन यथासम्भव अपने सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करने का प्रयत्न करता है।

दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अंशकालिक डाक्टरों के पद समाप्त करना

1426. श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तयार सिंह मलिक } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सदस्य कल्याण सभा ने सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अंशकालिक डाक्टरों के पद समाप्त किये जायें क्योंकि वे रोगियों के लिये पर्याप्त समय नहीं दे सकते;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या उपाय किये जाने हैं?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) (क) जी, हां। (ख) और (ग) अनेक पूर्ण पालिक विशेषज्ञ मौजूद हैं और उनके अतिरिक्त समिति कार्यभार को ध्यान में रखकर कुछ विशेष विषयों के अंश कालिक विशेषज्ञों की व्यवस्था भी की गई है। तथापि, समय समय पर स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और यदि कार्यभार के आधार पर औचित्य होता है, तो पूर्णकालिक विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों और औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों द्वारा निजी व्यवसाय किये जाने पर रोक

1427. श्री जी० एम० बनतवाला: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के औषधालयों और अस्पतालों के डाक्टर भी देश में सरकारी डाक्टरों द्वारा किये जाने वाले निजी व्यवसाय को समाप्त करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते ह;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के वरिष्ठ और अनुभवी डाक्टर इन औषधालयों और अस्पतालों में केवल दो घंटे काम करते हैं और अनेक कनिष्ठ डाक्टर उनके अधीन काम करते हैं; और

(ग) गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों, जिन्हें इन पर निर्भर करना पड़ता है, को बचाने के लिये इन अस्पतालों में पूर्णकालिक और अनुभवी डाक्टरों की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा प्रसुविधा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, परन्तु दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में इसकी व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा अधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में पूर्णकालिक डाक्टर नियुक्त किये जाते हैं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/विशेषज्ञ-केन्द्रों में पूर्णकालिक सामान्य ड्यूटी डाक्टरों और पूर्णकालिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त अंशकालिक विशेषज्ञ भी नियुक्त किये जाते हैं। अनुभवी तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ दो-दो घंटों की अवधि के सत्रों के लिये अंशकालिक आधार पर काम करते हैं।

(ग) अंशकालिक विशेषज्ञों के सम्बन्ध में स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और यदि कार्यभार के आधार पर औचित्य हो, तो पूर्णकालिक विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं।

1429. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री शरद यादव } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू की अध्यक्षता में एक भारतीय आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल ने दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर बातचीत करने के लिये जनवरी 1978 के अन्त में अथवा इसके आस-पास वियतनाम का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं तथा भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं, उन पर कितना व्यय हुआ और उनके दौरे की अवधि क्या थी;

(ग) किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई तथा वियतनाम में हुई उक्त बैठकों में यदि कोई समझौता हुआ है तो वह क्या है; और

(घ) क्या वियतनाम के किसी प्रतिनिधिमण्डल ने पहले 1977 में भारत का दौरा किया था तथा क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल में नीचे लिखे व्यक्ति शामिल थे।

1. श्री समरेन्द्र कुण्डू, विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय।

2. श्री वी० के० आहुजा, सचिव, विदेश मंत्रालय।

3. श्री ए० के० घोष, अतिरिक्त सचिव, इस्पात एवं खान विभाग।

4. श्री एस० शहाबुद्दीन, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।

5. श्री एस० के० सोधिया, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

6. श्री के० राय पाल, उप-सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।

7. श्री आर० एन० दास, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव।

वे 1 से 7 फरवरी, 1978 तक वियतनाम में ठहरे। इस यात्रा पर हुए कुल खर्च की सूचना एकत्र की जा रही है।

इस प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के समय "आई डी० बी० आई" भारतीय स्टेट बैंक और प्रायोजना एवं उपस्कर निगम के प्रतिनिधि भी वियतनाम में थे।

(ग) इस विचार विमर्श में भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के विकास के बारे में बातचीत हुई। इस बात पर सहमति हुई कि भारत वियतनाम की परिवहन के क्षेत्र में विशेषकर रेलवे के क्षेत्र में और कृषि तथा पशुधन में क्षेत्र में भी सहयोग देगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि वियतनाम को भारत से जिस मशीनरी, उपस्कर और पशुधन की आवश्यकता है उसके आयात को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार भारतीय बैंकिग तन्त्र के सहयोग वियतनाम को ऋण देने में सहायता करेगी।

इस प्रतिनिधिमण्डल ने महामान्य प्रधानमंत्री फाम वान डांग की भारत यात्रा के लिये आधार तैयार करने में भी सहायता दी। व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसन्धान में सहयोग से सम्बन्ध जिन करारों पर वियतनाम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने थे उनके प्रारूप को करीब-करीब अन्तिम रूप दिया गया।

(घ) जी हां। अगस्त-सितम्बर, 1977 में वियतनाम से एक आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था और वियतनाम को 100,000 टन गेहूं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देने और वियतनाम में एक भैंस प्रजनन केन्द्र और एक चावल अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के बारे में यंत्रों का आदान-प्रदान हुआ था।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिये अभियान

1430. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग घातक रोगों में से एक है और पिछले अनेक वर्षों से हमारे देश के बहुत से पुरुष और महिलायें इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों, 1975 से 1977 में इसके कितने रोगी थे और क्या इनमें वृद्धि हो रही है अथवा कमी,

(ग) क्या सरकार ने इस रोग के उन्मूलन के लिये हाल ही में कोई विशेष अभियान चलाया है अथवा चलाने में सहायता की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क) कुष्ठ रोग में अधिक मौतें नहीं होती हैं। किन्तु यदि इसका इलाज न किया जाये तो इससे शरीर में कुरूपता आ जाती है और शरीर बेकार हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा से कुष्ठ रोग का पूर्णतः इलाज हो सकता है और यदि कुष्ठ रोग का शुरू में ही निदान तथा उपचार हो जाए तो कुरूपता को भी सम्पूर्ण रूप से रोका जा सकता है । हमारे देश में यह रोग कई शताब्दियों से विद्यमान है ।

(ख) इस रोग से वर्ष वार कितने व्यक्ति पीड़ित हुए हैं इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके बारे में अखिल भारतीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अनुमान है कि देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या लगभग 32 लाख है। जिन-जिन स्थानों पर राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कायक्रम ने कारगर ढंग से कार्य किया है वहां वह पर इस रोग से कम व्यक्तियों के पीड़ित होने के संकेत मिले हैं।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। इसे जारी रखा गया है और तेज भी किया गया है। यद्यपि इस रोग का उन्मूलन करना भी अन्तिम उद्देश्य है तथापि इस समय जो उपाय किये जा रहे हैं वे इस रोग पर नियंत्रण पाने के ही हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक स्थापित किये गये यूनिटों/केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:—

1. कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें	368
2. सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	5265
3. नगरीय कुष्ठ केन्द्र	377
4. पुनारचनाकारी सर्जरी यूनिटें	65
5. अस्थाई अस्पताल वार्ड	150
6. प्रशिक्षण केन्द्र	39
7. कुष्ठ से पीड़ित रोगियों के उपचार सम्बन्धी पलंग लगभग	30,000

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अधिक अथवा गलत राशि बताने वाले टेलीफोन बिलों की शिकायतों की जांच करने के लिये विशेष तन्त्र की स्थापना

1431. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री आर० के० महालगी } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार और टेलीफोन विभागों के सम्बन्ध अधिकारियों को समूचे देश के टेलीफोन प्रयोक्ताओं और गैर-टेलीफोन प्रयोक्ताओं से या तो अधिक राशि के या गलत

राशि के या दोनों ही प्रकार के बिलों के बारे में लगातार बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति में सुधार करने और बिल बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने की दृष्टि से इस गम्भीर और शिकायत की तत्काल जांच करने के लिये कोई विशेष तन्त्र अथवा छोटा दल (स्क्वैड) स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वे बिलों की लगभग एक प्रतिशत ही हैं।

(ख) दिल्ली में अधिक कालें मीटर होने के संबंधित शिकायतों की जांच करने और बिल तैयार करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्य जिलों/सर्किलों के मामले में भी कार्रवाई की जायेगी।

(ग) समिति मौटे तौर पर निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी;

(1) क्या मीटर आन्तरिक एक्सचेंज उपस्कर और बाहरी लाइनों, तारों और चैनलों आदि के साथ तालमेल रखते हुए ठीक तरह से काम कर रहे हैं?

(2) क्या मीटरों की रोडिंग संबंधित कागज-पत्रों व रिकार्डों में सही-सही दर्ज की जाती हैं और बिल ब्रांच को रिकार्ड सही-सही भेजे जाते हैं?

(3) क्या उन रीडिगों के आधार पर बनाये गये बिल सही-सही तैयार किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक बुलाना और टेलीफोन सेवा में सुधार करना

1432. श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के लिये गठित की नई नई टेलीफोन सलाहकार समिति की कोई बैठक अब तक क्यों नहीं बुलाई गई हैं;

(ख) टेलीफोन की खराब सेवा के बारे में गत तीन महीनों में दिल्ली के टेलीफोन विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ग) गत तीन महीनों में दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये क्या विशेष कार्रवाई की गई है और सरकार का विचार भविष्य में क्या विशेष कदम उठाने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पुनर्गठित टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक 15-2-78 को हुई थी।

(ख)

	नवम्बर 77	दिसम्बर 77	जनवरी 78
(*i*) टेलीफोन पर की गई सेवा सम्बन्धी शिकायतें	130154	137163	130040
(*ii*) लिखित शिकायतें	397	459	448
(*iii*) अधिक मीटरिंग की शिकायतें	1016	1153	1316

(ग) निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं:—

(1) एक्सचेंज उपस्करों और बाहरी संयंत्रों जिनमें उपभोक्ताओं के टेलीफोन भी शामिल हैं की लगातार जांच और दोष दूर करना।

(2) सेवा के स्तर का प्रेक्षण करने वाला एक दल एक्सचेंजों को नियमित रूप से जांच करना है।

(3) एक्सचेंजों में नये उपस्कर लगाकर और धीरे धीरे नये एक्सचेंज खोल कर उनके अन्तर्गत मौजूदा एक्सचेंजों के इलाकों को अन्तरित किया जा रहा है। इस प्रकार एक्सचेंजों का मौजूदा भार धीरे धीरे कम किया जा रहा है।

ऐसी कम्पनियां जिनकी ओर भविष्य निधि परिवार पेंशन तथा हर्जाने की 25 लाख रु० से अधिक राशियां

1433. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा हर्जाने की 25 लाख रुपये से अधिक की राशियां बकाया है;

(घ) प्रत्येक कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है; और

(घ) कितनी कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया और उनके कितने निदेशकों को जेल भेजा गया है?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण संलन है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1686/78]

(घ) 1976-77 वर्ष में दोषी नियोजकों के विरूद्ध 14678 अभियोजन मामले दायर किये गये। उन निदेशकों की संख्या के सम्बन्ध में जो जेल भेजे गये, सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

देश में आयुर्वेदिक तथा अन्य देसी पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही

1434. श्री कंवर लाल गुप्तः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेदिक तथा अन्य देसी पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु गत 3 महीनों में सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है;

(ख) देश में अच्छी किस्म की और सस्ती दरों पर आयुर्वेदिक दवाइयों की व्यवस्था करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यहां तक कि सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक पद्धति का प्रसार करने के लिये सरकार के क्या प्रभाव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गत तीन मास के दौरान आयुर्वेदिक एवं अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम तैयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा गठित स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां एवं होम्योपैथी से संबंधित कार्मकारी दल ने फरवरी, 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी।

(2) 28 से 31 जनवरी, 1978 को हुई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों की चौथी संयुक्त बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ आयुर्वेद के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया तथा सम्मेलन की सिफारिशों को सभी राज्यों को भेज दिया गया है।

(3) चार अनुसन्धान परिषदें अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग सहित प्राकृतिक चिकित्सा के लिये एक-एक परिषद् खोलने का निश्चय किया गया है।

(4) यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक राष्ट्रीय संस्थान खोलने का निश्चय किया गया है।

(5) हरिनगर नई दिल्ली में तीन सौ पलंगों वाला एक आयुर्वेदक अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है।

(6) प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी का एक डाक्टर नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । इस प्रकार का इन केन्द्रों में यह तीसरा डाक्टर होगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन खोली जाने वाली सभी नई डिस्पेंसरियों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के यूनिट खोलने का निर्णय लिया गया है।

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय फार्मेसी के प्रबन्धन के लिये एक कम्पनी खोली जा रही है।

(9) राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना के लिये एक आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विभाग स्वीकृत किया जा चुका है।

राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रखा दिया जायेगा ।

(ख) देश में उत्तम क्वालिटी तथा सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपायें बरते गये हैं:—

(1) औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि अन्य औषधियों के साथ-साथ आयुर्वेदिक औषधियों को भी इसकी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सके।

(2) आयुर्वेदिक फार्माकोपिया समिति ने एक मानव आयुर्वेदिक फार्मुलरी तैयार कर ली है।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने 444 आयुर्वेदिक औषधियों के मानव तैयार कर दिये हैं ।

(4) सस्ती दरों पर आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने के लिये कुछेक राज्य फार्मेसियों की वित्तीय सहायता दे दी गई है।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय फार्मेसी, जिसकी स्थापना की जा रही है, अच्छी क्वालिटी तथा सस्ती कीमत की दवाइयां बनाने में मदद देगी ।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन काम कर रही केन्द्रीय सरकारी डिस्पेंसरियों का सम्बन्ध हैं उन्हें सभी प्रकार की अनिवार्य दवाइयां उपलब्ध कराने के बारे में हमेशा प्रयत्न किये जाते रहे हैं।

(घ) राज्यों से इस सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का संबंध है वर्तमान डिस्पेंसरियों में कुछ और आयुर्वेदिक यूनिट खोले जाएंगे तथा इस योजना के अधीन एक अस्पताल भी खोला जाएगा।

डाकघरों का खोला जाना

1435. श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50,000 और गांवों में डाकघरों की व्यवस्था की जाएगी ;

(ख) यदि हां, कब और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने अतिरिक्त डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) 1978–83 के दौरान गांवों में 25,000 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1978-79 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने डाकघर खोले जाएंगे, इसके बारे में शीघ्र ही फैसला कर लिया जाएगा और अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डा० मोहम्मद बुरहानुद्दीन द्वारा वित्तीय सहायता की पेशकश

1436. डा० बसन्त कुमार पंडित: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साईबना डा० मोहम्मद बुरहानुद्दीन, एक भारतीय नागरिक, बोहरा पादरी ने जनवरी, 1978 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान में एक प्रैस वक्तव्य में कराची में विशेषकर पाकिस्तानी नागरिकों के लिये धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये भारतीय मुद्रा में 52 लाख रुपये दान के रूप में देने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारतीयों द्वारा विदेशों में इस प्रकार के दान करने के लिये क्या नियम और शर्तों और औपचारिकताएं हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय अथवा पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास ने उक्त वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात की जांच की है कि उक्त दान किन स्रोतों से किये जाते हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या सलाह दी है अथवा क्या कार्यवाही की है

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत सरकार को परम पावन डाक्टर सैदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहिब के सचिव से पता चला है कि 8 दिसम्बर, 1977 और 10 जनवरी, 1978 के दौरान उन्होंने अपनी पाकिस्तान यात्रा के समय वहां परम पावन डाक्टर सैदना तहिर सैफुद्दीन स्मारक नामक एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास की स्थापना की घोषणा की थी। डाक्टर बुरहानुद्दीन ने अपनी आधिकारिक हैसियत से अपने इस इरादे की घोषणा की कि वे इस न्यास के विधिवत पजीकृत हो जाने और कर से मुक्त घोषित कर दिए जाने के बाद इसे 5,15,200 पाकिस्तानी रुपये की रकम अंशदान में देंगे। यह धन पाकिस्तान के दावत-ए-हदिया को पाकिस्तान में ही पूर्णत: अपने स्रोतों में से प्राप्त धन से दिया जाएगा। यह दान न तो भारतीय रुपयों में दिया जाएगा और न भारतीय स्रोतों से।

(ङ) भारत सरकार का इस मामले में कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

गांवों में चलते-फिरते डाकघर

1437. डा० बसन्त कुमार पंडित: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान कितने चलते-फिरते डाकघर काम कर रहे थे और उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में और कितने गांवों में कार्यरत थे ;

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान गांवों में चलते-फिरते डाकघर खोलने का क्या लक्ष्य है ;

(ग) मध्य प्रदेश में (क) 5000 और इससे अधिक जनसख्या वाले स्थानों में (ख) पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों और जिलों में कितने सार्वजनिक तारघर खोले गए ; और

(घ) मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में कितने (क) डाकघर (ख) चलते-फिरते डाकघर खोले गए हैं तथा वर्ष 1978-79 के दौरान मध्य प्रदेश के उपरोक्त 3 जिलों में डाकघर खोलने का क्या प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 31-12-77 को देहाती इलाकों में 19,898 चलते-फिरते डाकघर काम कर रहे थे। ये डाकघर 51,124 गांवों को डाक सेवा देते हैं।

(ख) अस्थायी रूप से यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान प्रत्येक वर्ष में लगभग 2,000 चलते-फिरते डाकघर खोल दिए जाएं।

(ग) मध्य प्रदेश में (क) 5000 या इससे अधिक आबादी वाले 190 स्थानों में और (ख) पिछड़े व पहाड़ी इलाकों के 767 स्थानों में तारघर खोल दिए गए हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

तालिका

जिला	मौजूदा डाकघरों की संख्या						1978-79 के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
	मुख्य डाक-घर	विभागीय उप डाक-घर	विभागेतर उप डाक-घर	स्थायी विभागेतर शाखा डाक-घर	चलते-फिरते विभागेतर शाखा डाकघर	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
राजगृह	1	16	6	63	53	139	6 जिनमें 2 चलते फिरते डाक-घर भी शामिल हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गुना .	2	24	—	58	56	40 12	जिनमें 10 चलते फिरते डाकघर भी शामिल हैं।
विदिशा .	1	15	—	63	11	90 11	जिनमें 2 चलते फिरते डाकघर भी शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों और अनर्ह डाक्टरों को आधुनिक दवाइयों का प्रयोग करने से रोकना

1438. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1977 में हुए 24वें दिल्ली राज्य चिकित्सा सम्मेलन में सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों और अनर्ह डाक्टरों को आधुनिक दवाइयों, एन्टीबायोटिक इंजेक्शनों तथा कैपसूलों, जिनका उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, का प्रयोग करने से रोके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन, जिसने यह सम्मेलन किया था, से सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही अस्पतालों में उपयोगी ओषधियों की भारी कमी के बारे में शिकायत की है ; और

(ग) सरकार ने भारत में ओषधियों का उत्पादन बढ़ाने और आयातित औषधियों का कोटा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री : (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। तथापि सरकार इस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है।

(ख) दिसम्बर, 1977 में हुए 24वें दिल्ली राज्य चिकित्सा अधिवेशन ने कुछ औषधियों की भारी कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जैसे सल्फा औषधियों, स्टप्टोमाइसिन, इनक्विनाइन और मेथीलेटेड स्पिरिट। इस सम्मेलन ने राज्य और केन्द्रीय सरकारों से आग्रह किया है कि वे इस मामले की जांच करें और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। यदि आवश्यक हो तो आधारभूत सामग्री के आयात को उदार बना दें और ऐसी व्यवस्था करें कि चिकित्सा कार्य करने वाले डाक्टरों को औपचारिकताओं के बिना ही उनके उपयोग के लिए मेथीलेटेड स्पिरिट उपलब्ध हो जाए।

(ग) जहां तक सरकार को जानकारी है सल्फा औषधियों की कोई कमी हुई बताई नहीं गई है। अस्पतालों में स्ट्रेप्टोमाइसिन के योग को छोड़कर अन्य किसी भी महत्वपूर्ण औषधि की कमी के बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

जहां तक स्ट्रेप्टोमाइसिन का संबंध है, कुछ समय पहले इसकी कमी बताई गई थी जिसका कारण यह था कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इस औषधि की अनुपलब्धि/कमी हो जाने के कारण यह कम आयात हुई । इसका अब पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और विभिन्न यूनिटों की 31-3-78 तक की आवश्यकताओं को भारतीय औषधि और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने पहले ही पूरा कर दिया है क्योंकि वितरण योजना के अन्तर्गत यही इस औषधि के वितरण की एजेंसी है। साथ ही साथ राज्य औषधि नियंत्रकों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रेप्टोपेनिसिलीन के योगों का उत्पादन कम हो ताकि देश में स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग भी कम हो। भारत का राज्य रसायन और फार्मास्यूटिकल्स निगम लिमिटेड अगले वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिन की आयात की संविदा के लिए कदम उठा रहा है ? इसके साथ ही भारतीय औषधि और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और एम०ए० एल० द्वारा इस औषधि का उत्पादन बढ़ाने की संभावना है। अतः आशा है कि इस औषधि की कोई कमी नहीं होगी।

जहां तक मेथीलेटेड स्पिरिट का संबंध है, राज्य सरकारें अस्पतालों और प्राइवेट चिकित्सकों को इसकी सप्लाई राज्य उत्पादन शुल्क विनियमों के अधीन विनियमित करती हैं।

जहां तक इस सुझाव का संबंध है मैथीलेटेड स्पिरिट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों को उनके उपयोग के लिए बिना औपचारिकताओं के ही उपलब्ध करा दी जाए, यह मामला राज्य सरकारों से संबंधित है ।

सऊदी अरब द्वारा भारतीय श्रमिकों के आव्रजन पर रोक

1439. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने भारत के कुशल और अकुशल श्रमिकों के आव्रजन पर अचानक रोक लगा दी है जो तत्काल लागू हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को सऊदी अरब की इस नीति में किसी भेदभाव का पता चला है ; और

(ख) इस बारे में सऊदी अरब की सरकार के साथ हुई भारत सरकार की बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रशिक्षित बेरोजगार डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग

1440. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभा को यह बताने की स्थिति में है कि सरकार छठी श्रेणी तक अथवा इससे थोड़ा अधिक पढ़े व्यक्तियों को चिकित्सा-प्रशिक्षण देने पर करोड़ों रुपये क्यों खर्च कर रही है जबकि देश में लगभग 20,000 डाक्टर अभी तक बेरोजगार हैं; और

(ख) सरकार इन प्रशिक्षित डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं कर रही जबकि प्रत्येक डाक्टर के प्रशिक्षण पर राजकोष से 40,000 रुपये खर्च किये जा चुके हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत गांवों में रहता है जिनकी संख्या लगभग 5.80 लाख है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्र के लिए हमारे पास लगभग 5,372 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 37,775 उप-केन्द्र हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत 80,000 से 1.00 लाख तक की आबादी होती है और एक उप-केन्द्र के अंतर्गत लगभग 10,000 की आबादी होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जहां 2 डाक्टर काम करते हैं वहां एक उप-केन्द्र में कोई भी डाक्टर काम नहीं करता। हमारे जैसे विशाल देश और जनसंख्या में यह आवश्यक समझा गया कि लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में स्वयं हाथ बंटाने के लिए कहा जाए। इसी संदर्भ में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरु करने का निश्चय किया गया था जिसके अंतर्गत 1,000 आबादी वाला समुदाय अथवा गांव अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने ही निवासियों में से एक व्यक्ति का चयन करता है। इस व्यक्ति को जन स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। उसे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके प्रशिक्षण में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, मातृ और बाल स्वास्थ्य की बुनियादी बातें, छोटी-मोटी बीमारियों आदि के इलाज सम्मिलित हैं। उसका मुख्य कार्य लोगों का स्वास्थ्य सुधारना और रोगों की रोकथाम करना होगा। इलाज संबंधी उसका काम बहुत ही प्राथमिक किस्म का है। ना वह कोई डाक्टर है और ना डाक्टर का कोई विकल्प। वह जनता का स्वास्थ्य रक्षक है। इस योजना पर 1977-78 में अनुमानतः 4.26 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त डाक्टर को नियुक्त करने की व्यवस्था है जो ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीसरा डाक्टर होगा जहां पर यह योजना चालू की गई है। भारत सरकार डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता को समझती है।

बाबू बूडाल्स हिल्स को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सेवाओं का विस्तार

1441. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस्पात और खान की ओर से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सेवाओं का विस्तार बाबू बूडाल्स हिल्स को करने के लिये कोई प्रस्ताव आया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है, और यदि हां, तो उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को कर्नाटक में बाबाबूदन लोह अयस्क निक्षेपों के लिए शक्यता अध्ययन (प्रथम चरण) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने 10-6-1977 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ बाबाबूदन परियोजना को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट

कारपोरेशन लि० से अलग करने का मामला उठाया था और 4 जनवरी, 1978 को हुई नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की सर्वोच्च संयुक्त परिषदें में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि बाबाबूदन का विकास दीर्घावधि खरीद के सौदों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र की परियोजना के रूप में किय जा रहा है और इसके लिए आवश्यक अधिकांश धनराशि विदेशी खरीदारों से प्राप्त हो रही है।

डाक्टरों के लिये दो वर्ष की अनिवार्य चिकित्सा सेवा

1442. **श्री के० राममूर्ति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों के लिए दो वर्ष की अनिवार्य चिकित्सा सेवा की योजना को डा० पी० पी० गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिरीक्षक के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कहने के लिए समिति ने क्या कारण दिए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। चिकित्सा स्नातकों द्वारा अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, डा० पी० पी० गोयल की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने चिकित्सा स्नातकों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को एक वांछनीय तथा अनिवार्य अनुभव बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चूंकि नये स्नातक ग्रामीण परिस्थितियों से अपरिचित तथा समाज की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ होते हैं इसलिए जिला और तहसील अस्पतालों में कार्य कर रहे वरिष्ठ डाक्टरों को प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में तैनात करना उचित होगा और इस अवधि के दौरान नये स्नातकों को जिला और तहसील अस्पतालों में नियुक्त किया जाए। समिति ने आगे यह भी कहा कि नये स्नातकों को ग्रेजुएशन के पहले पांच वर्षों के अन्दर ग्रामों में सेवा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

NEW POLICY FOR WELFARE OF WORKERS

1443. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the outlines of the new policy laid down for the welfare of workers to give them maximum benefit so as also to ensure increase in production ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Consistent with the policy of a Fair Deal to the workers, the Government is endeavouring to secure to all workers, including rural and unorganised workers, a decent standard of life. Some of the measures taken by the Government in this connection include undoing of wrongs to workers during the Emergency, discontinuing impounding of Dearness

Allowance under the Compulsory Deposit Scheme, restoration of minimum bonus for 1977 and inclusion of categories of workers excluded from Payment of Bonus Act during the Emergency, appointment of Committee on Workers' Participation in Management and Equity and holding of a Conference on Unorganised Labour. The Government proposes to introduce a Comprehensive Industrial Relations Bill with a view to securing peace and amity in industry and ensuring uninterrupted flow of production.

INCREASE IN NUMBERS OF POST OFFICES, TELEPHONE EXCHANGES AND P.C.Os. IN U.P.

†1444. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether increase in the number of Post Offices, Telephone Exchanges and P.C.Os. in Uttar Pradesh proportionate to the population has been less than other States; and

(b) if so, the reasons therefor and the target set for Uttar Pradesh for the current financial year :

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI : (a) (i) *Post Offices* :

The total number of post offices in U.P. State is 15,825, the largest among all the States. As the growth of Postal traffic is not dependent on growth of population alone, the increase in the number of post offices need not be in proportion to the latter.

(ii) *Telephone Exchanges and P.C.Os.*

Telephone exchanges are opened on the basis of Telephone demand only and not on the basis of population. The number of new Telephone Exchanges and P.C.Os.' added in UP in 1976-77 was 17.4% and other States 82.6% whereas the population of UP is 16.2% of the population of the country.

(b) The target set for UP for the current year is as follows :

New Post Offices in villages :	304
Telephone Exchanges	27
Public Call Offices	300

PRIMARY HEALTH CENTRE IN RURAL AREA UNDER FAMILY WELFARE PROGRAMMES

1445. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of Primary Health Centres set up in rural areas during 1976-77 and the target set for 1977-78, under the Family Welfare Programme ?

(b) whether any special facilities have been provided in these centres to guide the people living in rural areas to enable them to take to family planning in a proper way; and

(c) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : (a) No assistance under Family Welfare Programme is available for setting up of Primary Health Centres. Assistance under Family Welfare Programme is made available for setting up Rural Family Welfare Centres at the Primary Health Centres. No Rural Family Welfare Centre was established during 1976-77 but 200 Centres were agreed to be opened during 1977-78.

(b) Yes.

(c) The undermentioned medical and para-medical personnel have been provided at these centres for providing services for IUD insertions, voluntary sterilisations and supply of conventional contraceptives.

1. Medical Officer ....1.

2. Extension Educator ....1.

3. Lady Health Visitor ....1.

4. Auxiliary Nurse Midwife ....1.

5. F. W. Health Assistant ....1 for 20,000 population.

6. Computor ....1.

In addition t oprovision of Services, the staff provided carry out the motivation work and do follow up of the cases who have undergone voluntary sterilisation. Wherever the CHW Scheme is being launched these Community Health Workers will also do motivational work for Family Welfare Programme in the villages.

OPENING OF POST OFFICES AND P.C.O. IN HUMAYUNPUR, AKBARPUR GARHI VILLAGE, MEERUT DISTRICT

†1446. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there are no public telephone and post office in the villages Humayunpur, Akbarpur Garhi with a population of about 20 thousands in Tehsil, Mawana of District Meerut; and

(b) if so, the action being taken by Government to provide telephone and post office facilities in these villages ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): SAI): (aR Yes, Sir.

(b) Telephone service can be provided only after Post Offices are opened but opening of new post offices in these villages is not justified according to the departmental norms.

FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN TO WORKERS INJURED OR KILLED IN INDUSTRIAL UNITS AND EMPLOYMENT PROVIDED TO DEPENDENTS

1447. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the amount of fincial assistance given during the last two years to the families of workers injured or killed in various industrial units under public and private sectors in the country; and

(b) the number of those employees out them whose dependents have been given employment ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) The workers employed in covered industrial units, public as well as private, and in receipt of wages not exceeding Rs. 1000/- per month are entitled to compensation, for employment injuries, either under the Employees' State Insurance Act, 1948 or the Workmen's Compensation Act, 1923. The amount of compensation paid under the Employees' State Insurance Act, 1948 during the last two years to the workers or their dependents is as given below :—

Nature of benefit	1975-76	1976-77
	(Rupees in lakhs)	
(i) Temporary Disablement	248·55	439·29
(ii) Permanent Disablement	296·43	307·23
(iii) Dependent's Benefit in case of death.	57·97	65·43

The employer is liable to pay compensation under the W.C. Act, 1923. The latest available information regarding payment of compensation under the Act is as given below :—

Nature of disability	1973	1974
	(Rupees in lakhs)	
(i) Temporary Disablement	37·61	36·21
(ii) Permanent Disablement	30·15	30·31
(iii) Death.	48·13	48·26

(b) The E.S.I. Act, 1948 and W.C. Act, 1923, do not provide for employment to the dependents of the deceased or injured worker.

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का विरोध

1448. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री के० मालन्ना
श्री मनोरंजन भक्त
श्री सुखदेव प्राद वर्मा
श्री अमर सिंह वी राठवा
श्री ईश्वर चौधरी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक डाक्टरों ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) नहीं । वस्तुत: इस योजना के महत्व पर चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तिगण सरकार से सहमत हैं । इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुरु में योजना के कुछ पहलुओं के प्रति विरोध प्रकट अवश्य किया था, लेकिन उन्होंने भी योजना के उद्देश्यों की प्रशंसा की थी । एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बाद में अपनी स्थिति स्पष्ट करने और इस विषय पर सरकार के विचारों को समझने का अवसर दिया गया था ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

PROVISION FOR DELIVERY CASES OF WIVES OF CLASS IV EMPLOYEES IN WILLINGDON HOSPITAL

1449. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after the formation of Janata Government there is no provision for attending to the delivery cases of the wives of Class IV employees in Willingdon Hospital in New Delhi but there are separate arrangements for employees drawing higher salaries; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government to remove this discrimination ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). Willingdon Hospital and Lady Harding Medical College and Hospital function in a complementary manner in so far as facilities for medical treatment for maternity and Gynae cases are concerned. There is no general maternity ward in the Willingdon Hospital and people avail of the facilities provided for the purpose in

the Lady Hardinge Hospital. 14 Nursing Home rooms in the Willingdon Hospital are earmarked for maternity cases, for use of those who are eligible for nursing home facility.

AID RECEIVED BY INDIAN RED CROSS SOCIETY

1450. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state whether Indian Red Cross Society has received any financial assistance from Government and from other sources during the last three years ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Yes, Sir. The details are as follows :—

Year	From Govt. of India	From other sources
1975 . . .	Rs. 38,70,878	Rs. 25,27,404
1976	Rs. 57,56,913	Rs. 26,04,039
1977	Rs. 7 10,330	Rs. 70,59,049

छोटे इस्पात कारखानों में पूंजी निवेश तथा उनमें संकट

1451. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे इस्पात कारखानों में 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवरुद्ध हो गई है और ये कारखाने अपने अस्तित्व के लिये संकट का सामना कर रहे हैं,

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ,

(ग) चालू वर्ष में उनके उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं, और

(घ) घरेलू खपत अथवा और निर्यात के लिये अपने उत्पादन को बाजार में लाने हेतु सरकार ने उन्हें क्या सहायता दी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पता चला है कि छोटे इस्पात कारखानों में कुल 250 से 300 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। कुल 206 इकाइयों को लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से अब तक केवल 124 इकाइयों ही लगाई गई हैं और दिसम्बर, 1977 में इनमें से केवल 93 इकाइयां ही चालू थी। फिर भी, छोटे इस्पात कारखानों की क्षमता में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों के (जिनका विवरण प्रश्न के भाग (ख) और (घ) में दिया गया है) फलस्वरूप छोटे इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार हुआ है। जबकि जनवरी, 1977 में 84 इकाइयों में उत्पादन हो रहा था, दिसम्बर, 1977 में 93 इकाइयों में उत्पादन हो रहा था। जनवरी, 1977 के कुल 86,934 टन पिण्डों के उत्पादन की तुलना में दिसम्बर, 1977 में कुल 1,00,955 टन पिण्डों का उत्पादन हुआ।

(ख) और (घ) लघु इस्पात कारखानों की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) पिण्डों/बेलित उत्पादों के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) मेल्टिंग स्क्रेप पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(3) दो लाख टन फैरस मेल्टिंग स्क्रेप आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(4) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त की गई हैवी मेल्टिंग स्क्रेप की कुछ श्रेणियों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(5) छोटे इस्पात कारखानों को मिश्र इस्पात की कुछ श्रेणियों के मिश्र-इस्पात तैयार करने की अनुमति दी गई है। कुछ चुने हुए छोटे इस्पात कारखानों को अपनी सक्षमता में सुधार लाने के लिए बेलन सुविधाएं लगाने की अनुमति दी जाय।

(6) वित्तीय संस्थानों द्वारा चुने हुए छोटे इस्पात संयंत्रों को वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए ।

(7) देशीय स्त्रोतों से आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(8) जहां तक सम्भव है बिजली की आपूर्ति निरन्तर तथा अविरोधी आधार पर की जा रही है।

(9) सरकार ने छड़, गोल छड़ और स्प्रिंग स्टील फ्लेट पर चुंगी वापसी की अनुमति दे दी है जिससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी।

(ग) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक छोटे इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 8 लाख टन था। इस उत्पादन का अनुमानित मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपए है।

DISTRIBUTION OF ANTI-KALA-AZAR DRUGS

1452. SHRI ISHWAR CHAUDHARY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that incidence of fatal disease like Kala-Azar is high in Vaishali, Muzaffarpur, Samastipur and Sitamarhi Districts in Bihar;

(b) if so, whether Government have launched at Central level a campaign for distribution of anti-Kala-Azar drugs to control the disease; and

(c) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : (a) Yes. There was a serious outbreak of Kala-azar in these four districts during early part of 1977.

(b) Yes. A campaign to control the disease through insecticidal spray and proper treatment with anti-Kala-azar drugs was launched with the Central Government assistance.

(c) The following measures were taken :—

1. DDT spray has been given in the area to control the sand fly population which is the carrier of the disease.

2. Antimony drugs have been provided by the State Government to the primary health centres for giving treatment to the affected cases.

3. Adequate amount of Pentamadine and Lomidine, which are required for cases which are resistant to Antimony drugs have been procured and provided to the Government of Bihar.

4. Central Teams from National Institute of Communicable Diseases have paid repeated visits to supervise the field activities.

5. The insecticidal spray and provision of drugs are being continued not only in four districts mentioned in part (a) of the Question but this is also being expanded to cover other districts which are affected by the disease.

6. Research is being undertaken to outline steps to prevent the recurrence of the disease.

राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में इस्पात, कच्चे लोहे, लौहपिण्डों और रेलों आदि का उत्पादन

1453. डा० बापू कालदाते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, और बोकारो स्थित चारों इस्पात संयंत्रों में इस्पात, कच्चे लोहे, लौहपिण्डों, रेलों आदि का कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) संयंत्रवार और उत्पादवार उत्पादन का ब्यौरा क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) वर्ष 1977 में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों का लौहे और इस्पात का कारखानावार तथा उत्पादवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

[विवरण

वर्ष 1977 में लोहे और इस्पात का उत्पादन

(हजार टन)

उत्पाद	भिलाई	दुर्गापुर	राउरकेला	बोकारो	कुल
1. तप्त धातु (कच्चा लोहा) .	2769.2	1167.9	1348.8	1695.9	6981.8
2. विक्रेय कच्चा लोहा	770.2	43.9	17.5	553.5	1385.1
3. इस्पात पिण्ड .	2369.7	1125.8	1443.9	1034.7	5974.1
4. विक्रेय इस्पात					
(क) बिक्री के लिये अर्द्ध तैयार माल (ब्लूम/ स्लैब / बिलेट) .	317.7	343.9	20.5	114.8	769.9
					796.9
(ख) फ्लेट उत्पाद (तैयार)					
भारी प्लेटें .	—	—	304.2	13.3	317.5
गर्म वेलित क्वायल/ स्लिट क्वायल	—	—	240.2	397.1	637.3

उत्पाद	भिलाई	दुर्गापुर	राउरकेला	बोकारो	कुल
गर्म बेलित प्लेटें	—	—	21.3	180.3	201.6
गर्म बेलित चादरें	—	—	65.3	103.5	168.8
जस्ती चादरें क्ष.	—	—	130.1	—	130.1
ठंडी बेलित चादरें	—	—	250.1	80.4	330.5
स्ट्रिप/ क्वायल टिन प्लेटें .	—	—	58.5	—	58.5
(इलेक्ट्रोलिटिक – स्केल्प .	—	90.4	—	—	90.4
पाइप .	—	—	83.6	—	83.6
जोड़ ..	—	90.4	1153.3	774.6	2018.3
(ग) नान-फ्लैट उत्पाद					
(तैयार) हल्के और मध्यम संरचनात्मक .	—	157.8	—	—	157.8
भारी संरचनात्मक	328.4	—	—	—	328.4
मर्चेन्ट प्रोडक्ट्स (छड़ तथा हल्के संरचनात्मक) .	517.3	202.0	—	—	719.3
तार छड़ .	483.6	—	—	—	483.6
फ्री रेले .	315.2	—	—	—	315.2
जोड़पट्टी	—	1.7	—	—	1.7
स्लीपर .	—	81.6	—	—	81.6
पहिए, धुरे, और टायर	—	20.0	—	—	20.0
जोड़ .	1644.5	463.1	—	—	2107.6
जोड़ (क)+(ख)+(ग) .	1962.2	897.4	1173.8	889.4	4922.8

केन्द्रीय मंत्रियों के टेलीफोन बिल

1454. श्री सी० के० जाफर शरीफ: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि में, केन्द्रीय मंत्रियों के मंत्रालयों में स्थित कार्यालयों और निवासों के टेलीफोनों के बिलों संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह तैयार हो जाएगी, इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध

1455. श्री आर० बी० स्वामीनाथन: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच सभी शेष विवाद हल हो गये हैं,

(ख) क्या श्रीलंका ने उन सभी भारतीयों को अपने यहां खपाना स्वीकार नहीं किया है जिन्होंने श्रीलंका की नागरिकता के लिये अपनी स्वेच्छा व्यक्त की थी, और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :(क) भारत और श्रीलंका के बीच कोई समस्या शेष नहीं है।

(ख) और (ग) : श्रीलंका के भारतीय मूल के लोगों के दर्जे और उनके भविष्य के विषय में भारत और श्रीलंका की सरकारें अपने 1964 के करार से और 1974 के अनुपूरक करार से बंधी हुई हैं जिनमें श्रीलंका ने अपने यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में से 3,75,000 लोगों को, उनकी संतति सहित नागरिकता देना स्वीकार किया है। अगर इस से ज्यादा भारतीय मूल के लोग श्रीलंका की नागरिकता की मांग करते हैं तो स्पष्ट है कि उनमें से कुछ को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

बंगला देश के राष्ट्रपति का दौरा

1456. श्री बालासाहिब विखे पाटिल: क्या **विदेश** मंत्री बंगला देश के राष्ट्रपति के हाल के दौरे तथा उनके द्वारा अपने देश में शस्त्रों को कम करने के बारे में दिए गये आश्वासन के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका हमारी नीति पर और पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : बंगला देश के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान सामान्य और पूर्ण निस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयत्न के रूप में इस उप महाद्वीप में शस्त्रों के खर्च को कम करने के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया था। यह बातचीत सामान्य रूप में हुई थी और इसलिए किसी भी पक्ष द्वारा अपने-अपने देश में अस्त्र कम करने के लिए कोई आश्वासन देने का कोई प्रश्न या अवसर ही नहीं था। इसलिए इस प्रश्न के अंत में उठायी गयी बात का प्रश्न नहीं उठता।

अशोक बिहार दिल्ली स्थित औषधालय

1457. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक विहार, दिल्ली में हाल ही में एक नया औषधालय खोला गया है ;

(ख) इस औषधालय से कतनी कालोनियां लाभान्वित होती हैं ;

(ग) क्या इस औषधालय में अनुभवी डाक्टर नहीं नियुक्त किये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ये डाक्टर रोगियों को अच्छी दवायें नहीं देते हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें बहुत कठिनाई हो रही हैं और रोगियों को उपचार के लिये प्राइवेट डाक्टरों की शरण लेनी पड़ती है ; और

(ङ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का है कि रोगियों का उचित रूप से इलाज हो और उन्हें इस औषधालय में अच्छी दवायें मिलें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यह औषधालय नीचे लिखी कालोनियों को इलाज की सुविधाएं प्रदान करता है :—

1. अशोक बिहार
2. श्रीनगर
3. लारेन्स रोड कालोनी
4. भारत नगर
5. जे० जे० कालोनी
6. निमरी कालोनी
7. सावन पार्क
8. रामपुरा

(ग) इस डिस्पेंसरी में तैनात किये गये पांच डाक्टरों में से तीन को 10 वर्ष से अधिक अवधि तक अनुभव है और अन्य दो को क्रमशः 5 और डेढ़ वर्षों का अनुभव है।

(घ) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) जब कभी किसी औषधि की क्वालिटी के बारे में कोई सन्देह प्रकट किया जाता है तो इस औषधि को क्वालिटी कैसी है, इस बात की जांच करने के लिए उसे चिकित्सा सामग्री भंडार (के० स० स्वा० ओ०) के माध्यम से भेजा जाता है। चिकित्सा सामग्री भंडार स्वयं भी सरकारी प्रयोगशाला से समय-समय पर औषधियों की क्वालिटी विषयक जांच कराता रहता है।

चिकित्सा अधिकारियों को स्थाई अनुदेश दिए गए हैं कि वे रोगी की समुचित रूप से जांच करके उसे उपयुक्त औषधियों का नुस्खा लिखे और इन अनुदेशों को समय-समय पर दुहराया जाता है।

मजूरी बोर्ड के गठन के बारे में इंडियन ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी का वक्तव्य

1458. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी द्वारा दिया गया इस आशय का वक्तव्य देखा है कि पत्रकार तथा गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्डों का ठीक प्रकार से गठन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :(क) इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी द्वारा अखबारों में दिया गया वक्तव्य सरकार के ध्यान में आया है। दोनों मजूरी बोर्डों के नियोजक प्रतिनिधियों ने दिसम्बर, 1977 में सरकार को लिखा कि वे मजूरी बोर्डों से अलग हो रहे हैं क्योंकि उनके संगठन चाहते थे कि वे अलग हो जाएं ।

(ख) नियोजकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से गतिरोध को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया गया। आशा है कि इस विचार-विमर्श का दूसरा दौर मार्च से प्रारंभ होगा।

ऐलप इस्पात कारखाना और फ्रांसीसी फर्म के साथ सहयोग

1459. श्री शरद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र में ऐसा कोई इस्पात मिल नहीं है जो आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क पर आधारित हो, बल्कि अब वह अन्य इस्पात संयंत्रों के कच्चे माल के आधार पर रोलिंग मिल कम्पलेक्स स्थापित करेगा ,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित उत्पादन की लागत में कमी करने, प्रारंभ से बनाये जाने वाले मदों, स्टेनलैस इस्पात के आयात को लागतवार कम करने के लिये कार्य सर्वोत्तम ढंग से कैसे किया जायेगा ,

(ग) क्या अभिनय की स्थिति से पूरी परियोजना की कुल लागत में वृद्धि हुई है, और

(घ) यदि हां, तो कितनी और उसके शीघ्र पूरा किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार यह परियोजना दो चरणों में स्थापित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 32,000 टन ठंडी बेलित बेदाग इस्पात की चादरें/ पत्तीं का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और दूसरे चरण में, लोहा तथा इस्पात बनाने, बेदाग इस्पात, वैद्युतिक तथा दूसरी किस्म के विशेष इस्पात के गर्म तथा ठंडे बेलन के लिये अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

इस परियोजना के प्रथम चरण में ,जिसे इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, खरीदे गए हाट बैंडों का प्रयोग किया जायेगा। उत्पादन आरंभ हो जाने से बेदाग इस्पात की चादरों / पत्तियों का आयात काफी हद तक कम हो जाएगा और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तकनीकी सहयोग के लिए फ्रान्स की फर्म के साथ हुए करार से आधुनिक प्रौद्योगिक से उत्पादन किया जाएगा और इस तरह उत्पादन लागत में भी कमी होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी केवल प्रथम चरण ही कार्यान्वित किया जा रहा है न कि पूरी परियोजना ।

(घ) परियोजना का कार्य समय-सूची के अनुसार चल रहा है और परियोजना के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 1981 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

देश में तांबे की खरीद

1460. श्री शरद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों में तथा तांबे के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप देश में तांबे की खरीद कम होती जा रही है ?

(ख) क्या तांबे के देशीय उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप इसके आयात में कमी हुई ;

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों बातों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

(घ) इस धातु के व्यापक उपयोग के लिये सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है ताकि इनकी खपत करने वाले उद्योगों का उल्लेखनीय विकास हो ; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस धातु के उत्पादन तथा आयात और खपत-दर का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) तांबे की घरेलू खरीद के लगातार कम होने का प्रमुख कारण यह है कि उसके स्थान पर अन्य धातुओं मुख्यत: एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा तांबे की खपत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

(ख) जी हां, अब तांबे के देशी उत्पादन से लगभग 42 घरेलू मांग की पूर्ति हो रही है।

(ग) तांबा अयस्क का उत्पादन और आयात का ब्यौरा प्रश्न के भाग (ड़) के उत्तर में दिया गया है।

(घ) खपत करने वाले उद्योगों के उल्लेखनीय विकास की दृष्टि से तांबे के व्यापक उपयोग हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) वास्तविक खपत-कर्त्ताओं को तांबा प्राप्ति की प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है। और उसकी पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित की गई है।

(2) बिजली मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और कुछ विशेष किस्म के जेनरेटर्स के निर्माताओं को उत्पादन/आयात शुल्कों में रियायत दे कर कम मूल्य पर तांबा उपलब्ध किया जा रहा है।

(ड़) तांबा उत्पादन और आयात के पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(ईकाई : टन)

वर्ष	आयात	उत्पादन	खपत
1972-73	54,456	8,651	57,215
1973-74	52,622	8,818	59,272
1974-75	41,766	9,851	37,798
1975-76	14,810	18,648	47,459
1976-77 . .	40,617	22,424	54,662
1977-78 (अनुमानित) .	25,000	23,200	55,000

NUMBER OF T.B. PATIENTS IN EACH STATE

1461. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of T.B. patients in the country State-wise;

(b) the number of B.C.G. vaccinations administered by Government annually during the last three years;

(c) whether Government propose to launch this campaign in rural areas also with a view to provide immunity to maximum number of people against T.B.; and

(d) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) According to the National TB Survey, nearly 1.5% of the population is suffering from radiologically active TB disease of which ¼th are sputum positive or infectious. The total population of India, as per 1971 census, was 548 million. On this basis the estimated number of such cases state-wise/territory-wise is enclosed (Annexure 'A').

(b) The total number of DCG vaccinations performed during the last three years is as follows :

1975	15 million
1976	14 million
1977 (upto Sept.)	9·1 million

(c) and (d) BCG vaccination campaign which is in operation for the last 27 years also covered the rural population. However, in order to increase its coverage speedily especially in the rural areas, BCG vaccination programme has now been integrated with general health and medical services and the services of A.N.Ms. and other health workers at PHCs and sub-centre level are being utilised for BCG vaccination, as a part of the Extended Immunisation Programme of the general health services. For this purpose, the present BCG teams available in the States/UTs are being engaged to train all health workers at PHCs and sub-centres in the technique of BCG vaccination.

ANNEXURE-A

S. No.	Name of States/ Union Territories	Total Population	Estimated X-Ray cases	Estimated sputum positive cases
1	2	3	4	5
		(million)		
1.	Andhra Pradesh	43·00	6,60,000	1,76,000
2.	Assam	15·00	2,25,000	60,000
3.	Bihar	56·00	8,40,000	2,24,000
4.	Gujarat	27·00	4,05,000	1,08,000
5.	Haryana	10·00	1,50,000	40,000
6.	Himachal Pradesh	3·00	45,000	12,000
7.	Jammu & Kashmir	5·00	75,000	20,000
8.	Karnataka	29·00	4,35,000	1,16,000
9.	Kerala	21·00	3,15,000	84,000
10.	Madhya Pradesh	42·00	6,30,000	1,68,000
11.	Maharashtra	50·00	7,50,000	2,00,000
12.	Manipur	1·00	15,000	4,000
13.	Meghalaya	1·00	15,000	4,000
14.	Nagaland	0·5	7,500	2,000

1 2	3	4	5
15. Orissa . .	22·00	3,30,000	88,000
16. Punjab	14·00	2,10,000	56,000
17. Rajasthan	26·00	3,90,000	1,04,000
18. Sikkim .	0·2	30,000	8,000
19. Tamil Nadu.	41·00	6,15,000	1,64,000
20. Tripura .	0·2	30,000	800
21. Uttar Pradesh	88·00	1,32,000	3,52,000
22. West Bengal	44·00	6,60,000	1,76,000
23. A & N Islands .	0·1	1,500	400
24. Arunachal Pradesh	0·4	6,000	1,600
25. Chandigarh .	0·2	3,000	800
26. D & N Haveli .	·07	1,050	280
27. Delhi . . .	4·00	60,000	16,000
28. Goa, Daman & Diu	0·8	1,20,000	3,200
29. Lakshadweep	·03	450	120
30. Mizoram .	0·3	4,500	1,200
31. Pondicherry . .	0·4	6,000	1,600
INDIA	548	82,20,000	21,92,000

SHIFTING OF MAIL SORTING OFFICE, BHOPAL TO R.M.S. OFFICE BUILDING IN BHOPAL

†1462. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to shift Mail Sorting Office of Bhopal City in the R.M.S. office building Bhopal;

(b) if so, the difficulty in doing so and the time by which it will be shifted in R.M.S. Office Building; and

(c) the condition of the building housing the City Mail Sorting Office and whether it is fit for housing this office ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI : (a) Yes, Sir.

(b) The merger of the two offices will adversely affect the efficient transmission of mails resulting in delay in delivery. The accommodation will not at all be sufficient at Bhopal RMS to permit merger;

(c) The building in which Bhopal City Sorting Office is located at present is fit for our needs.

प्रशिक्षुओं के लिये पदों का आरक्षण

1463. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लाखों छात्रों को एक, दो अथवा तीन वर्ष के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया गया था, वे अभी भी बेरोजगार हैं और इस प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है ;

(ख) क्या यह योजना अभी भी जारी है ; और

(ग) क्या यह उचित नहीं होगा कि इस योजना को पूर्णतः रोजगार प्रधान बना दिया जाए और उन व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण कर दिया जाए, जिन्होंने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

संदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क), (ख) और (ग) : शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षु प्रशिक्षण योजना, जो कि एक सतत योजना है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। इस योजना को 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था। हाल के वर्षों के दौरान पास हुए शिक्षुओं की संख्या निम्नलिखित हैं :—

1974		15,832
1975	.	16,692
1976		15,157*
1977	.	14,720*

इस योजना का मूल उद्देश्य शिक्षु को उसके व्यवसाय के कौशलों और रोजगार सम्भाव्यता की बढ़ौतरी के लिए तैयार करना है। तथापि उसे नियमित काम देने का निर्णय, नियोजकों पर निर्भर करता है।

रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर पास हुए शिक्षुओं की संख्या 30 जून, 1977 को 27,497* थी। साधारणतया, योजक उपलब्ध रिक्तियों में खपाने के लिए अपने प्रतिष्ठानों से पास हुए शिक्षुओं को ही वरीयता देते हैं। 25% पदों का विशेष आरक्षण, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। तथापि, पास हुए शिक्षुओं को खपाने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/20/72-स्थापना (डी०), दिनांक 10-10-1973 (प्रतिलिपि संलग्न है) के द्वारा आदेश जारी किए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 1687/78]

भारतीय संचार व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिये अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा सहायता

1464. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन तथा अमरीका ने चालू वर्ष के दौरान भारतीय संचार व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिये सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या इन दोनों देशों के साथ किन्हीं करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर

1465. श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोले जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कब।

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के लिये ब्यौरेवार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

क्षय रोग तथा अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिये अस्पतालों में दाखिल हुए सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

1466. श्री के० मायातेवर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो क्षय रोग तथा अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिये अंतरंग रोगियों के रूप में अस्पतालों में दाखिल होते हैं, उनका वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु सरकार ऐसी परिस्थितियों में अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान शीघ्र करती है, और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित कराने के लिये कि अंतरंग रोगियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाये ताकि उन्हें शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त मानसिक कष्ट न भुगतना पड़े, सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक आदेश देगी;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो क्षयरोग और अन्य गम्भीर रोगों के इलाज के लिये अस्पतालों में भर्ती होते हैं उन्हें उनका वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि उनको वेतन उन सरकारी संस्थाओं/ कार्यालयों द्वारा छुट्टी नियमों के अनुसार दिया जाता है जहां पर वे कार्य करते हैं।

(ख) भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह अंतरंग रोगियों के नियोक्ताओं से उनको नियमित रूप से वेतन देने के लिए कहें।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये दोहरी नागरिकता

1467. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई मांग हुई है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाये जैसा कि पाकिस्तान, बंगलादेश और इटली में व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) (क) जी हां।

(ख) भारतीय कानून में दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा (9) (1) के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है। लेकिन कोई पूर्ववर्ती भारतीय राष्ट्रिक स्थायी रूप से बसने के लिए यदि भारत आए, तो वह नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता पुन: प्राप्त कर सकता है।

BRINGING BACK REMAINS OF BAHADUR SHAH ZAFAR

†1468. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to get the remains of late Bahadur Shah Zafar, the last Mughal King and leader of revolution of 1857, from Burma Government and raise his memorial in Delhi; and

(b) if so, the efforts made so far or proposed to be made by the Government of India in this regard ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) and (b) The Government are considering various aspects of this issue and have not yet decided whether a formal approach to the Government of Burma should be made.

TO BE ANSWERED ON 2ND MARCH, 1978 KASHMIR

*1469. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by General Zia, Administrator of Pakistan, during the visit of British Prime Minister to Pakistan that it is difficult to improve relations with India until Kashmir issue is resolved; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Government's attention has been drawn to press reports about such a statement.

(b) The stand of the Government on Kashmir is well known.

P. F. OUTSTANDING AGAINST ASSAM TATA MILLS, ASSAM

1470. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Provident Fund of the workers of the Assam Tata Mills; Charidwar in District Taranga, Assam has not been deposited for the last three years; and

(b) if so, the amount outstanding at present ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) and (b) It has been reported by the Provident Fund authorities that there is no such establishments.

CENTRALLY CONTROLLED HOSPITALS IN SIKKIM

1471. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the benefit of the citizens there is no hospital in Sikkim run with the cooperation of the State Government and the Central Government; and

(b) if so, the number of Centrally controlled hospitals proposed to be opened there during the next financial year ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) The establishment and administration of hospitals in the States fall within the jurisdiction of the State Government. The Plan submitted by the State Government for expansion of the Central hospital at Gangtok which is being run by the State Government has been approved by the Planning Commission which has allocated an amount of Rs. 4.00 lakhs in the Annual Plan 1978-79 for this purpose. There is no proposal of the State Government for the establishment of a hospital controlled by the Central Government.

INCIDENCE OF FILARIA DISEASE IN THE VILLAGES NORTH AND SOUTH OF BASTAR DISTRICT

1472. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether incidence of Filaria disease has increased considerably in the villages situated in the north and south of Bastar District; and

(b) if so, steps taken or proposed to be taken by Government to check this disease ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, there is no evidence to indicate any increase in Filaria disease in the villages in the north and South of Bastar District.

(b) Does not arise.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण में ह्रास

1474. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण में काफी गिरावट आई है ।

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उन श्रमिकों को सरकार क्या गारंटी देती है जिनसे निश्चित चिकित्सा सहायता और सुविधा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से अंशदान लिया जाता है ; और

(घ) किसी दुर्घटना में श्रमिक की मत्यु होने के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मालिकों से क्या क्षतिपूर्ति ली जाती है और श्रमिकों के आश्रितों का किस प्रकार पालन पोषण किया जाता है/उन्हें मुआवजा दिया जाता है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण में गिरावट की कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं । प्रसुविधाओं में और सुधार लाने तथा योजना के प्रशासन को उन्नत बनाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है ।

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ-भोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था हेतु उचित प्रबन्ध किए गए हैं।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नियोजकों और कर्मचारियों दोनों द्वारा अंशदान का भुगतान किया जाता है। उन श्रमिकों के आश्रितों को, जो रोजगार में चोट के परिणामस्वरूप मर जाते हैं, निगम के कोष में से नियतकालिक पेंशन के रूप में आश्रित लाभ का भुगतान किया जाता है।

उड़ीसा में फार्मेसी कालेजों की स्थापना

1475. श्री शिवाजी पटनायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फार्मेसी कालेज स्थापित किये जायेगें ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितने ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उड़ीसा में कोई फार्मेसी कालेज खोलने का न तो भारत सरकार का और न ही उड़ीसा राज्य सरकार का विचार है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ?

CHECKING OF INCIDENCE OF MALARIA, T.B. AND LEPROSY

1476. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether incidence of Malaria, T.B. and Leprosy has not been effectively checked in spite of the efforts being made by Government;

(b) whether the drugs required for checking the infectious diseases are also generally in short supply;

(c) whether the resources or hospitals required for treatment of these diseases are also not available: and

(d) if so, the reaction of Government and the steps taken in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PARSAD YADAV) : (a) According to the reports received the incidence of malaria during 1977 is lower than that for the corresponding period during 1976. There is, however, not much reduction in the number of cases of T.B. and Leprosy.

(b) The availability of anti-malaria, anti-leprotic and anti-T.B. drugs is generally quite sufficient to meet the demands in the country. However, there was some shortage of Streptomycine for Tuberculosis cases during the last few months in the open market. Some anti-leprotic drugs, particularly Refampicin and Lamprene, which are quite costly are in short supply. These drugs are not manufactured in the country but their import has been arranged.

(c) Adequate resources have been provided for treatment of malaria cases. As regards Tuberculosis, over 600 T.B. Clinics have been established for undertaking domiciliary treatment of T.B. Patients, 310 of them have been upgraded as district T.B. centres to

undertake T.B. case finding and treatment programme. A total of about 42,500 T.B. beds have also been established so far for in-patient treatment of T.B. patients. For treatment of leprosy cases, there are about 30,000 beds—21,000 being maintained by voluntary organisations.

(d) Steps are being taken under the National Tuberculosis Control Programme for expansion of diagnosis treatment and BCG prevention activities throughout the country. It is proposed to establish additional district T.B. Centres and T.B. Isolation beds. Government is trying to mobilise more resources for making additional facilities available for treatment of communicable diseases.

BRINGING DOWN THE BIRTH RATE TO 30 PER THOUSAND

1477. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the percentage by which birth rate declined during 1976-77 and by the end of 1977;

(b) whether Government propose to bring down the birth rate to 30 per thousand by 1978-79;

(c) whether it is a fact that this proposal or idea was considered to be impracticable in the Conference of Family Welfare Councils and the Conference recommended extension of this period; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) As a result of work done so far under Family Welfare Programme, the Birth Rate is expected to be around 34 per thousand of population in 1976-77 and around 33 per thousand of population in 1977-78.

(b) The demographic objective of the Family Welfare Programme as laid down in the Fifth Five Year Plan was to bring down the Birth Rate to the level of 30 per thousand of population by 1978-79.

(c) The progress under Family Welfare Programme was reviewed at the Fourth Joint Conference of the Councils of Health and Family Welfare, held in January, 1978, and it was felt that the objective of reducing the Birth Rate to 30 per thousand by 1978-79 was unattainable. The Conference therefore, recommended that the Birth Rate goal should be fixed at 30 per thousand in 1982-83.

(d) The recommendation will be kept in view in the formulation of the next Five Year Plan.

FALL IN PRODUCTION IN FACTORIES UNDER SAIL

1478. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production in the factories under the Steel Authority of India Limited has declined in 1977 as compared to that in 1976;

(b) the quantity of Steel exported by SAIL International during 1977 and the revenue earned thereby; and

(c) the percentage by which it increased or decreased as compared to that in 1976 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) No, Sir. The aggregate production of ingot steel and saleable steel from the five steel plants under Steel Authority of India Ltd. in 1977 exceeded the production in 1976 by 5.9% and 5.7% respectively.

(b) and (c) SAIL International Limited exported 1,226,521 tonnes of steel valued at Rs. 199.30 crores during 1977 which was less than the exports in 1976 by 5.75% in terms of quantity and 1.09% in terms of value.

राष्ट्रीय यूनानी संस्थान की स्थापना

1479. **श्री लखन लाल कपूर :** क्यास्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय यूनानी संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क) और (ख) सरकार एक राष्ट्रीय यूनानी संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

SHIFT IN FOREIGN POLICY AFTER VISIT OF U.S. PRESIDENT AND U.K. PRIME MINISTER

†1480. SHRI AMARSINGH V. RATHAWA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recent visit of the U.S. President, Mr. Carter and the U.K. Prime Minister Mr. Callaghan to India has made any impact on India's policy of non-alignment and it has also undergone some change;

(b) whether the opposition has also been taken in confidence in regard to India's present foreign policy;

(c) if not, the reason therefor; and

(d) the reaction abroad to the shift in India's foreign policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) No, Sir. There has been no change in India's policy of Non-alignment.

(b) The Parliamentary Consultative Committee, which includes Members of the Opposition, is kept informed on a regular basis about our foreign policy initiatives.

(c) & (d) Do not arise.

CONSTITUTION OF TELEPHONE ADVISORY COMMITTEES IN RAJASTHAN

†1481. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have constituted Telephone Advisory Committees for Rajasthan Circle and for various divisions of Rajasthan;

(b) if so, whether a statement showing the details thereof and the names and addresses of their members will be laid on the Table; and

(c) in case the Committee have not yet been set up when they will be constituted and the criteria to be following in the selection of members ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir. Constitution of Telephone Advisory Committee for Rajasthan is under finalisation. No separate committees for the Divisions in Rajasthan Circle are proposed.

(b) Does not arise.

(c) The Telephone Advisory Committee for Rajasthan is expected to be constituted shortly. The person to serve on a TAC shall normaly be residing in the geographical jurisdiction covered by the particular TAC. Representatives of Parliament, State Admn.,

State Legislature, Corporation or civic body are nominated by the authorities concerned. As regard Press, Medical Profession, Legal Profession, Trade, Commerce and Industry, Public Workers etc. recommendations are received from various organisations/Institutions representing such interests as well as individuals. Nominations to a TAC are made by the Government taking into account these recommendations.

मनीला में भारतीय अधिकारी को छुरा घोंपा जाना

1482. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद**
श्री सरतकार } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी समाचार पत्रों में दिनांक 10 फरवरी, 1978 को प्रकाशित समाचार सच है कि मनीला में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को छुरा घोंपने के सम्बन्ध में दो अमरीकी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये हैं और वे आनन्द मार्ग के सदस्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा आनन्द मार्ग के हिंसक कार्यों के सक्रिय सहयोग विशेषकर अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों की गतिविधियों के बारे में क्योंकि भारतीय अधिकारियों के विरुद्ध हिंसक घटनायें अधिकांशत: उन्हीं देशों में हुई हैं, के बारे में में जांच कराने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां

(ख) सरकार पहले से ही विदेशी सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है और आनन्द मार्गियों की हिंसक गतिविधियों की छानबीन के मामलों में उनका पूरा सहयोग रहा है । बताया जाता है कि आनन्द मार्ग के कार्यालय सिर्फ अंग्रेजी देशों में ही नहीं हैं बल्कि संसार के अन्य भागों में भी हैं और सम्बद्ध देशों के सुरक्षा प्राधिकरण आनन्द मार्ग की गतिविधियों की प्रकृति से परिचित है ।

विदेशों में आनन्द मार्ग के आन्दोलन में विदेशी राष्ट्रिकों के भाग लेने के बारे में जांच-पड़ताल करना सरकार के लिये संभव नहीं है।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र के लिये उपकरणों का आयात

1483. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थापित 1000 लाइन वाले इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र को इसके वाणिज्यिक प्रयोग के बाद उपयोगी पाया गया है;

(ख) क्या ऐसे उपकरणों के निर्माण के लिये स्वदेशी जानकारी उपलब्ध है अथवा इसका बाहर से आयात किया जाएगा; और

(ग) यदि इसका बाहर से आयात किया जाना है, तो कैसे और इसे किस से प्राप्त करने का प्रस्ताव है तथा किस मूल्य पर?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय) : (क) परीक्षण के तौर पर 1000 लाइन के एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की डिजाइन और रचना का काम अपने देश में ही पूरा किया गया है। यह एक्सचेंज दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थापित किया जा

रहा है। विस्तृत जांच कार्य हो जाने के बाद ही करीब 1978 के मध्य तक एक्सचेंज के परीक्षण शुरू किये जाएंगे।

(ख) स्वदेशी प्रणाली की डिजाइन के संतोषजनक पाये जाने के बाद भी, उत्पादन को आधुनिक तकनीकों और इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के निर्माण में काम में आने वाले नाजुक पुर्जों के संबंध में विदेशों से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

(ग) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के निर्माण और जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में फैसला तब तक के लिये रुका रहेगा जब तक कि इन एक्सचेंजों के परीक्षण और इसके सभी पहलुओं का जायजा ले लेने के बाद भारतीय टेलीफोन जाल में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को बड़े पैमाने पर प्रचलित करने के संबंध में फैसला नहीं ले लिया जाता। इस बीच, टेंडर मंगाने के बाद, कुछ इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आयात करने का प्रस्ताव है ताकि डिजिटल स्विचिंग जैसी विभिन्न तकनीकों और ट्रंक तथा टेलैक्स स्विचिंग आदि में विभिन्न अनुप्रयोगों का मूल्यांकन किया जा सके।

निर्यात किये गये इस्पात की मात्रा तथा मल्य

1484. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1977 तक निर्यात किये गये इस्पात की मात्रा और मूल्य क्या है और प्रति टन कितना मूल्य वसूल किया गया तथा देशीय बाजार में चालू मूल्य की तुलना में यह कितना है;

(ख) शेष निर्यात आदेशों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस्पात के निर्यात के लिये किये गये दीर्घकालीन करारों अथवा इस दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों का ब्योरा क्या है, और

(घ) क्या प्रस्तावित इस्पात निर्यात बोर्ड स्थापित कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) : अप्रैल से दिसम्बर, 1977 के दौरान 877,153 टन इस्पात का निर्यात किया गया था जिसका मूल्य 135.69 करोड़ रुपये था। भिन्न-भिन्न समय इस्पात की मात्रा भिन्न भिन्न होती है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुखों पर निर्भर करती है। अतः निर्यात के मूल्यों की आन्तरिक मूल्यों से तुलना करना कठिन होगा। निर्यात के शेष आर्डरों तथा इसके लिये किये गये दीर्घावधि प्रबन्धों अथवा इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा देना देश के वाणिज्यिक हित में न होगा।

(घ) जी, हां।

बोर्ड की सदस्यता निम्नलिखित है :—

1. प्रबन्ध निदेशक, सेल इंटरनेशनल लि० — अध्यक्ष
2. इस्पात मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति
3. इस्को का एक प्रतिनिधि

4. टिस्को का एक प्रतिनिधि

5. सिपिंग कारपोरेशन का एक प्रतिनिधि

6. एस० आर० एम० ए० के तीन नामित व्यक्ति

7. निदेशक (बिक्री तथा विपणन) सेल इंटरनेशनल लि० सचिव

बोर्ड की कार्य अवधि दो वर्ष होगी बशर्ते कि बोर्ड के सदस्य इसे इस अवधि से पूर्व ही समाप्त करने पर सहमत हों।

इस बोर्ड के मुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) निर्यात के लिये मुख्य इस्पात उत्पादकों से पुनर्बेलकों को बिलेट की आपूर्ति का समन्वय सुनिश्चित करना।

(ख) पुनर्बेलकों से निर्यात किये जाने वाले बन्दरगाहों तक राउन्ड के तैयार उत्पादों के गमनागमन के लिये भाड़ा समीकरण की एक योजना तैयार करना।

(ग) पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बन्दरगाहों से किये गये निर्यात की देखभाल करने के लिये समुद्र, भाड़ा समीकरण के लिये एक योजना तैयार करना।

(घ) निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने तथा पुनर्बेलकों द्वारा निर्यात-बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार विशिष्टियां तथा आकारों में उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये विपणन नीति के क्रियान्वयन में मदद करना।

भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पार्टियों पर मुकदमा चलाया जाना

1485. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिन पर कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का भुगतान न करने के लिये फौजदारी मुकदमे चलाए गए हैं और वे न्यायालयों में विचाराधीन हैं; और

(ख) कितनी धनराशि बकाया है तथा कितने समय से बकाया है और प्रत्येक मामले में न्यायालयों में किन-किन तारीखों को मुकदमें चलाए गए ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

अमरीकी बाजार में 'कोल्ड रोल्ड' और 'हाट रोल्ड' इस्पात चादरों का मूल्य

1486. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कोल्ड रोल्ड' और 'हाट रोल्ड' इस्पात चादरों की कीमत अमरीकी बाजार में क्रमशः 333 और 268 डालर प्रति टन है, और

(ख) क्या 'कोल्ड रोल्ड' और 'हाट रोल्ड' इस्पात चादरें हिन्दुस्तान मैटल्स को क्रमशः 208 और 157 डालर प्रति टन के भाव पर बेची गई थीं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अमरीका के घरेलू बाजार के मूल्य मालूम नहीं हैं। 13 फरवरी, 1978 के अमरीकी मेटल मार्किट बुलेटिन के अनुसार गर्म बेलित चादरों और ठंडी बेलित चादरों के वर्तमान मूल्य क्रमशः 295 अमरीकी डालर तथा 352 अमरीकी डालर प्रति मी०/टन है। ये मूल्य अधिकांश मध्य पश्चिमी मिलों (मिड वेस्टर्न मिल्स) के लिये जहाज तक निष्प्रभार मूल्य हैं।

(ख) : जी, नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re. Question of Privilege against Shrimati India Gandhi

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने नियम 315 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तत्संबंधी रिपोर्ट नहीं पढ़ सका।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव पढ़ता हूं जो इस प्रकार है :—

"जबकि लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अपने दूसरे प्रतिवेदन में, जो 1 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्पष्टीकरण से पूर्णतया संतुष्ट न होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनके द्वारा 15 जुलाई, 1977 को जारी किये गये अपने प्रेस वक्तव्य में की गई टिप्पणियों में 'आक्षेप और तोहमत लगाई गई है, जिनसे संसद् की गरिमा तथा सत्ता को आघात पहुंचा है' और इस प्रकार 'सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है और उसका अपमान हुआ है' और उन्होंने 'गृह मंत्री पर, जो इस सभा के सदस्य हैं, तोहमत लगाई है';

यह सभा संकल्प करती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को सभा के न्यायालय के समक्ष बुलाया जाये और सभा का विशेषाधिकार भंग करने और उसका अवमान करने के लिये अध्यक्ष द्वारा उनकी भर्त्सना की जाए।"

SHRI UGRASEN (Deoria) : I support the motion of Shri Jyotirmoy Bosu.

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको नहीं बुलाया था···(व्यवधान)। इनके प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसे देखूंगा।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : उच्च समिति के चार सदस्यों ने विपरीत टिप्पण दिये हैं कि उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। रिपोर्ट संसद् के सामने है। जब तक मैं रिपोर्ट पढ़ न लूं, उस समय तक कोई निर्णय नहीं दे सकता। नियम के अनुसार इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है?

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 315 तथा 316 के अनुसार इस मामले को स्थगित करना अध्यक्षपीठ के अधिकार में नहीं है।

आप चाहें तो मैं कल तक प्रतीक्षा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद संशोधन पेश किये जा सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पहली सूचना के लिये आपको नोटिस देना पड़ता है। इसलिये म कल तक के लिये विचारार्थ समय चाहता था।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI (Udaipur): Why this report has not -been circulated among all the members.

अध्यक्ष महोदय : इसे सबके लिये उपलब्ध किया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे सब सदस्यों को उपलब्ध किया जाये क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसे सर्कुलेट किया जाए।

श्री के० लकप्पा : इसका प्रचार कैसे किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसे सर्कुलेट किया जाएगा। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION RULES 1978

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : I lay on the Table a copy of the Prevention of Food Adulteration (First Amendment) Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 36(E) in Gazette of India dated the 21st January 1978, under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

[*Placed in the Library. See No. LT.* 1652/78]

श्री जयप्रकाश नारायण के उपचार सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में

Re-Report of the Inquiry Committee on the Treatment of Shri Jayaprakash Narayan

श्री कृष्ण कांत (चंडीगढ़) : श्री जयप्रकाश नारायण की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है और अखबारों में भी छप चुकी है। इसे सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI RAJ NARAIN) : This is an interim report which is under study by the Ministry. It will be placed on the Table if deemed proper.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अंतिम रिपोर्ट में भी वही निष्कर्ष होंगे जो अंतरिम रिपोर्ट में हैं । अतः सभा को आयोग के निष्कर्षों की जानकारी कराई जानी चाहिए।

SHRI SAMAR GUHA KANTAI : I will request the Hon. Minister to lay the interim report on the Table as stated by Shri Shyamnandan Mishra.

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : The Hon. Minister should apprise the House about the contents of the report.

SHRI RAJ NARAIN : This report has got to be translated into Hindi. It may be fixed for tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : आप इसे हिंदी तथा अंग्रेजी में सर्कुलेट कीजिए। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

SHRI RAJNARAIN : I will do so.

हाल ही में विधान सभा चुनावों के बारे में टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आँखों देखे हाल के बारे में टिप्पणी

RE. CERTAIN REMARKS IN T.V. COMMENTARY ON RECENT ASSEMBLY ELECTIONS

SHRI S. S. LAL (Bayana) : I na radio commentary yesterday—word "Neech Jati" was used. Will the man using such words be prosecuted under Untouchability Act ? We are being harassed this way every now and then.

SHRI R. L. KUREEL (Mohanlalganj) : It should be discussed here. It is not proper to harrass this way.

SHRI CHANDER SHEKHAR SINGH (Varanasi) : Who is at fault..... *(Interruptions)* :

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। यह महत्वपूर्ण मामला है। मैं मंत्री को पूछूंगा और सभा को बताऊंगा।

SHRI S. S. LAL : Mr. Speaker .....

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 10 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

इसके बाद लोक सभा दस मिनट के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for ten minutes

लोक सभा 12 बज कर 35 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at Thirtyfive past Twelve of the clock.

हाल ही के विधानसभा के चुनावों के बारे में टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आँखों देखे हाल के बारे में टिप्पणी—जारी

RE. CERTAIN REMARKS IN T.V. COMMENTARY ON RECENT ASSEMBLY ELECTIONS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

MR. SPEAKER in the Chair.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी, कल शाम रेड़ियो पर किसी समीक्षक ने हरिजनों के लिये "नीच जाति" शब्द का प्रयोग किया है। यह बहुत ही निंदनीय है। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जिसने भी ऐसा कहा है वह स्वयं "नीच" है।

****कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

Not recorded

जिसने ऐसा कहा वह सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि एक प्रेस संवाददाता है। यदि ऐसा है तो उसे पुनः नहीं बुलाया जायेगा। हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा फिर न हो। मैं यही कह सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को अनुभव करता हूं । जो कुछ भी हुआ है हम उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य खड़े उठे—

अध्यक्ष महोदय: अब कोई चर्चा नहीं होगी।

प्रधान मंत्री ने कह दिया है कि वे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई: मैं कह चुका हूं कि हम फिर ऐसा नहीं होने देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में

RE. PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर): विभिन्न वस्तुओं में मिलावट सबधी प्रश्नों को अस्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रासंगिक नहीं है।

श्री ज्योतिमय बसु: मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि अन्न में मिलावट संबंधी प्रश्न अस्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस ओर ध्यान दूंगा। मैं आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किये जाएं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 28 फरवरी, 1978 की अपनी बैठक में लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1978 पास किया है।

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

PUBLIC WAKF (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

सचिव: मैं लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1978, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों में व्याप्त असन्तोष के समाचार

श्री हरिकेष बहादुर (गोरखपुर): मैं शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के
छात्रों में व्याप्त असंतोष के समाचार"

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जैसा कि सदन को विदित है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान आन्दोलन और असंतोष की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें देश के कई विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल थे। आपात स्थिति को हटाते ही अचानक भावनाओं का एक ऐसा उद्वेग सामने आया बल्कि यूं कहिए कि छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों की शिकायतें प्रकाश में आईं। ये विवाद सामान्य रूप से राज्य सरकारों को हटाने, बेहतर परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था, बसों, भोजनालयों, सिनेमाओं, थियेटरों इत्यादि में झगड़ों जैसे गैर-शैक्षिक विषयों के अतिरिक्त दाखिलों, छात्र संघों की मान्यता, परीक्षाओं के स्थगन आदि से संबंधित हैं।

शिक्षा और कानून तथा व्यवस्था राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है और यह राज्य सरकारों का काम है, जिन्हें समय-समय पर परामर्श दिये जाते रहे हैं, कि वे उचित शिकायतों की ओर ध्यान दें तथा विश्वविद्यालयों के सुचारु कार्यकरण के लिये मार्ग प्रशस्त करें।

छात्रों में असंतोष की समस्याओं का समाधान उन तत्वों को, जो व्यवस्था को, अस्त-व्यस्त करना चाहते है, कोई प्रोत्साहन देकर प्राप्त नहीं करना है। ये समाधान सभी संबंधितों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और जनता के संयुक्त प्रयास से ही हो सकते हैं। देश के राजनैतिक दल तथा जनमत के नेता आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण को निरुत्साहित करके बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय जीवन में केवल शान्ति तथा रचनात्मक सहयोग के वातावरण में ही देश की व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को, जिनका वास्तव में युवा पीढ़ी को भी सामना करना पड़ रहा है, हल किया जा सकता है। मेरी हार्दिक अपील है कि सभी सम्बधित एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे जिसमें हमारी शैक्षिक संस्थाएं सुचारु रूप से कार्य कर सकें।

SHRI HARIKESH BAHADUR : The student unrest is widespread in the country. It is duty of the Government to listen to the demands of the students who contributed a lot in the transfer of power to the present Government. It is sad that instead of doing so they are dealt with lathis etc. which is adding to the unrest among them. Is the Government asking the State Governments to attend to the greivances and demands of the students and solve their problems. The sentiments of the students should be respected. One of the problem focussed by them is that of unemployment. I want to know whether Government is issuing some directions to the State Governments in this behalf ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I agree with the views of the hon. Member about unrest in the student community. We had issued necessary instructions to the State Governments in June, 1977, in this behalf and had requested them to meet the genuine demands of the students.

We also met some student representatives. The main cause of unrest is linked with our economic system which has to be changed radically.

श्री समर गुहः हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माताओं के भाग्य से सम्बद्ध अति संवेदनशील विषय के बारे में शिक्षा मंत्री से मुझे ऐसे वक्तव्य की आशा न थी। मंत्री जी को देश भर के विश्वविद्यालयों में व्याप्त असंतोष के कारणों का गहन अध्ययन करना चाहिए था। यहां उच्च शिक्षा के मामलों में बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो कोई भी विद्वान शिक्षाविद् किसी शैक्षिक संस्था का कुलपति बनना न चाहेगा।

कुलपतियों का घेराव हो रहा है। उन पर हमले होते हैं। इनके पीछे कुछ मूल कारण हैं। आज उच्च शिक्षा में बाध्य राजनीति घुस गई है। कुलपति, अध्यापक और यहां तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में भी राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिये शिक्षा का स्तर भी गिर गया है । विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा के परिणाम नहीं निकलते। छात्रों और अध्यापकों के बीच आपसी समझ-बूझ का वातावरण नहीं।

छात्रों को प्रशासन में भागीदार बनाने के लिये भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता मिलती है और वह केन्द्र से धन प्राप्त करता है। अतः विधिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह विषय राज्य का है।

यदि राजनीति को शिक्षा के क्षेत्र से न हटाया गया तो स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य ने छात्रों में असंतोष के कुछ कारण बताए हैं लेकिन केवल वे ही कारण नहीं हैं। कुछ शैक्षिक कारण हैं और कुछ अशैक्षिक कारण भी हैं। सदस्य महोदय ने इस बात पर बल दिया है कि राजनीति को शैक्षिक क्षेत्रों में न घुसने दिया जाये। इस बारे में जनमत और राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैंने पहले ही इस बारे में विश्वविद्यालयों के संघों की एसोसियेशन से बात की है। बातचीत में सभी कुलपति भी थे। राजकोट में सभी कुलपतियों के साथ बैठक की गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा है यह समस्या केवल विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं।

श्री यादवेन्दु दत्त (जौनपुर) : मंत्री जी ने शिक्षा की वर्तमान पद्धति की बात की है। उसने परिवर्तन की बात कही है क्योंकि उससे छात्रों में असंतोष बढ़ता है । कुछ कुलपति स्वयं छात्रों में फूट डालकर उन्हें लड़ाते हैं। उनमें क्षेत्रीय भावना तक पैदा करते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में ऐसा ही हुआ।

रांची में इंजीनियरिंग कालेज 18 मास से बन्द है। छात्रों के भविष्य का क्या होगा? मंत्री जी कुलपतियों द्वारा पक्षपात तथा भाई भतीजावाद के मामलों की जांच करायें। शिक्षा पद्धति में ऐसा सुधार किया जाये जिससे छात्रों में असंतोष पैदा न हो।

क्या मंत्री जी स्वयं छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे ताकि कालेज बंद न हों, छात्र न भड़कें और उनकी समस्याएं सुलझाई जा सकें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : छात्रों के असंतोष के बारे में मैंने पहले ही जोर दिया है कि सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति पर विचार होगा। हम उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज की शिक्षा छात्रों के न केवल बेरोजगार बल्कि रोजगार के अयोग्य बना देती है।

हम प्राथमिक स्तर से शिक्षा में निर्माण कार्य के तत्व का समावेश कर रहे हैं ताकि 20% स्कूल समय सामाजिक रूप से लाभकारी कामों में लगाया जा सके और बालक हाथ से काम करना सीख सकें।

जहां तक विश्वविद्यालयों का प्रश्न है सभी विश्वविद्यालय केन्द्र के अधीन नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। ज्यादा से ज्यादा वह भविष्य के लिये अनुदान बंद कर सकता है। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में होने से हमें उस समय तक इन मामलों में कार्यपालिका अधिकार नहीं जब तक संसद ऐसा कानून पास न कर दे।

अलीगढ विश्वविद्यालय के बारे में भी हम जांच समितियां नहीं बिठा सकते। मैंने कुलपति को बुलाया है और छात्रों के प्रतिनिधियों से भी बात की है। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। झगड़ा छात्रावास में मानीटर की नियुक्ति पर हुआ। छात्रों के दो ग्रुप लड़ पड़े। अब किये गये उपायों से वहां शांति है।

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Varanasi): The Hon. Minister has only preached certain things. He has not tried to solve any problem of students. He has limited the students problems only to State Governments, better transport facilities, restaurants, cinemas etc. But the basic point is that the primary education should be same in the whole country.

Secondly, there should be improvements in the examination system. There are lot of irregularities in Banaras Hindu University where there is no Vice-Chancellor. Castism is being encouraged and nepotism is the order of the day. This is the main cause of resentment.

The Hon. Minister should call a round table conference of students, teachers and guardians to discuss all matters.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I have already said that postponement of examination restorations of democratically elected student's unions and action against educational authorities are main causes of student's unrest. At present the person who has agreed to become Vice-Chancellor of Varanasi University is not feeling well.

We will consider the suggestion for round table conference.

SHRI SHARD YADAV (Jabalpur) : Sir, I think the biggest cause of student's unrest is in the problem of unemployment and politics is behind this problem.

It is unemployment which incites youth for burning buses, furnitures and other things. The Janta Party must fulfill its promises. The assurances are not enough to meet both ends meet. So there is a direct relationship between unemployment and unrest.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2.20 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये म० प० 2.20 तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Twenty minutes past Fourteen of the Clock

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.20 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Twenty minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

12वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 1 मार्च, 1978 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 1 मार्च, 1978 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

EAR DRUMS AND EAR BONES (AUTHORITY FOR USE FOR THERAPEUTIC PURPOSES) BILL.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of ears of deceased persons for therapeutic purposes and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

SHRI RAJ NARAIN : I introduce the Bill.

नेत्र चिकित्सीय (प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

EYES (AUTHORITY FOR USE FOR THERAPEUTIC PURPOSES) BILL

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJNARAIN): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of eyes of deceased persons for therapeutic purposes and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

The motion was adopted.

SHRI RAJ NARAIN : I introduce the Bill.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर में गोली चलाया जाना तथा उसमें तालाबन्दी

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : नियम 377 के अधीन मैं सभा का ध्यान कानपुर में 6 दिसम्बर, 1977 को हुए हत्याकांड की ओर दिलाना चाहता हूं। सभा में 7 दिसम्बर, 1977 को ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस पर चर्चा हुई थी। बाद में एक स्वदेशी कपड़ा सहायता समिति भी बनी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है।

स्वदेशी काटन मिल्स 6 दिसम्बर, 1977 से बंद पड़ी है, जिससे 8000 कर्मचारी बेकार हो गये हैं। वे भूखों मर रहे हैं। यह विचित्र स्थिति है। किन्तु ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक लम्बे समय से कर्मचारियों को पूरा वेतन उचित रूप से नहीं मिल रहा है। उचित वेतन के स्थान पर कर्मचारियों पर गोली बरसाई गई और बहुत से कर्मचारी मारे गये। सरकारी अनुमान के अनुसार केवल 13 व्यक्ति मरे हैं किन्तु गैर-सरकारी अनुमान है कि 105 व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए। स्वतंत्रता के बाद इतने अधिक कर्मचारी कहीं नहीं मारे गये।

सरकार नागरिक जांच समिति के प्रतिवेदन और स्वदेशी कपड़ा सहायता समिति द्वारा दिये गये ज्ञापन पर विचार करे। तुरंत कार्यवाही की जाये ताकि ये लोग भूखे न मरें। पूरी घटना की उचित जांच कराई जाए। स्वदेशी काटन मिल्स को सीधे ही अपना राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से सरकार अपने हाथ में ले ले।

(दो) राजस्थान के भरतपुर जिले की कामा तहसील के नाले के पानी के कारण बाढ़ग्रस्त होने का समाचार

SHRI RAM KISHAN (Bharatpur) : I want to draw the Government's attention towards Kama Tehsil of Bharatpur. District Mathura of Uttar Pradesh, District Bharatpur of Rajasthan and District Gurgaon of Haryana have been affected by floods for the last many years. About 10–15 years ago the three State Governments formulated a scheme for construction of a drain but U.P. and Haryana Governments did not make a correct assessment of flood water with a view to less financial contribution for the scheme. The two regulators on the drain are under the control of Haryana and U.P. Governments respectively. Haryana allowed large quantities of water to flow through the drain at their will while U.P. did not allow full intake of water. The result was that vast areas in Bharatpur District of Rajasthan, particularly its Kama Tehsil has at times been under 4-5 feet deep flood waters during the last many years leading to complete destruction of crops there

Haryana Government have now formulated a flood control scheme to be completed in four years which means that District Bharatpur will continue to be under flood water till completion of that scheme. The Central Government should come to the rescue of the people of District Bharatpur and should take over the control of common drain running through the three States.

(तीन) भटिंडा में मल सुरंग खोदते समय आठ मजदूरों की मृत्यु का समाचार

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura): On 23rd February, eight casual labourers, belonging to Madhya Pradesh were killed while digging a sewer line at Bhatinda in Punjab. Similarly, according to today's newspapers reports, eight labourers had been killed due to a house collapse at Pimpari in Poona where a Government Engineering Factory is being constructed.

It is observed that such incidents are often taking place. These labourers have no organisation and no union of their own for the protection of their interests and for raising voice in regard to their grievances. They are neither getting any political protection nor any protection from the Government. A small legislation enacted on this subject is inadequate to safeguard their interests.

A Committee should be appointed to find out the number of such deaths of casual labourers occurring in a year and the causes of each such incident and to suggest remedial measures for preventing such incidents.

(चार) बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में अकाल की स्थिति का समाचार

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : Madhubani and Darbhanga Districts of Bihar are affected by floods and famine almost every year. This year floods were not there, but drought has created a very serious situation.

Out of the 21 parganas of Madhubani District, in 18 parganas, the ponds are almost dry and there is no water for cattle to drink. The result will be that in summer people will have to leave their villages alongwith their cattle. Kharif crop in these districts was destroyed due to heavy rains and Rabi crop will not be good due to drought.

No foodgrains have been given by the Central Government to the Bihar Government under the "Food-for-work" scheme. The economic position of Bihar Government is not sound enough to take remedial measures to face the situation created by floods and drought. Loans and revenue are being forcibly recovered from the agriculturists in these districts. The Central Government should come forward to extend adequate help to the farmers and also the Bihar Government in order to avoid any worsening of the situation.

(पांच) एक स्विस बैंक को 100-110 लाख डालर का एक सांख्यक खाते में अन्तरण करने का मामला

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : भूतपूर्व सरकार के शासनकाल में विदेश मंत्रालय ने एक एजेंसी को, स्विस बैंक शायद यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैण्ड, जनेवा के एक क्रमांकित खाते में 100–110 लाख डालर जमा करने के लिये कहा। यह आदेश विदेश मंत्रालय के दो सचिवों द्वारा दो किश्तों में पास किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई ने यह धनराशि जनेवा में जमा करने के लिये दी। सरकार को सत्ता में आने के बाद इस विचित्र कार्रवाई का अवश्य पता लगा होगा। यह बात ध्यान में लाई गई होगी। अत: यह स्थिति को स्पष्ट कर सकती है।

यह समझ में नहीं आता कि यदि यह वाणिज्यिक सौदा था तो इसमें विदेश मंत्रालय को क्यों शामिल किया गया। कहा गया है कि इस राशि का अन्तरण चार व्यक्तियों की खातिर किया गया हिन्दुजा बन्धु तथा उस समय का एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी इसमें शामिल था।

यह भी कहा गया कि चीनी सीमेंट इत्यादि के बारे में राज्य व्यापार निगम और ईरान के बीच होने वाले समझौतों तथा कुदरेमुख जैसी बड़ी परियोजनाओं में भी यह लोग शामिल थे। यह भी बताया गया है कि भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा ईरान स्थित भारतीय दूतावास को टेलेक्स संदेश भेजा गया कि वह चीनी और सीमेंट की बिक्री के लिये अन्य पार्टियों से बातचीत न करें। और सारे ऐसे समझौते हिन्दुजा बन्धुओं द्वारा किये जायेंगे तथाकथित टैलेक्स संदेश सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और सरकार को उन सभी सौदों के बारे में बताना चाहिए जिसमें यह पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल थी।

स्विस बैंक को 100–110 लाख डालरों का अन्तरण किस प्रकार किया गया और इस सरकार को इस बारे में सारी जानकारी सभा में दी जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय का इसमें कहां तक हाथ है, यह भी बताया जाए।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : इस समय माननीय विदेश मंत्री सोवियत शिष्ट मंडल के साथ बैठक में हैं। माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह उनके ध्यान में अवश्य लाया जाएगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

डा० बी० एन० सिंह (हजारीबाग) : जब तक सरकार देश के करोड़ों गरीब लोगों की आर्थिक सहायता नहीं करती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलाती, भूखों को भोजन नहीं देती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक हैं। गरीबी हटाओ का नारा जिसने 1972 में इन्दिरा जी को संसद् में बहुमत दिलाया था देश के भोले-भाले गरीब लोगों के साथ किया गया एक बहुत बड़ा छल था तथा उनके तथाकथित प्रगतिशील समाजवादी शासन के दौरान गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या 40% से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गई। हमने 10 वर्षों के भीतर गरीबी और अभावग्रस्तता को समाप्त करने का वचन दिया है। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। सरकार को अपने लिये निष्पादन लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं और लोगों को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि किस प्रकार वह हर साल इस महान समस्या का समाधान करना चाहती है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में उपलब्धियों और असफलताओं की समीक्षा की जानी चाहिए और अगले वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ पिछले वर्ष के बचे कार्यों को भी पूरा किया जाना चाहिए।

छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के क्षेत्रों में अधिकांशत: आदिवासी हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग बसे हुए हैं हमें 54 प्रतिशत खनिज सम्पदा इस क्षेत्र से प्राप्त होती है। कुल कोयले का 87 प्रतिशत कोकिंग कोयला इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अन्य प्रचुर खनिज सम्पदाओं और वन संपत्ति के अतिरिक्त तथा 25 प्रतिशत लौह अयस्क के निक्षेप भी इसी क्षेत्र में हैं। विडम्बना यह है कि इस क्षेत्र के 82 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से

नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों के उद्धार के लिये बहुत कम काम किया गया है। निरन्तर घृणित भेद-भाव की जो यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके प्रति लोगों में बड़ा रोष और असन्तोष है और इसने लोगों को अपने आत्म-निर्णय के अहरणीय अधिकार को प्राप्त करने के लिये दबाव डालने पर मजबूर कर दिया है। आज इस क्षेत्र से चुने गए सभी विधायकों का यह एकमत है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के लिये एक पृथक राज्य बना दिया जाये तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। बिहार सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व जो छोटा नागपुर और संथाल परगना स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया वह मात्र बहाने बाजी है। इस संबंध में परामर्श-दात्री की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। यदि छोटा नागपुर और संथाल परगना को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो वे भारत के मुख्य राज्यों से मुकाबला करने की स्थिति में हो जायेंगे।

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए। लेकिन इस वर्ष के अभिभाषण के अनुसार सरकार ने केवल समितियों की नियुक्ति ही की है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बारे में सोच रही है। शिक्षा के विषय का विशाल जनसंख्या से संबंध है, यह छात्रों तक ही सीमित न रहकर इसका विस्तार क्षेत्र अभिभावकों, अध्यापकों और सार्वजनिक एवं गैर-सरकारी संस्थानों तक भी है। ये सभी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं लेकिन सरकार ने इन लोगों से सलाह लेने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है।

1977 के चुनावों के दौरान जनता पार्टी ने लोगों को विशेषकर किसानों को आश्वासन दिया था कि वे कृषि उत्पादों के लिये लाभप्रद मूल्य देगी। लेकिन वह कृषि उत्पादों के लिये लाभप्रद मूल्य देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं लाई है। इस सरकार का यही विचार लगता है कि केवल मात्र उपादानों की व्यवस्था करने से कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कृषि उपादानों का कृषि उत्पादों के लिये निर्धारित मूल्यों से सीधा संबंध है। जब तक सरकार कोई कृषि मूल्य नीति नहीं बनाएगी और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देगी, कृषि उत्पादन संबंधी समस्या हल नहीं होगी।

माननीय सदस्यों को पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो सीमा विवाद उठा है वह 1956 में किये गये राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप ही पैदा हुआ है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। लेकिन बेलगाम, करवर और बीदर जिलों में मराठी जनसंख्या जो लगभग 10 लाख है, को कर्नाटक में रहने के लिये बाध्य किया गया है। इस बारे में आंदोलन भी हुए हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछली सरकार ने भी इस समस्या का हल नहीं किया था। अब जनता सरकार को इसे हल करना चाहिए।

यह सीमा-विवाद का प्रश्न नहीं है। यह तो मानवीय प्रश्न है जिसमें 10 लाख व्यक्तियों की लोकतंत्री इच्छाओं को पूरा होने का मामला है। ये मराठी लोग महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। अतः इन्हें महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए। केन्द्र को ऐसा फार्मूला बनाना

चाहिए जैसाकि पंजाब हरियाणा और आंध्र-मद्रास के मामलों में लागू किया गया था और गांव को एक इकाई मानना चाहिए। अब जनता सरकार तथा प्रधान मंत्री को इस मामले में पहल करनी चाहिये।

श्री के० बी० चेतरी (दार्जिलिंग) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई सराहनीय बात नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और हरिजनों के सामूहिक संहार, औद्योगिक और बागान श्रमिकों की हत्या का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाल ही में दार्जिलिंग जिले में साम्बियम चाय बागान में 8 चाय बागान श्रमिकों की हत्या की गई है। अब तक 13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं लेकिन असली अपराधी अभी तक फरार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में जांच करने संबंधी पर्वतीय लोगों की मांग स्वीकार नहीं की है। हत्या का यह मामला पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के इतिहास में कालिमा का धब्बा बन गया है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। संविधान में यह उपबन्ध है कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना केन्द्रीय गृह मंत्रालय का दायित्व है। यदि कोई राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अतः केन्द्रीय को इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और शीघ्र उचित कर्यवाही करनी होगी।

जहां तक राज्यों की वित्तीय शक्तियों का संबंध है, केन्द्र-राज्यों के संबंधों पर राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिये कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु कानून और व्यवस्था संबंधी शक्तियों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिये संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए।

वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिये आयोग गठित कर सराहनीय कार्य किया है। यदि संवैधानिक संरक्षण संबंधी मामलों की उपेक्षा की जाती रही तो इस आयोग का कोई लाभ नहीं होगा।

भारत के नेपाली लोग सारे देश में बस गये हैं। किन्तु इनकी आकांक्षाओं की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करने की निरन्तर मांग की जाती रही है। नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलाने की मांग करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बड़ी विचित्र और खेदजनक बात है कि प्रधानमंत्री यह कहें कि वह नेपाली भाषा की साहित्य अकादमी से मान्यता रद्द कर देंगे।

समय आने वाला है जब न केवल नेपाली, मनीपुरी, डोगरी, कोंकणी भाषाओं को बल्कि साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। यदि सरकार अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखना नहीं चाहती तो फिर संविधान की 8वीं अनुसूची को ही क्यों न समाप्त कर दिया जाए?

सिक्किम नया राज्य है। चोग्याल के शासनकाल में वहां लोकतंत्र नहीं और बहुसंख्यक नेपाली जनता को मताधिकार का प्रयोग करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी क्योंकि

चोग्याल ने समानता की व्यवस्था लागू की थी अर्थात् 50 प्रतिशत मत नेपाली जनता के लिये और 50 प्रतिशत शेष जनता के लिये जबकि वहां हमारी जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। सिक्किम में नेपाली, बिहारी, पंजाबी तथा अन्य लोग रहते हैं लेकिन किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक संकल्प स्वीकार किया है कि नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। भारत के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि 50 प्रतिशत या 80 प्रतिशत स्थान एक समुदाय विशेष के लिये आरक्षित किये जाएं। समानता की यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।

सिक्किम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सिक्किम सरकार के विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। कई एक अभ्यावेदन गृह मंत्री को भेजे गए हैं। अतः सिक्किम सरकार तथा वहां के मुख्य मंत्री, काजी के विरुद्ध एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि आप समानता की इस प्रणाली को समाप्त नहीं करते, यदि आप सिक्किम में व्याप्त भ्रष्टाचार को नहीं मिटाते, तो वहां पर दूसरा मिजोरम बन जाएगा। गृह मंत्री को सिक्किम के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए।

आशा है कि जनता सरकार, जिसने अभी चुनाव सुधार विधेयक और दल-बदल विरोधी विधेयक प्रस्तुत नहीं किये हैं, अब पेश करेगी।

SHRI ABDUL AHMED VAKIL (Baramula) : A good deal has been said about regulating the Centre-State relations. As regards Jammu and Kashmir, the Constitution of India includes a special Article 370 to provide for the administration of this State.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair*]

But the previous Congress Government at the Centre as well as the Government in the State of Jammu and Kashmir had made it ineffective. It is high time to review the subject of Centre–State relations. If the powers of the States are eroded, it will weaken the Centre. If the States remain financially poor and weak, the entire country will remain weak. So, if necessary, even the constitution should be amended to prepare a new basis for re-establishing centre-state relations. A second thought should be given on this subject with a view to making States more stronger and self-relient. This issue should not be tackled on the basis of political ideology but it should be tackled, keeping in view the overall interests of the nation. The House should apply its mind as to how the States can be made stronger.

Much has been said about the condition of minorities. It is high time to assess as to what has been done to uplift the minorities and the weaker sections of the society. I will suggest that a White Paper be published to highlight the measures that have been taken to bring about the upliftment of minorities during the last 30 years of Congress rule. In any case, the question of providing economic security to minorities should be given top-most priority. The people must be apprised of the steps the present Government propose to initiate to bring about the welfare of the minority communities. The President's Address should have made a mention of these steps. After all the country as a whole is ours. Minorities are yours. Weaker sections are yours. Border areas are yours. Hilly States are yours. With these words, I conclude.

SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI (Domariaganj) : I rise to support the Motion of Thanks on President's Address. The policies declared in the Address to tackle the problems facing the country at present are welcome. Keeping in view the present economic condition of the country, which is the result of mis-rule of the Congress Government for the last 30 years, the Janata Government has now initiated revolutionary measures to tackle the problems of economic disparity and unemployment. It is a welcome step that the Janata Government has now formulated their economic policy on

the principles of decentralisation and made it agriculture-oriented. Sufficient provision has now been made to improve irrigation and power generation for agricultural purposes. A policy has been declared to spread the network of cottage industries in rural areas and measures will be taken to give them adequate protection against the competition by big industries.

It is heartening to note that the Janata Government have also brought about a revolution in the political field. They have now even amended the Constitution to put an end to dictatoral rule for all times to come. They have re-established the balance between the three wings of the Government i.e. Judiciary, Executive and Legislature and restored the freedom of press, civil liberties and the rule of law. The Janata Party had made a provision in its election manifesto that they would repeal the Constitution (42nd Amendment) Act. But it is not known why they are proceeding half-heartedly in this matter. People are much agitated due to sluggishness of the Government in this regard. Government should, therefore, immediately bring forth a Bill to repeal this Act.

MISA is a black law. We had promised to annul it. People will not forgive the Government if it is brought in a different form and included in the Criminal Procedure Code.

People are eager to know as to when the anti-defection Bill is going to be brought about. We are committed to people for bringing forward this Bill.

One lakh 18 thousand cases are pending in 18 High Courts. Similar is the number of cases pending in Session Courts. Four lakh five thousand cases are pending in courts of Magistrates. There is no reference in the President's Address as to how Government propose to ensure cheap and speedy justice to the people.

Previous Government had violated all rules in regard to appointment of judges. But this Government have acted impartially in this matter and to upheld the principle of seniority in the matter of appointment of judges.

The President should also have spelt out the measures proposed to be taken by Government to tackle the massive problem of unemployment in the country. If this problem is not tackled earnestly, a very serious and explosive situation may arise that may be beyond the control of the Government.

Our Government have set up many commissions, but their recommendations have not been implemented.

Untouchability is a social evil. It should be eradicated.

There has been no change in the attitude of bureaucracy. The Janata Goevrnment should do so to protect the interests of poor and ensure their welfare.

Reference has been made in the Address about setting up of a Police Commission. But it has not made any efforts to bring some change in the administration and functioning of Police.

Uttar Pradesh is a backward state. Some concrete steps should be taken for its development. 98 per cent people are living below the poverty line in Basti district. Eastern districts of U.P. are more backward. The Address fails to mention as to how backward States like U.P. will be developed and regional imbalance removed.

We have got stock of foodgrains to the tune of 22 million tonnes but people here are facing starvation. It indicates that our policy is defective somewhere. Government should look into it.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा समर्थक दोनों ही ने अपनी सरकार तथा उसकी नीतियों की आलोचना निस्संकोच रूप से की है। एक तरह से यह सामान्य पूर्व प्रथा से हटकर किया गया है। इस समय हम अत्याधिक संकटमय तथा भ्रामक स्थिति में रह रहे हैं। पांच राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में आम चुनावों से स्थिति और भी बिगड़ गई है।

परन्तु परिणामों ने हमें चौंका दिया है, हमें एक झटका दिया है। मैं समझता हूं कि हम इनसे सबक सीख सकते हैं। क्या अब फिर हमारे में व्यक्तिपूजा की भावना में वृद्धि नहीं हो रही है। अब भी कुछ अति वामपंथी तथा अति दक्षिणपंथी लोग अपने आपको समाज के पिछड़े लोगों का नेता बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः अब समय आ गया है कि जबकि हमारी सरकार को समाज के उन पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं की ओर उचित ध्यान देना होगा जिनकी कि भूतपूर्व सरकार पिछले 30 वर्षों से अवहेलना करती रही है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ अच्छे शब्दों में लिखा जाना चाहिए था। इसे अधिक प्रेरक होना चाहिए। चुनावों में सुधार करने जैसी महत्वपूर्ण बातों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस अधिभाषण में कोई, प्रेरणा निहित नहीं है। इस अभिभाषण मे सरकार के वास्तविक, प्रभावशाली तथा ठोस कदमों व उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस वर्ष के लिये विशिष्ट कार्यक्रम का उल्लेख किया जाना चाहिए था। किन्तु इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि वे सही दिशा में क्या करना चाहते हैं। जनता सरकार को सत्ता में आये अब पूरा एक वर्ष हो गया है किन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। मेरा सुझाव है कि संविधान का 42वां संशोधन पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हमारे संविधान का 39वां तथा 42वां संशोधन हमारे देश की संवैधानिक समानता तथा गरिमा पर एक कलंक है। हमें भविष्य में भी देखना है कि कोई भी सरकार इस तरह के कठोर विधान न बनाए। विदेश नीति के मामले में जनता सरकार बहुत सफल रही है। हमारे संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। किन्तु आन्तरिक स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। विशेषकर आर्थिक मामलों, लोगों का जीवनस्तर सुधारने तथा हरिजनों की सुरक्षा करने में। मेरी यह मान्यता है कि यदि इस ओर अपेक्षित धयान न दिया गया तो लोग दूसरी तरह के हथकण्डे अपनाने के लिये बाध्य हो जायेंगे। अतः मेरा सरकार तथा सदन से विनम्र निवेदन है कि इस ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

जब मैं यह कहता हूं कि सरकार में सम्बद्धता का कोई सौद्देश्य नहीं है तो मुझे दुख होता है। उनमें एकता नहीं। सम्बद्ध सरकार, राजनीतिक प्रशासन तथा दल में एकता होनी नितान्त आवश्यक है। सत्तारुढ़ दल अभी भी अलग-अलग पक्षों की भावना रखता है। कोई कहता है हम जनसंघ विंग के हैं, कोई कहता है भाक्रांद विंग के हैं। लोग इस तरह की विभिन्न विंगों को नहीं चाहते। इस तरह विभिन्न पक्षों की भावना न होकर एक समग्र दल की भावना होनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की भावना जनता सरकार तथा दल में नहीं आयेगी तब तक सरकार किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पायेगी।

जहां तक देश की विदेश नीति का संबंध है, उसमें अनेक सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। आज हमारे संबंध अपने पड़ोसी देशों यथा पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका, तथा बर्मा के साथ पहले से अच्छे हैं। परन्तु भारत के लाखों गरीब लोग जिन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता है, वह जनता सरकार की इस उपलब्धि से संतुष्ट होने वाली नहीं है। यह ठीक है कि जनता सरकार ने प्रजातंत्र तथा उसके मूल्यों को बहाल कर दिया है, परन्तु आर्थिक तथा प्रशासनिक स्तर पर जनता सरकार का कार्यकरण किसी भी तरह संतोषजनक नहीं रहा है

सरकार ने एक ओर तो आंसुका को समाप्त कर दिया किन्तु दूसरी ओर वह इसे दूसरे रूप में ले आई है। उन्होंने इसे बदतर बना दिया है क्योंकि उन्होंने इसे अपराध प्रक्रिया संहिता का अंश बना दिया है और यह विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से संस्थाकरण हो गया है। कोई भी सरकार किसी लोकतांत्रिक देश में नजरबंद निवारक उपबन्ध को कैसे रख सकती है। जब जनता पार्टी कहती है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो फिर वे नजरबन्द निवारक उपबन्ध को किस तरह औचित्यपूर्ण सिद्ध कर सकते हैं। नजरबन्दी निवारक कानून किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। अतः उसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए।

जहां तक केन्द्र-राज्यों के संबंधों का सवाल है, यह समझना कठिन है कि प्रधान मंत्री खुले रूप से यह क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से बात करूंगा, किन्तु विचार-विमर्श नहीं करूंगा। जब लोग सुझाव देते हैं कि सरकार विचार-विमर्श करे तो फिर कोई जिम्मेदार सरकार विचार-विमर्श करने से इन्कार नहीं कर सकती।

अब समय आ गया है जबकि हमें केन्द्र-राज्य संबंधों पर नए ढंग से विचार करना चाहिए। संविधान में केन्द्र राज्यों के संबंध में जो कुछ लिखा हुआ है, उस पर अब तक प्राप्त किये गये अनुभव तथा परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा करते समय कई राज्य सरकारों की नई जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब यह कहा जाता है कि राज्य शक्तिशाली हों, इसका अर्थ यह नहीं है कि केन्द्र कमजोर हो। यदि लोग राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता की समस्या के बारे में चर्चा करने के लिये कहते हैं तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। यदि राज्यों की वित्तीय निर्भरता केन्द्र पर हो जाए तो फिर समूचा संघवाद व्यर्थ है।

समय आ गया है जबकि हमे वर्तमान स्थिति को देखकर कार्य करना चाहिए। अतीत में हुई बातों को अधिक नहीं उछाला जाना चाहिए। जो कुछ अतीत में हुआ है उसे कई आयोगों तथा जांच आदि द्वारा प्रकाश में लाया जा चुका है। सरकार को आयोगों के कार्यों को निपटाने में शीघ्रता करनी चाहिए।

मेरा एक अन्य निवेदन यह है कि इस सरकार के कार्यकरण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। खेद की बात है कि प्रशासन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। जब अब हम अपने मंत्रियों को लिखते हैं तो हमें उसी तरह का उत्तर मिलता है जैसा कि पिछली सरकार के मंत्रियों से मिलता था। वे केवल यह कह देते हैं कि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। ऐसा पता नहीं चलता कि उन मामलों पर कौन विचार करता है और मामले को कौन निपटाता है। यदि मंत्री नौकरशाही के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकते हैं तो फिर यह खतरनाक बात होगी। हमें संपूर्ण कार्यकरण की प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रश्न पर भी विचार करना होगा।

हम हमेशा महात्मा गांधी की बातें करते हैं। आप जीवन में सादगी क्यों नहीं अपनाते और विलासपूर्ण जीवन से दूर क्यों नहीं रहते। ऐसे में यदि हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यह तो महसूस करेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह जीवन-यापन कर रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें बीते वर्ष तथा आने वाले वर्ष के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा हो और स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की यही कसौटी होती है। यदि हम इस दृष्टि से राष्ट्रपति के अभिभाषण का अवलोकन करें तो निराशा ही हाथ लगती है। यह अभिभाषण न तो प्रेरणादायक है और न ही पढ़ने योग्य। इसमें न तो अतीत का विश्लेषण और न ही भविष्य का कोई कार्यक्रम ही दर्शाया गया है। अभिभाषण में संवैधानिक संशोधनों का उल्लेख किया गया है जोकि पारित किये गये हैं और विधेयक जो विचाराधीन हैं। इस मामले में सरकार को विपक्ष के प्रति अधिक उदारता दिखानी चाहिए। उन्हें इस विशेष मामले में विपक्ष द्वारा दिए गए सहयोग का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। ऐसा करने से सरकार का बिम्ब और अधिक प्रभावशाली बन जाता।

राष्ट्रपति सामान्यतः दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण देने के समय औपचारिक ढंग से एक सामन्तवादी बग्घी पर बैठ कर आया करते थे लेकिन इस बार राष्ट्रपति बग्घी पर नहीं आये हैं। इसके लिये श्रेय या तो राष्ट्रपति को या सरकार को अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि गणतन्त्र दिवस के अवसर पर भी वह बग्घी पर न आएं तो बहुत अच्छा रहेगा।

यह ठीक है कि हमारे समय में नजरबन्दी निवारक कानून था। समय-समय पर उसमें कई संशोधन पेश किये गये किन्तु सरकार ने हमेशा कहा कि वह थोड़े समय के लिये इन उपबन्धों को लागू कर रही है और ऐसा करने के लिये वह क्षमा चाहती है। अब यह सरकार जो यह दावा करती है कि वह नागरिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की समर्थक है, वही ऐसा कानून स्थाई रूप से बना रही है। इस तरह तो नागरिकों को स्वतंत्रता स्थाई रूप से समाप्त हो जाएगी। सत्तारूढ़ दल ने भूतपूर्व सरकार की 'आंसुका' के बारे में बहुत आलोचना की किन्तु वे स्वयं दूसरे रूप में 'आंसुका' को लाना चाहते हैं। यह जनता के साथ विश्वासघात है। अब सरकार की कथनी तथा करनी का अन्तर स्पष्ट होता जा रहा है।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि वर्तमान सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति करके सरकार श्रेय प्राप्त करना चाहती है। अतीत में राज्यों में पुलिस आयोगों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति करने में कोई बुराई नहीं है किन्तु जिस ढंग से उल्लेख किया गया है कि इस देश में पुलिस आयोग की नियुक्ति के बारे में पहले किसी ने भी नहीं सोचा, उचित नहीं है। और ऐसा केवल इसी सरकार ने किया है, यह कहना उचित नहीं है। ऐसा कह कर तथ्यों तथा वस्तुस्थिति की अवहेलना की गई है।

आयोगों की नियुक्ति का श्रेय निश्चय ही इस सरकार को जाता है। यदि 10 वर्षों के बाद कोई इतिहास लिखेगा और इस सरकार को कोई नाम देगा तो यह सरकार 'आयोगों की सरकार' कहलाएगी। मैंने कुछ समाचारपत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने लगभग 10 आयोग तथा समितियां नियुक्त की हैं। इन पर कितना व्यय हो रहा होगा, इसका कोई भी अनुमान लगा सकता है। पता चला है कि वे इन आयोगों तथा समितियों पर 900 करोड़ रूपये व्यय करने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिए और वास्तविक तथ्यों से सभा को अवगत कराना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि मुद्रास्फीति दबाव पर नियंत्रण कर लिया गया है किन्तु आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यद्यपि थोक मूल्य केवल 2.3 प्रतिशत ही

बढ़े हैं किन्तु कुछ मदों में यह वृद्धि इससे अधिक है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में ईमानदारी से समीक्षा की गई है? कम से कम राष्ट्रपति का अभिभाषण गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए था।

अभिभाषण में कहा गया है कि जनता पार्टी ने सत्ता ऐसे समय पर संभाली जबकि निर्धनता तथा बेरोजगारी की विकट समस्या थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह कहना तो उनके लिये आम बात है। जनता सरकार यह कहती रही है कि गत 30 वर्षों में भावी सरकार ने कुछ नहीं किया है। देश की हर समस्या के लिये हमारी सरकार को दोषी ठहराना तो जनता सरकार का मानो स्वभाव बन गया है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि उनने प्रस्तावों का उद्देश्य अनुकूल खाद्य तथा विदेशी मुद्रा स्थिति का लाभ उठाना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का और अधिक प्रसार हो। यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह खाद्य तथा विदेशी मुद्रा की अनुकूल स्थिति भूतपूर्व सरकार की देन है। जब वह सच्चाई का ही राग अलापतें है तो फिर हमारी सरकार की अच्छी देन का उल्लेख करने में क्यों हिचहिचाते हैं?

इस प्रकार का यह दावा है कि उनका अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है। वे ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण निवेश के बारे में बहुत चिन्तित हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्या किया है। यदि यह सरकार वास्तव में देश की ग्रामीण जनता के लिए करने की इच्छुक हैं, तो मैं समझता हूं इसे तीन मुख्य समस्यायें है। एक निर्धनता, दूसरे सामाजिक तथा आर्थिक विषमता और तीसरे अपनी प्रौद्योगिकी का नवीकरण। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिये।

बेरोजगारी तथा निर्धनता पर बोलते हुए वे हमें बता रहे हैं कि उहोंने कृषि के लिये 400 करोड़ अधिक रुपयों की व्यवस्था की है। किन्तु क्या इतनी धनराशि पर्याप्त है महाराष्ट्र राज्य ने कहा है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को गारन्टी देना चाहते हैं कि उन्हें रोजगार दिया जायेगा। महाराष्ट्र ने एक अधिनियम पारित किया है और इस सरकार ने इतना भी नहीं किया कि उस अधिनियम को स्वीकृति दे देती। आशा है कि प्रधान मंत्री इस बारे में सभा को अवगत करेंगे।

कहा जा रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में सब कुछ ठीक चल रहा है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण से वास्तविकता का पता चल जाता है। औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के महवपूर्ण क्षेत्र में स्थिरता है। विकासशील देशों में हमें अपनी अर्थव्यवस्था की योजना समुचित रूप से तैयार करनी होती है। हमें आय, मजूरी तथा मूल्य नीति को समुचित रूप देना है। जब तक हमारे पास इसके लिये निश्चित जवाब नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। किन्तु सरकार इस तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है।

बजट में लगभग 1000 करोड़ रुपये का घाटा होने जा रहा है। इतना घाटा पहले कभी नहीं हुआ। कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सरकारी सोने को बेचने से यह घाटा पूरा कर देंगे।

सोना सरकार की सम्पत्ति है जिसे बर्बाद कर रहे हैं। यह सोना कई वर्षों के प्रयास से एकत्रित किया गया है, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जाता है बजट में होने

वाले घाटे को पूरा करने के लिए स्वर्ण का उपयोग किया जाता था। क्या देश में आर्थिक प्रशासन चलाने का यह तरीका है।

अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ने बड़ी शक्तियों के साथ वास्तविक गुट निरपेक्षता का वचतबद्धता की आस्था पर ही अपने सम्बन्ध स्थापित किये हैं। भय इस बात का है कि इस 'वास्तविक गुट निपेक्षता' के पीछे एक नये प्रकार की गुटबदी होने की आशंका है।

अमरीका और पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि हमारे अतीत में उनके साथ भले ही कुछ मतभेद रहे हों लेकिन क्या वे पूर्णतः समाप्त हो गये हैं? डियगो गार्शिया की घटना अमरीकी सामंतवाद के साथ हमारे मूलभूत मतभेदों को ही मामला है। जब तक डियगो गार्शिया में सैनिक अड्डा रहेगा तब तक अमरीका के साथ हमारे मतभेद कायम रहेंगे।

यह बात खेद की है कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ सच्ची-सच्ची और कुछ झूठी बातें संसद के समक्ष कहने के लिये मोहरा बनाया गया है। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण अत्यन्त निराशजनक है। हमें कुछ और ही आशा थी।

जहां तक केन्द्र राज्यों के यह सम्बन्धों का मामला है हम केन्द्र को अपेक्षाकृत शक्तिशाली देखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहेंगे कि केन्द्र को राज्यों की कीमत पर कुछ अधिक शक्तियाँ प्राप्त हों। राज्यों की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि केन्द्र की। अधिकांश विकास के कार्य और दायित्व राज्य सरकारों के पास ही है। अतः यह अत्यावश्यक है कि सम्पूर्ण विकास के कार्यक्रमों को देखने की राज्यों की क्षमता सम्बन्धी वित्तीय क्षमता के मामले पर प्रतिवर्ष गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। संसद को भी इस मामले पर विचार करना चाहिये।

SHRI RANJIT SINGH (Hamirpur) : The first important thing which the President has mentioned in his Address is that the Janta Government has tried to create an atmosphere of freedom by completely rooting out the atmosphere of terror which was prevelent in the country at the time of their coming into power. Thereby the Janta Government has not only fulfilled their promise to the people but also justifies the confidence of the people reposed in them.

A few people have criticised the appointment of various commissions to go into the excesses committed during the last two years. Let them understand that this is the practice followed in all democratic countries. If the misdeeds of the rulers are not recorded and brought before the people there will be no awakening among the people and the roots of democracy will not be strengthened. There, the appointment of these commissions s something most welcome. The Government may ultimately forgive those who had committed wrong but there is no harm in bringing those things before the people.

Government also deserves to be congratulated for throwing open the radio and television which has been mentioned by the President in his Address.

There has been along standing demand in the country for the upliftment of the backward people and removal of social evils of the country. In order to achieve this the Government has not only constituted the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission but also a Minorities Commission and a Backward Classes Commission. This step will go a long way in the upliftment of those people and the Government deserves to be congratulated for it.

It is also necessary to pay attention to those people who are not covered by those Commissions but who are economically very backward. If proper steps are not taken for their upliftment and facilities are not provided for improving their economic condition then the economic inequality prevailing in the country will not be removed.

The power shortage also needs attention. There is great shortage of power in our country. If we want to bring about industrial revolution in the country then power product will have to be increased. In this respect Himachal Pradesh has immense potential. If that potential is properly harnessed the State can fulfil half of the power requirement of the entire country.

So far as projects undertaken by the Government of India in Himachal Pradesh namely, Bhakra Dam, Satluj-Beas Link and Pong Dam they have all been completed and as a result of which about 24000 people engaged therein have lost employment. If some Alternative work is not provided to those people it will create a serious imbalance there.

It is also necessary to pay attention to those people who have been sterilised during the emergency and have been rendered unfit to do physical labour. Some concrete steps must be taken for the economic rehabilitation of the families of such people.

The Janata Government has taken a very commendable step in introducing prohibition in the country. Some people are carrying on propanganda against this move. It is, therefore, very necessary to educate the public in this regard.

***श्री वेणुगोपाल गोंडर** (बाडीवाश) अभिभाषण में कहा गया है कि इस सरकार में न्यायपालिका और स्वतन्त्र है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने उल्लेख किया है कि सरकार सार्वजनिक जीवन की पवित्रता को अधिक महत्व देती है कि कानून के माध्यम से व्यावहारिक और विश्वसनीय संरक्षण भी दिया जायेगा वस्तुतः हमारे दल तथा हमारे नेता थीरू एम० बी० आर० के ये विशाल आदर्श हैं। हम इनका स्वागत करते हैं।

विभिन्न आयोगों के गठन का जहां तक सम्बन्ध है खेद की बात है कि इन आयोगों का सरकार स्वयं आदर नहीं करती है उनके निर्णयों को न स्वीकार करती है और न ही उनको लागू करती है। आयोग के यह सिद्ध करने पर भी कि कतिपय राजनीतिक नेताओं ने कदाचार किया है कि अपनी सरकारी हैसियत का व्यक्तिगत लाभ के लिये दुरुपयोग किया है सरकार ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कि बल्कि उन्हीं नेताओं को पारितोषिक के रूप में फिर से पदासीन किया गया। क्या न्यायिक निकायों के निर्णयों का इस तरह आदर किया जाता है? ऐसे जांच आयोग नियुक्त करने से पूर्व गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार करना चाहिये।

कहा गया है कि श्री अर्स ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया जिसके लिये वे दोषी हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन्हें पहले से अधिक मतों से निर्वाचित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार कर्नाटक की जनता की इच्छाओं का आदर करेगी या ग्रोवर आयोग के निर्णय का। ऐसे आयोगों के गठन में राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे इन आयोगों के गठन के मामले पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। सरकारिया कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ व्यक्तियों के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वह बिल्कुल सच हैं। यह फैसला हम सबके सामने हैं। जब जांच आयोगों ने अपना निर्णय दे दिया है तो सरकार को उनके अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही करने में क्या झिझक है?

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर**

SUMMARISED TRANSLATED VERSION BASED ENGLISH TRANSLATION OF THE SPEECH DELIVERED IN TAMIL

भाषा नीति के बारे में सम्बन्ध है तमिलनाडु के लोक बहुत उत्तेजित है स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहिन्दी भाषी लोगों को यह पवित्र आवश्वासन दिया था कि जब तक वह नहीं चाहेंगे हिन्दी उन पर कभी थोपी नहीं जायेगी। लेकिन पंडित नेहरू का इस आवश्व आश्वासन का जनता सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है। केन्द्र सरकार राज्यों को विशेषकर अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी में सन्दर्भ और परिपत्र भेज रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देश की सभी 14 भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये। हिन्दी को अन्य भाषाओं के बलबूते पर क्यों विकास किया जाये। तमिल भाषा के विकास की ओर सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है और बहुत कम पैसा इसके विकास पर व्यय किया है। यह पृथकतावादी दृष्टिकोण हममें प्रादेशिकता के बीज बोने वाला है। इस भाषा नीति को बनाने और क्रियान्वित करने से पहले केन्द्र सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को तो पूरा संवात्मक बनाया और न ही पूर्णतः एकात्मक यह दोनों का मिश्रण है। लेकिन अब कुछ वर्षों से यह पूर्णतः एकात्मक बन गया है। यह उचित नहीं है। राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि वह लोगों के सबसे अधिक निकट है।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 3 मार्च 1978/12 फाल्गुन 1899 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 3rd March 1978/*Phalguna* 12, 1899 (*Saka*).

67LSS/78—27-5-78—GIPF

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]